

इन्दिरा प्रियदर्शिनी

[प्रधान मन्त्रित्व काल के दस वर्ष]

डॉ० सत्येन्द्र पारीक

हिन्दी विभाग

राजकीय महाविद्यालय (टोंक)



राजस्थान प्रकाशन

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर (राज०)

प्रकाशक :

राजस्थान प्रकाशन

त्रिपोलिया बाजार,

जयपुर-2



संस्करण:

1976



मूल्य :

पाँच रुपये (5.00)



मुद्रक :

मॉडर्न प्रिण्टर्स,

गोधौ-का-रास्ता, जयपुर-3

दो शब्द

हमारे देश की धरती 'रत्नप्रसविनी' कही जाती है। हर काल में, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ एक-से-एक बढ़कर प्रतिभाएँ प्रकटी हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब देश संकटों से घिरा है, कोई-न-कोई व्यक्तित्व उसके त्राण हेतु कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण हुआ है।

जब देश पराधीनता के जाल में बुरी तरह से उलझा था तो उससे मुक्ति दिलाने गांधी आया। स्वतन्त्रता मिली तो 'इतने विशाल राष्ट्र के मार्गदर्शन का बोझा कौन उठाए' इस चुनौती को स्वीकार किया नेहरू जी ने। काल ने जब वह रत्न निर्ममतापूर्वक हमसे छीन लिया तो सब स्तब्ध रह गए। 'नेहरू के बाद भारत का क्या होगा?' यह प्रश्न हरएक के मन में घुमड़ रहा था, पर तभी लालबहादुर शास्त्री 'लाल' राष्ट्र को समर्पित हुआ। यह सुख भी अधिक समय तक बना नहीं रह सका और लगभग १८ माह के अल्पकालोपरान्त ही दुर्दैव का दुष्चक्र पुनः चला और वह 'लाल' भी हमारे हाथों से छिन गया। देश अब अपने को अभागा और अनाथ महसूस करने लगा; किन्तु इसी समय इन्दिरा के रूप में जाज्वल्यमान नक्षत्र भारत की प्रगति के आकाश में उदित हुआ, जिसने न केवल देश को प्रकाश—नया प्रकाश प्रदान किया, बल्कि जब-तब उभरने वाले धूमकेतुओं को भी

नष्ट कर देश की अनेक संकटों से रक्षा की। इस बीच अनेक आँधियाँ आईं, बवण्डर उठे, विजलियाँ चमकीं और गिरीं भी; पर इन सब के बीच उनका 'कालजयी सुदृढ़ व्यक्तित्व' और भी अधिक दीप्ति के के साथ निखर उठा।

यह सत्य है कि इन्दिराजी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में अनेक अभूतपूर्व एवं क्रान्तिकारी 'मील के पत्थर' रोपे हैं, उसे अनेक नयी दिशाएँ प्रदान की हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय गौरव की प्राण प्रतिष्ठा की है। देश उनके सुयोग्य नेतृत्व में अपनी चहुँमुखी प्रगति के लिए निश्चिन्त और पूर्णतः आश्वस्त है।

इसी भावना के साथ इसे पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्दिराजी के प्रधानमन्त्रित्व काल के दस वर्ष २४ जनवरी १९७६ को समाप्त हो गए हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इस दस वर्ष के संघर्षमय जीवन की एक संक्षिप्त भाँकी उस महान व्यक्तित्व के प्रति समर्पित एक पुष्पभर है। इसी भावना के साथ इसे पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

—डॉ० सत्येन्द्र पारीक



जीवन-परिचय ३, जन्म और शिक्षा ४, विवाह ७, राजनीति और राष्ट्रीय आन्दोलन के मैदान में ८, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् ९, प्रधानमंत्री के रूप में ११, कांग्रेस विभाजन : अग्नि-परीक्षाओं का प्रारम्भ १५, सन् १९७१ का मध्यावधि चुनाव : जनता का नया विश्वास प्राप्त १९, प्रिवीपर्स की समाप्ति : एक और क्रान्तिकारी निर्णय २१, बंगलादेश की मुक्ति : एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम उपलब्धि २२, 'भारतरत्न' से विभूषित २८, शिमला-समझौता : एक नये अध्याय का प्रारम्भ २९, उत्तरप्रदेश का राजनीतिक संकट ३४, मंत्रिमण्डल में व्यापक परिवर्तन ३८, सन् १९७४ : एक नई शुरुआत ४०, गुजरात का संकट ४३, प्रथम परमाणु-परीक्षण : महान् एवं क्रान्तिकारी उपलब्धि ४४, नयी अर्थनीति की घोषणा ४६, सन् १९७५ : भयंकर विस्फोटों और क्रान्तिकारी उपलब्धियों का वर्ष ५२, कश्मीर-समझौता : एक नये अध्याय का प्रारम्भ ५३, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गवाही ५५, गुजरात-चुनाव : तनाव का एक और मुद्दा ५८, अन्तरिक्ष युग में भारत का प्रवेश : 'आर्यभट्ट' ६०, सिक्किम का भारत में विलय : एक और क्रान्तिकारी उपलब्धि ६१, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला : देश-श्यापी 'इन्दिरा विरोधी' लहर ६५, आपात् स्थिति की घोषणा : राष्ट्रहित

में एक कठोर कदम ६८, २१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम : भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रान्ति ७१, भ्रष्टाचार-उन्मूलन, तस्कर-विरोधी अभियान, मूल्य-वृद्धि तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण ७४, सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव-याचिका ७६, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय : इन्दिरा चुनाव प्रकरण पर पटाक्षेप ८२, देशव्यापी हर्षोल्लास और बघाइयों की बाढ़ ८३, बंगलादेश की रक्तक्रान्ति : एक नई चिन्ता ८५, उत्तरप्रदेश में नेतृत्व-परिवर्तन ८७, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण परिवर्तन ८८, मन्त्रिमण्डल में पुनः परिवर्तन ९१, कांग्रेस का ७५वाँ अधिवेशन : नई दिशाएँ—नये संकल्प ९३, छिपी सम्पत्ति की स्वेच्छया घोषणा-कार्यक्रम : एक नया आर्थिक सोपान ९८, प्रधानमन्त्रित्व की दशाब्दी पूर्ण : उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ १०३, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्री-काल की प्रमुख तिथियाँ १०७ से १६० तक ।

“मैं नहीं रही तो और बहुत लोग खड़े हो जाएँगे। सवाल व्यक्तियों का नहीं, अच्छे विचारों का है और उन्हीं की रक्षा के लिए जो यह नया युद्ध छिड़ा है, वह चलता ही रहेगा; और एक मानी हुई बात, हमेशा से अच्छे विचार जीते हैं, और हमारी जीत भी निश्चित है।”

— इन्दिरा गाँधी



श्रीमती इन्दिरा गांधी

भारत भूमि सदा से ही देश-भक्त तथा वीर-प्रसविनी रही है। इस धरती के सपूतों ने ही तो अखिल विश्व को मानवता का महान् सन्देश दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। यहीं पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महामानवों ने जन्म लिया। विश्व-बन्धुत्व की भावना इसी शस्य-श्यामला भूमि की ही देन है। जब-जब पृथ्वी से धर्म उठने लगता है, मानवता पर दानवता हावी होने लगती है, तब-तब कर्तव्य-विमुख और भूले-भटकों को सही मार्ग दिखाने के लिए महान् आत्माएँ इस पृथ्वी पर जन्म लेती रही हैं। प्रारम्भ से अब तक इस धरती पर महान् पुत्रों की एक लम्बी परम्परा चलती रही है। यह क्रम कभी रुका नहीं।

सदियों की पराधीनता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने विकास का एक लम्बा रास्ता था, जो काँटों भरा था—साथ ही अनजान भी था। नेहरूजी जैसे महामानव के सुयोग्य निर्देशन में भारत आगे बढ़ा—बढ़ता ही रहा। वापू जवाहर के हाथों में भारत का भविष्य सौंपकर चिरनिद्रा में मग्न हो गए, पर काल के कठोर हाथों ने स्वतन्त्रता के १८ वर्ष बाद सहसा वह मार्ग-निर्देशक हमसे छीन लिया। भारत धारित्री अनाथ बनकर निरुपाय-सी सिसकती रही। ऐसी विषम स्थिति में लालबहादुर शास्त्री का छोटा-सा व्यक्तित्व मैदान में उतगा, पर काल के आगे उसका भी कोई बश न चल सका। १८ माह के बाद एक और कठोर परीक्षा, काल के द्वारा ली गई। शास्त्री भी चला गया। सभी के समक्ष एक

विकट प्रश्न था—‘अब क्या होगा?’ ऐसे में प्रधानमन्त्री के रूप में एक नारी व्यक्तित्व सामने आया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की धरती वीर पुत्रों के साथ ही साथ महान् पुत्रियों को भी जन्म देने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। महान् जवाहर की महान् पुत्री इन्दिरा गांधी जब प्रधानमन्त्री के पद पर आसीन हुईं तो ऐसा लगा जैसे प्रगति के इतिहास का एक नया अध्याय खुल गया। इस रूप में उसने भारतीय नारी के इतिहास के पृष्ठों में रह गए प्राचीन गौरव को पुनः जीवन प्रदान किया।

जीवन-परिचय :

श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हैं। आपने महान् कार्यों, साहस, कर्मठता एवं त्याग से भारतीय नारी के मस्तक को उन्नत किया है। आपमें जहाँ भारतीय नारी के प्राचीन गौरव के प्रति दृढ़ आस्था है, वहीं आज की प्रगतिशीलता के प्रति सहज विश्वास और लगन भी है। भारत की तृतीय प्रधानमन्त्री के रूप में आपने जिस तत्परता, निस्वार्थता, दूरदर्शिता तथा साहस के साथ प्रगतिशील भारत के शासन की वागडोर को सम्हाला, वह सचमुच प्रशंसनीय है। इस रूप में आपने अपने पिता की महान् परम्परा को केवल जीवित ही नहीं रखा, वरन् उसे और भी उज्ज्वल रूप प्रदान किया।

जन्म और शिक्षा :

श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म १९ नवम्बर, सन् १९१७ को इलाहाबाद में हुआ। आप श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं। नेहरूजी अपने समय के अत्यन्त प्रतिष्ठित वकील थे। आपकी माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। आपके दादा पं० मोतीलाल नेहरू भी एक सम्पन्न और ख्यातिप्राप्त वैरिस्टर थे। इन्दिराजी अपने माता-पिता की एकमात्र सन्तान होने के कारण बहुत ही लाड़-प्यार से पाली गईं। जब आप बड़ी हुईं तो पिता आपको

प्यार से 'इन्दिरा-प्रियदर्शिनी' कहकर पुकारा करते थे। 'कभी-कभी' इसके स्थान पर केवल 'इन्द्र' ही कर दिया करते थे।

इन्दिराजी का जन्म संघर्ष के विकट क्षणों में हुआ था। यह वह समय था, जब भारत पराधीन था तथा उसके कोने-कोने में स्वतंत्रता के लिए भीषण संघर्ष चल रहा था। इन दिनों में स्वतंत्रता की बात करना भी भयंकर अपराध था। इन्दिराजी का समूचा परिवार ही उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन में जो-जान से लगा हुआ था। जेल में आना-जाना लगा ही रहता था। नन्हीं वालिका इन्दिरा यह सब देखती, पर समझ नहीं पाती थी। उसने समझने का बहुत प्रयत्न किया। तभी दादी स्वरूपरानी इस संसार से चल बसीं। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण इन्दिरा के बाल्यमन पर प्रारम्भ से ही राष्ट्र-प्रेम, त्याग, बलिदान और साहस के संस्कार जमने लगे, जो आगे चलकर दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तर से दृढ़तम होते गए।

बचपन में वालिका इन्दिरा मिट्टी के खिलौनों को एक कतार में इस तरह खड़ा करती, जैसे जुलूस निकल रहा हो और स्वयं 'भारतमाता की जय' तथा 'इनकलाब—ज़िन्दावाद' के नारे लगाती। इतना ही नहीं, सड़क पर से गुज़रने वाले आन्दोलनकारियों के जुलूस के साथ-साथ चली जाती। बड़ी कठिनाई से उसे पकड़कर घर लाया जाता। इसके अतिरिक्त इलाहावाद के 'आनन्द-भवन' में राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले में अनेक बड़े-बड़े नेतागण आया करते थे तो वालिका इन्दिरा बड़ी लगन से उनका आतिथ्य-सत्कार करने में जुट जाती। इस बहाने वह उन नेतागणों से निकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करती।

इन्दिरा अपने पिता को प्यार से 'पापू' कहती थी। वह जवाहरलालजी की लाइब्रेरी में अक्सर मौका पाकर पहुँच जाती

तथा तरह-तरह की पुस्तकें देखती, उलटती-पलटती तथा उनके विषय में पिता से तरह-तरह के प्रश्न पूछती। गांधीजी भी प्रायः वहाँ आया करते थे। इन्दिरा पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इन्दिराजी का बाल्यकाल बड़े सुख और समृद्धि के बीच बीता, फिर भी उन्होंने उसी समय कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास कर लिया था, यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है।

जब आपकी आयु बारह वर्ष की हुई तो आपने अपने छोटे-छोटे साथियों का एक संगठन बनाया, जो 'वानर-सेना' के नाम से पुकारा गया। यह 'वानर-सेना' राजनीतिक कार्यकर्ताओं के छोटे-बड़े कामों में उनकी सहायता करती रहती थी। इस प्रकार जैसे-जैसे आप बड़ी होती गईं, वैसे-वैसे आपके मन में अंकुरित हुए राष्ट्र-भक्ति के संस्कार पनपते गए।

इन्दिराजी को शिक्षा के लिए स्कूल में छोड़ दिया गया, पर स्कूल की पढ़ाई की अपेक्षा उन्हें पापू की लाइब्रेरी तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रति अधिक आकर्षण था। आपने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूना से पास की। इसके पश्चात् आपको शान्ति-निकेतन में प्रवेश दिला दिया गया। इस संस्थान की स्थापना उन्हीं दिनों गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। गुरुदेव के संरक्षण में आपने शान्ति-निकेतन में बंगला साहित्य, कला और संस्कृति का व्यापक अध्ययन किया। आपकी प्रतिभा से स्वयं गुरुदेव भी बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ का जीवन बहुत परिश्रमी था। खाना, झाड़ू, वर्तन, कपड़े आदि के काम विद्यार्थियों को अपने ही हाथों से करने पड़ते थे। इन्दिरा ने उस जीवन को सहज ही अपने व्यक्तित्व में मिला लिया। छात्र जीवन में उन्हें नृत्य में बहुत रुचि थी। गुरुदेव के परामर्श पर आपने मणिपुरी नृत्य सीखा। शान्ति-निकेतन की सहायतार्थ किए जाने वाले कार्यक्रमों में आप सहर्ष तैयार हो गईं पर तभी माँ की बीमारी का तार मिलने के कारण आपको विवश

होकर शान्ति-निकेतन का वातावरण छोड़कर चला जाना पड़ा। गुरुदेव को इसका बहुत दुःख हुआ। उन्होंने इस तथ्य का संकेत नेहरूजी को लिखे अपने पत्र में किया—

“मैं बड़े भारी मन से बेटे इन्दिरा को निकेतन से विदाई दे रहा हूँ। यह मेरे स्कूल की अमूल्य निधि है। मुझे आशा है कि इन्दिरा का भावी जीवन अच्छा रहेगा।”

शान्ति निकेतन से लौटकर इन्दिरा को माँ के इलाज के लिए उनके साथ योरप जाना पड़ा। पहले वे जर्मनी गईं, पर जब चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ तो कमला नेहरू को स्विटजरलैण्ड ले जाया गया। वहाँ पहुँचने के १२ दिन बाद ही माँ कमला चल बसीं। इससे इन्दिरा के मन की तीव्र आघात लगा। इन्हीं दिनों आपकी मित्रता फिरोज गांधी से हो गई। दोनों ने मिलकर इन आघातों से संघर्ष किया। माँ की मृत्यु के बाद आप लन्दन चली गईं, जहाँ आपको समरविले कॉलेज आक्सफोर्ड में प्रवेश दिलाया गया। यहीं से आपने ग्रेज्युएट की परीक्षा पास की। इन दिनों नेहरूजी को आर्थिक तंगी भेलनी पड़ रही थी। पर इन्दिरा ने इस परिस्थिति का सामना भी बड़ी तत्परता के साथ किया। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा समाप्त कर आप भारत लौट आईं।

विवाह :

इंग्लैंड में अपने शिक्षा-काल में इन्दिराजी की मित्रता फिरोज गांधी से घनिष्ठतम हो चुकी थी। माँ की बीमारी ने फिरोज के बहुत निकट ला दिया। इंग्लैंड से भारत लौटते ही मार्च, सन् १९४१ में आपका विवाह फिरोज गांधी से सम्पन्न हुआ। फिरोज गांधी पारसी थे, जब कि इन्दिरा कश्मीरी ब्राह्मण। कट्टर-पंथी लोगों ने इस अन्तर्जातीय विवाह का तीव्र विरोध किया तथा जवाहरलालजी पर ऐसा न करने के लिए पर्याप्त दबाव भी डाला। किन्तु, 'पापू' अपनी बेटे की इच्छा को भला कैसे टाल सकते थे? फलतः अनेकानेक विरोधों के बावजूद भी यह विवाह हो गया।

फिरोज गांधी से आपके दो पुत्र हुए, जिनके नाम राजीव और संजय हैं। दोनों ही बालकों को माँ के साथ ही साथ नाना जवाहरलालजी का भी ढेर सारा दुलार मिला।

राजनीति और राष्ट्रीय आन्दोलन के मैदान में :

एक तो इन्दिराजी के अपने घर का वातावरण ही राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण था, दूसरे पति फिरोज भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। वे उस समय लखनऊ में सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र 'नेशनल हेरल्ड' के सम्पादक थे। इससे इन्दिराजी के मन में उठने वाली राष्ट्र-प्रेम की भावनाओं को और भी बल मिला। वे गृहिणी के रूप में जहाँ घर का सभी काम तत्परतापूर्वक करती थीं, वहीं वह कांग्रेसी-संगठन के लिए भी जुटी थीं।

इन्हीं दिनों बम्बई में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ, जिसमें 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ। इन्दिरा व फिरोज गांधी ने इसमें भाग लिया। इस अधिवेशन के नेताओं की पकड़ा-धकड़ी जब शुरू हुई तो आप पिता के साथ इलाहाबाद चली गईं, पर पुलिस यहाँ भी आ पहुँची। इन्दिरा वापिस लखनऊ लौट गईं। पुलिस को उनके पति की तलाश भी थी। लखनऊ में कॉलेज-छात्रों ने तिरंगा फहराने का निश्चय किया। आपको भी इसमें निमंत्रित किया गया। पुलिस ने आन्दोलनकारियों को चारों ओर से घेरकर लाठियाँ बरसाईं। एक के बाद एक छात्र गिरता गया, पर भण्डे को नहीं गिरने दिया गया। जब भण्डा थामे आखिरी छात्र भी गिरने को हुआ तो इन्दिरा ने फुर्ती से आगे बढ़कर ध्वज को मजबूती से थाम लिया। पुलिस की लाठी इन्दिरा की पीठ पर भी पड़ी, पर उसने भण्डा नहीं छोड़ा। उस पर लगातार लाठियाँ बरसती रहीं, पर उसने भण्डा नहीं छोड़ा। अन्त में वह गिर पड़ी, घर पहुँची तो सारा खदन चोट से दर्द कर रहा था। फिरोज भी रात में उससे मिलने आए। इतना होने पर भी आन्दोलनकारी निराश न हुए, बल्कि

एक आमसभा करने की योजना तैयार की। पुलिस की इसके लिए सख्त मनाही थी; पर धमकियों और विरोध के बावजूद भी सभा हुई, जिसमें इन्दिरा ने साहसपूर्वक भाषण दिया। फिरोज भी आ पहुँचे। इन्दिरा पकड़ी गई।

जेल में उसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। २१ वर्ष की अल्पायु में नई नवेली दुल्हन को तेरह माह की जेल की सजा भुगतनी पड़ी। फिरोज गांधी भी जेल में बन्द कर दिए गए। दोनों ने ही अपने विवाह की वर्षगाँठ जेल में मनाई। इन पीड़ाओं व संघर्षों से आपके मन की राष्ट्रीय भावना, त्याग व साहस मजबूती पकड़ता गया।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात :

निरन्तर कठोर संघर्षों के बाद आखिर १५ अगस्त, सन् १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ, पर जाते-जाते भी कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों ने भारत के दो भाग कर दिए। भारत-विभाजन के कारण हिन्दू व मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक तनाव और संघर्ष हो गया। देश के अन्य नेताओं की भाँति ही इन्दिराजी भी इस विभाजन के पक्ष में नहीं थीं, पर परिस्थिति की नाजुकता के आगे सभी को विवश हो जाना पड़ा।

देश के स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त आप अधिकांशतः अपने पिता के साथ ही रहीं, इससे सार्वजनिक जीवन से आपका परिचय और भी घनिष्ठ हो गया। विदेश-यात्रा के समय भी वह पिता के साथ जातीं। स्वभाव से आप बहुत उदार एवं सहानुभूति-शील रही हैं। सन् १९५० में एक बार जब आप कनाट प्लेस में घूम रही थीं तो आपने एक अर्पंग वच्चे को कुछ चीजें बेचते हुए देखा। उसकी दीन-हीन एवं विवश स्थिति ने आपको बहुत प्रभावित किया। आपने तत्काल 'बाल-सहयोग-संस्था' की स्थापना की, जिसमें अनाथ एवं अर्पंग वच्चों को आश्रय दिया जाता था।

सन् १९५५ में आप कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्या बनीं । इतना ही नहीं, कांग्रेस महिला-विभाग, केन्द्रीय चुनाव-बोर्ड, पार्लियामेण्टरी बोर्ड तथा युवा कांग्रेस की भी आप सक्रिय सदस्या थीं । इससे शनैः शनैः आप राजनैतिक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करती जा रही थीं । सन् १९५७ में कांग्रेस कार्यकारिणी के लिए महा-समिति के सदस्यों के बीच जब खुला मतदान हुआ तो उसमें आपको सबसे अधिक मत प्राप्त हुए । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी कर्मठता एवं त्याग से लोग काफी प्रभावित थे । फरवरी, सन् १९५९ में आप राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता निर्वाचित हुईं । वास्तव में यह गौरव आपके व्यक्तित्व की महानता के सर्वथा अनुकूल ही था । इस वार अधिवेशन नागपुर में सम्पन्न हुआ था । सन् १९६० में यूनेस्को में आप भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की सदस्या भी रहीं । तत्पश्चात् यूनेस्को की कार्यकारिणी की सदस्या के रूप में आपने सन् १९६४ तक कार्य किया ।

आपको प्रतिभा के प्रभाव के कारण नेहरूजी के मंत्रिमण्डल में आपको सम्मिलित किए जाने की बात कई बार उठाई गई, पर जवाहरलालजी ने इसे उचित न समझा । २७ मई, सन् १९६४ को नेहरूजी के निधन के बाद जब दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में श्री लालबहादुर शास्त्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो पुनः इन्दिराजी को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया । २७ जनवरी, सन् १९६५ को आपने प्रथम बार शास्त्री-मंत्रिमण्डल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया । आपने मंत्री के रूप में इस मंत्रालय के क्षेत्र में काफी काम किए । बच्चों की शिक्षा के लिए टेलीविजन-कार्यक्रम प्रारम्भ हुए । सूचना एवं प्रसारण मंत्री की हैसियत से इन्दिराजी ने अनेक देशों की यात्रा की तथा न्यूयार्क में 'नेहरू-स्मारक-प्रदर्शनी' का उद्घाटन भी किया । ४ दिसम्बर, सन् १९६५ को आगरा विश्वविद्यालय के

द्वारा एक विशेष दीक्षान्त-समारोह में आपको 'इंटर-ऑफिशियल लिटरेचर' की उपाधि से सम्मानित किया गया ।

प्रधानमंत्री के रूप में :

श्री लालबहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा था कि सहसा जनवरी, सन् १९६६ में 'ताशकन्द-समझौते' के बाद ही ताशकन्द में काल के कराल हाथों के द्वारा हमसे हमारा यह सुयोग्य नेता छीन लिया गया । उनके बाद प्रधानमंत्री के कार्य-भार का प्रश्न पुनः जटिल हो गया । सभी की दृष्टियाँ इन्दिराजी की ओर ही लगी हुई थीं । यह पद अनेकानेक जिम्मेदारियों का पद था, फिर भी आपने इसके लिए प्रसन्नता के साथ सहमति दे दी । भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव आपको प्राप्त है । नारी होते हुए भी प्रशासन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आपने जिस कुशलता और सूझ-बूझ के साथ निभाया उसे देखकर सारा विश्व आश्चर्य में पड़ गया ।

आपने २४ जनवरी, सन् १९६६ को भारत की तृतीय प्रधानमंत्री का कार्यभार सम्हाला । एक वार सरोजिनी नायडू ने इन्दिराजी की प्रतिभा को देखकर उन्हें 'भारत की नई आत्मा' कहकर सम्बोधित किया । प्रधानमंत्री जैसे उच्च एवं गौरवपूर्ण पद को अपनी निष्ठा, त्याग, साहस, कर्मठता और सूझ-बूझ के द्वारा प्राप्त कर आपने सचमुच इस सम्बोधन को सार्थक किया । ३० जून, सन् १९६६ को आपने त्रिवेन्द्रम का दौरा किया । इसके बाद आपने भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा वहाँ की समस्याओं और विविध परिस्थितियों को देखा-समझा । आपने जनता से प्रत्यक्ष और निकट का सम्पर्क स्थापित किया । कम समय में ही आपने प्रगति की दिशा में जो ठोस कार्य किए, उनसे जनता का विश्वास और श्रद्धा आपके प्रति बढ़ती गई । आपने केवल भारत की राजनीति को ही प्रभावित नहीं किया, वरन् विश्व-राजनीति

को भी अनेक नई दिशाएँ प्रदान कीं। आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से आपके विरोधियों का असन्तोष बढ़ने लगा।

प्रधानमंत्री बनने के तुरन्त बाद ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वह था—भारत की कोटि-कोटि जनता के साथ सम्पर्क-स्थापन। इसके लिए आपने देश के हर भाग का दौरा किया, वहाँ की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया तथा उसके विकास की सम्भावनाओं पर भी दृष्टि डाली। आप सच्चे अर्थों में जनता की नेता बनने की भावना अपने मन में लिये हुए हैं। 'जननायक नेहरू' की पुत्री भी 'जननायक' बनने के मार्ग पर पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। १० अक्टूबर, सन् १९६६ को आपने लक्षद्वीप की यात्रा की; जहाँ आपका भावभीना स्वागत किया गया। वहाँ के निवासियों को सम्बोधित करते हुए आपने कहा कि ये भारत का अभिन्न अंग है तथा भारत सरकार इनके विकास के लिए उत्तरदायी है। इस अवसर पर आपने खुदामत द्वीप में कुष्ठ रोगियों को मिठाई के उपहार दिए।

आपकी विहार व कलकत्ते की यात्राओं के दौरान वहाँ की जनता ने आप पर जी भरकर अपना प्यार लुटाया। जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहला अवसर था, जब कांग्रेस के किसी नेता को देखने व सुनने के लिए इतनी संख्या में जन-समूह एकत्रित हुआ। इस अवसर पर आपने अपनी सत्य-निष्ठा का उल्लेख करते हुए कहा—

“मेरे विरुद्ध जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, वह गलत और खतरनाक है। हमेशा से मेरा विश्वास लोकतंत्र तथा मानव-स्वाधीनता, धर्म-निरपेक्षता तथा समाजवाद के आदर्शों पर रहा है। मेरी जड़े हमेशा से गांधीजी और नेहरूजी द्वारा पल्लवित कांग्रेस-संस्था में रही हैं और आज भी मेरी वफादारी कांग्रेस पार्टी के ही प्रति है।

लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं संस्था के प्रति अंधविश्वास में यकीन नहीं करती। मैं तो यह देखती हूँ कि संस्था किस हद तक गांधी और नेहरू के आदर्शों का पालन कर रही है। कांग्रेस-संस्था की नियति गरीबों तथा मेहनतकश लोगों के साथ जुड़ी हुई है। अगर पार्टी को बने रहना है तो उसे जनता के साथ एकात्मकता कायम करनी होगी। जो लोग यह कहते हैं कि मैं कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर ही प्रधानमंत्री बनी रह सकती हूँ, वे मेरा अपमान करते हैं।”

इससे आपके दृढ़ एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचय मिल जाता है। सत्ता, प्रतिष्ठा एवं धन का मोह आपको कभी भी नहीं रहा। आपके अपने कुछ सिद्धान्त हैं, जिनका वे पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करती हैं। उन सिद्धान्तों के मूल्य पर वे कुछ भी पाना नहीं चाहतीं।

अपनी इसी सिद्धान्तप्रियता के कारण अपने प्रधानमंत्री-काल में अब तक आपको अनेक बार कठोर परीक्षाएँ देनी पड़ी हैं, पर हर बार आपने अत्यन्त सूझ-बूझ और धैर्य के साथ उनसे संघर्ष लिया। राष्ट्रपति पद के पाँचवें चुनाव के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जब आप पर हावी होना चाहा तो आपने बड़े साहस के साथ परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। इसी प्रसंग में कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निजिलिंगप्पा के साथ जो मोर्चा आपने लिया, वह अपने आप में आपके दृढ़ विचारों एवं साहसी व्यक्तित्व का एक महान् आदर्श प्रस्तुत करता है। इन्हीं गुणों के बल पर आपने कांग्रेस के इतिहास में एक नये अध्याय की रचना की। इस अवसर पर आपने जिस साहस, चतुराई, धैर्य और दूर-दर्शिता से काम लिया, वह प्रशंसनीय है।

कांग्रेस की इस आन्तरिक रस्ताकसी का प्रारम्भ यद्यपि पहले ही हो चुका था, किन्तु प्रकट रूप में यह संघर्ष ६ जुलाई, सन्

१९६६ को कांग्रेस महासमिति के बैंगलोर अधिवेशन में सामने आया। इसका प्रारम्भ पहले पत्र-युद्ध के रूप में हुआ, फिर तो कभी पत्र-युद्ध और कभी वाक्-युद्ध के रूप में बढ़ता ही चला गया। कुछ लोगों की हठधर्मिता को तोड़ने के लिए सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी श्री नीलम संजीव रेड्डी के मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री वराहगिरि वैकट गिरि को जिताकर आपने अपनी प्रतिष्ठा को और भी प्रभावशाली बना लिया। भारत के राजनीति के इतिहास में यह अपने ढंग की पहली घटना थी, जब विरोधी दलों के सामने सत्ताधारी दल के इतने बड़े पद के प्रत्याशी को पराजित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त आपने समाजवाद की दिशा में एक क्रान्तिकारी और महान् कदम बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उठाया। १६ जुलाई, १९६९ को सहसा आपने आकाशवाणी से अपने प्रसारण में देश के चौदह प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इस पर भी आपके विरोधियों ने अपनी प्रवृत्तता से आपको पराजित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण-कानून की कुछ धाराओं के कारण पूरे ही कानून को अवैध घोषित कर दिए जाने पर भी आपने साहस नहीं छोड़ा। कुछ संशोधन के साथ पुनः बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम का लागू हो जाना आपकी बहुत बड़ी विजय था। अब राजाओं के प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति का संकल्प लेकर आप समाजवाद की दिशा में एक और महान् कदम बढ़ाने जा रही हैं। समाजवाद तथा साम्प्रदायिकता का उन्मूलन आपके दो महान लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त करने को आप कृतसंकल्प हैं।

श्री मोरारजी देसाई से वित्तमंत्रालय लेने के बाद आपने उस कठिन कार्य-भार को बहुत चतुराई से निभाया। सन् १९७०-७१ के वर्ष का बजट आपने प्रस्तुत किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत

की ऐसी पहली प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वजट को एकाउण्टेंटों, नौकरशाहों और गणितज्ञों की वंजर भूमि से उबारकर उसे लोकोन्मुख बनाया । अपने वजट भाषण के प्रारम्भ में उन्होंने स्पष्ट कहा—

“यह जरूरी हो गया है कि ऐसी नीतियाँ बनाई जायें, जिनसे कि विकास की आवश्यकताओं और गरीब जनता के कल्याण के बीच एक संतुलन कायम हो सके । ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जन-कल्याण होता हो और साथ ही उत्पादन-शक्ति में गति आती हो । विकास की आवश्यकताओं तथा न्यायसंगत वितरण के बीच जो सूत्र है, उसे नष्ट करने से जड़ता और अस्थायित्व उत्पन्न होगा, और ये दोनों ही चीजें वांछनीय नहीं हैं ।”

२६ जून, सन् १९७० को आपने मंत्रिमंडल में कई अत्यन्त महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी फेर-बदल किए । श्री यशवन्तराव वलवन्तराव चव्हाण से गृह मंत्रालय छीनकर स्वयं उसका कार्य-भार सम्हाला तथा श्री दिनेशसिंह से विदेश मंत्रालय लेकर उसे श्री स्वर्णसिंह को सौंपा तथा बदले में औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय दिया । इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष तथा खाद्य और कृषिमंत्री श्री जगजीवनराम को प्रतिरक्षा मंत्री नियुक्त किया । श्री फखरुद्दीन अली अहमद को खाद्य व कृषि मन्त्रालय दिया । इससे पहले ही भू०पू० गृहमन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा, जो काफी समय तक अंधेरे में रहे, रेलवे मंत्री बना दिए गए, साथ ही श्री डी० संजीवय्या श्रम मंत्री नियुक्त हुए । इन्हीं दिनों तीन और नये सदस्य मंत्रिमण्डल में लिए गए—श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री मोहन धारिया तथा चौधरी नीतिराज सिंह ।

कांग्रेस-विभाजन : अग्नि-परीक्षाओं का प्रारम्भ

सन् १९७० में कांग्रेस का पूरी तरह से विभाजन हो गया ।

राष्ट्रपति पद के चुनाव में इन्दिराजी द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री गिरि को विजय से कांग्रेस दल के वड़े तथा पुराने मठाधीशों के अहं पर एक करारी चोट पड़ी, जिससे चौखलाकर सिण्डीकेट के नेताओं ने पहले इन्दिराजी के दो प्रमुख समर्थकों जगजीवनराम तथा फखरुद्दीन अली अहमद पर तथा बाद में स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी पर अनुशासन की कड़ी कार्यवाही कर तीनों को ही कांग्रेस से निकाल दिया। इसके बाद स्वर्णसिंह भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का शिकार बने। अस्तित्व के लिए लड़ा जाने वाला यह वैचारिक संघर्ष अब अपने पूरे जोर पर पहुँच गया था। स्थिति सचमुच विकट थी, किन्तु श्रीमती गांधी ने तनिक भी मानसिक सन्तुलन नहीं खोया। बदले में इन्दिरा-समर्थक वर्ग ने सुब्रह्मण्यम को कांग्रेस का अन्तरिम अध्यक्ष बनाकर अपने कार्यक्रमों और योजनाओं पर क्रियान्वयन जारी रखा।

यह सत्य है कि सोना तेज अग्नि में तपकर ही खरा निकलता है। उस समय उसकी दीप्ति देखते ही बनती है। इन्दिराजी का व्यक्तित्व भी इस संघर्ष में वैसे ही निखर गया। भारतीय कांग्रेस के समूचे इतिहास में यह घटना अपने आप में बेमिसाल रही है, जबकि इन्दिराजी ने अपने व्यक्तित्व के जादूभरे प्रभाव से समूचे संगठन द्वारा समर्थित प्रत्याशी के मुकाबले अपने प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अपूर्व विजय-श्री दिलवाई। आत्म-विश्वास, साहस और दृढ़ता का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता।

इन्दिराजी के चारों ओर विषम समस्याएँ घिरी हुई थीं। दलीय संगठन की समस्या के साथ ही साथ पृथक तैलंगाना की माँग को लेकर लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष से भी वे कम चिन्तित नहीं थीं। उनका रुख तैलंगाना के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण ही रहा, किन्तु पृथक तैलंगाना प्रदेश की माँग को आपने अन्तर्मन से कभी

भी स्वीकार नहीं किया। आपके मानस पर सबसे अधिक भीषण आघात अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों का लगा, जिसे आपने अत्यन्त ही सहज भाव से शिव के कालकूट की भाँति पी लिया। आपने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में इस प्रकार के साम्प्रदायिक विष के कुप्रभाव से बचने का देशवासियों को परामर्श दिया।

समस्याओं ने अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। तमिलनाडु में भयंकर सूखा पड़ा, आंध्र में तूफान और बाढ़ आई। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल भी बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच सके। इन्दिराजी ने सभी स्थानों का दौरा करके स्वयं स्थिति का जायजा लिया तथा उदारतापूर्वक राहतकार्यों में तत्परता बरती।

इधर पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में स्थिति दिनों-दिन गिरती जा रही थी। अय्यूब खाँ के विरुद्ध संघर्ष तेज हो गया। परिणाम-स्वरूप अय्यूब खाँ के स्थान पर जनरल याह्या खान पाकिस्तान के सैनिक शासक बने। याह्या खान के शासनकाल में पूर्वी बंगाल में स्वायत्तता के प्रश्न को लेकर उग्र हलचल हुई।

इस वर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, ईरान के शाह, रूमानिया के राष्ट्रपति, बलगारिया और न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री तथा फिलीपीन्स व इण्डोनेशिया के विदेश-मंत्री भारत आए। इन्दिराजी ने अफगानिस्तान, जापान, इण्डोनेशिया तथा बर्मा की सद्भाव यात्राएँ कीं। इनसे विभिन्न देशों के साथ भारत के राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में पर्याप्त दृढ़ता आई।

इधर 'सत्ता कांग्रेस' तथा 'संगठन कांग्रेस' के मतभेद निरन्तर बढ़ते ही जा रहे थे। सत्ता कांग्रेस ने सुब्रह्मण्यम के स्थान पर जगजीवनराम को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में खाद्य मंत्रालय का कार्य भी देखते रहे। इन्दिराजी ने नये बजट के माध्यम से अर्थनीति का एक नया रूप सामने रखा। आपने हॉस्पेट, सेलम और विशाखापत्तनम् जैसे पिछड़े क्षेत्रों में नये इन्फ्रा

कारखाने खोलने की घोषणा की। साथ ही देश के लगभग ३३ लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के समाधान-हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। नई कांग्रेस की महासमिति ने आपके कुशल नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य से सन् १९७१ तक परती जमीन वांटने सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया।

उधर पाकिस्तान की घटनाओं से इन्दिराजी मन ही मन बहुत चिन्तित थीं। ताशकन्द घोषणा के सन्दर्भ में आपने सोवियत संघ तथा पाकिस्तान को पत्र लिखे। इसी वर्ष पानी के सवाल पर पाकिस्तान के साथ भारत के मतभेद इतने तीव्र हो गए कि उसे पानी देना ही बंद कर दिया गया, किन्तु जब नवम्बर में पूर्वी पाकिस्तान में तूफान आया तो इन्दिराजी ने तत्काल एक करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की, जो उनकी उदारता तथा उनके मानवप्रेम के भावों की सूचक थी। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र में भारी वर्षा से बहुत नुकसान हुआ। इन्दिराजी ने तत्काल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मई में बम्बई के निकट भिवंडी तथा चन्द्रनगर में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। आपने वहाँ स्वयं जाकर परिस्थिति को समझने तथा सहज बनाने के भरसक प्रयास किए। इतना ही नहीं, आपने चण्डीगढ़ के विभाजन के प्रश्न पर हरियाणा में हुए जवर्दस्त आन्दोलन तथा तत्संबन्धी मूल समस्या को बहुत ही चतुराई के साथ निपटाया। आपने फाजिल्का सहित ११८ गाँव हरियाणा को तथा चण्डीगढ़ पंजाब को दिया। इस निर्णय से दोनों ही राज्यों में बहुत उपद्रव हुए, जिन्हें आपने दृढ़ता और सख्ती के साथ नियंत्रित किया।

दूसरी ओर राज्यसभा के द्वि-वार्षिक चुनावों में नई कांग्रेस की स्थिति गिर जाने तथा देश में स्थान-स्थान पर होने वाले उपद्रवों के कारण परिस्थितियाँ मध्यावधि चुनाव के लिए पर्याप्त अनुकूल

होने लगीं। यद्यपि १६ जुलाई, १९७० को प्रधानमंत्री श्वामता इन्दिरा गांधी ने कहा था कि अभी वह १९७२ के पहले चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी कुछ लोग मध्यावधि चुनाव के अनुमान लगा रहे थे तथा अफवाहों का बाजार गर्म था। उधर केरल के मुख्यमंत्री के स्तीफा दे देने तथा मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करने से वहाँ चुनाव-तैयारियाँ शुरू हो गईं तथा २७ जुलाई, १९७० को केरल में १७ सितम्बर से चुनाव कराए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी गई।

१२ अक्टूबर, १९७० को सत्ता कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की पटना में हुई बैठक में सम्पत्ति की सीमा के निर्धारण की बात तय हुई। १३ अक्टूबर को पटना में महासमिति का अधिवेशन शुरू हुआ। १४ अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सन् १९७१ तक परती जमीन वांट देने की चर्चा थी। किन्हीं विशेष कारणों से यह अधिवेशन समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया।

६ नवम्बर, १९७० से संसद का शीतकालीन अधिवेशन प्रारम्भ होने वाला था। ८ नवम्बर की संध्या को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें दल की नेता के रूप में इन्दिराजी ने एकता का आह्वान किया। १० नवम्बर को संसद में मेघालय को राज्य बनाने की घोषणा की गई। १८ दिसम्बर, १९७० को संसद का शीतकालीन अधिवेशन समाप्त हो गया, किन्तु मध्यावधि चुनाव की घोषणा नहीं हुई, जैसी कि लोगों को अपेक्षा थी।

सन् १९७१ का मध्यावधि चुनाव : जनता का नया विश्वास प्राप्त

२४ दिसम्बर, १९७० को सत्ता कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई। तीन घण्टे की लम्बी बहस के उपरान्त सभी मध्यावधि चुनाव के लिए सहमत हो गए। इस समय इन्दिराजी के पास अनेक दूरदर्शी सलाहकारों का सहयोग था। सलाहकारों की इस समिति में

उनके मुख्य सचिव श्री परमेश्वर नारायण हक्सर प्रमुख थे, जिन्होंने शाही शैली की समाप्ति को चुनाव का मुद्दा बनाकर जनता से नया विश्वास प्राप्त करने की सलाह श्रीमती गांधी को दी। श्रीमती गांधी ने बहुत सोच-विचार के उपरान्त ही मध्यावधि चुनाव का निर्णय लिया। इसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति गिरि से भेंट की तथा उनके समक्ष मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में सारी स्थिति स्पष्ट की। २७ दिसम्बर को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की एक आवश्यक बैठक हुई। तदुपरान्त औपचारिक रूप से इन्दिराजी ने राष्ट्रपति से लोक सभा भंगकर नये चुनाव कराने का अनुरोध किया। इस समय लोकसभा की अवधि पूर्ण होने में (२ मार्च, १९७२) चौदह माह शेष थे। वस्तुतः नये सिरे से जनता का विश्वास प्राप्त करने का यह निर्णय आत्मविश्वास और जनतंत्र की भावनाओं की प्रतिष्ठा का एक उल्लेखनीय प्रयास रहा है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था।

इसके उपरान्त इन्दिराजी ने राष्ट्र के नाम आकाशवाणी से सन्देश प्रसारित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार १९७२ तक चल सकती थी, किन्तु नये चुनाव इसलिए जरूरी हो गए थे कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार अपने घोषित कार्यक्रमों और आश्वासनों को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। राजाओं की मान्यता तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति की चर्चा करते हुए आपने कहा कि प्रतिक्रियावादी तत्व उनका विरोध कर रहे हैं। मध्यावधि चुनाव के इस निर्णय का अधिकांश लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। २६ दिसम्बर, १९७० को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस.पी. सेन वर्मा ने लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की चर्चा करते हुए भावी कार्यक्रम का संकेत दिया। २७ जनवरी, १९७१ को चुनाव तिथि के संबंध में राष्ट्रपति की पहली अधिसूचना जारी हुई।

मध्यावधि चुनाव के लिए १ मार्च, १९७१ की तिथि निश्चित की गई। श्रीमती इन्दिरा गांधी १३ जनवरी, १९७१ से धुआँधार चुनाव-प्रचार में लगकर पूर्ण शक्ति के साथ उस चुनौती का सामना करती रहीं, जो उन्हें देशव्यापी अर्थसंकट, महंगाई, भ्रष्टाचार और भुखमरी की ओर से मिली।

इस वार भी चुनाव-परिणाम पूर्णतः श्रीमती गांधी के पक्ष में रहे। इन परिणामों ने संसद के भीतर और बाहर विरोधी दलों को लगभग क्षत-विक्षत कर दिया। इस आघात को सहन करने तथा पुनः सम्हलने में इन दलों को लगभग चार वर्ष का समय लगा। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने इस उद्देश्य के साथ 'महागठबंधन' किया कि संगठित प्रयत्न कर वे केन्द्र से कांग्रेस सरकार को हटा सकते हैं। इस 'महागठबंधन' ने समूचे देश में 'इन्दिरा हटाओ' के नारे की लहर-सी फैला दी, किन्तु चुनाव-परिणामों ने इस नारे की भावना को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इस संयुक्त गठबन्धन के कुल ५४३ प्रत्याशी मैदान में थे। इन्दिराजी के कुल ४८२ प्रत्याशी मोर्चे पर डटे थे, जिनमें से २५७ तो विल्कुल नये थे तथा आधे से अधिक ४० वर्ष से कम आयु के थे। इस वार इन्दिराजी ने युवाशक्ति को आगे आकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुग्रवसर प्रदान किया। उन्हें कुल ३५० स्थान मिले, जो कांग्रेस-विभाजन के समय की स्थिति से भी १२० अधिक थे। सच तो यह है कि यह विजय इन्दिराजी की 'प्रगतिशील अर्थ नीति' की विजय थी।

प्रिवीपर्स की समाप्ति : एक और क्रान्तिकारी निर्णय

पिछले कुछ समय से भारतीय नरेशों के प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति की चर्चा विभिन्न स्तरों पर चल रही थी। यद्यपि इस प्रश्न पर देश में दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। भारतीय नरेशों ने संगठित रूप से इस मुद्दे को लेकर इन्दिराजी की प्रगतिशील एवं रचनात्मक लोकतन्त्रीय नीतियों का

खुलकर विरोध किया तथा देशव्यापी प्रतिकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया, किन्तु श्रीमती गांधी ने इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं की। उनके सम्मुख तो उनके निश्चित लक्ष्य थे, जिन्हें पाने को वे पूर्णतः कृतसंकल्प थीं।

८ जनवरी, १९७१ को संसद में राजाओं के विशेषाधिकारों और प्रिवीपर्स की समाप्ति की घोषणा की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश की भाँति आगे चलकर इसकी वैधता को भी चुनौती दी गई। लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया, किन्तु राज्यसभा में यह केवल एक मत की कमी के कारण पास नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में ७ सितम्बर को राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा भारतीय नरेशों की मान्यता को रद्द कर दिया।

वस्तुतः इन्दिराजी द्वारा लिए गए क्रान्तिकारी निर्णयों में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने भारतवर्ष में सामन्तवाद के रहे-सहे अंशों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कहना न होगा कि इस कदम के माध्यम से हमारे देश ने लोकतन्त्रात्मक प्रगतिशीलता को ओर एक उल्लेखनीय पग बढ़ाया।

बंगलादेश की मुक्ति : एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम उपलब्धि

इन्दिराजी के जीवन की कड़ी अग्निपरीक्षाओं का अन्त अभी भी नहीं आया था। देश की आन्तरिक समस्याओं से तो वे पहले ही परेशान चल रहीं थीं, उधर पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ परिस्थितियाँ तनावपूर्ण होती जा रही थीं। पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में गठित अवामी लीग की उल्लेखनीय विजय ने स्थिति को विगाड़ दिया। राष्ट्रपति याह्या खान ने आशंकित हो कर ढाका में प्रारम्भ होने वाले राष्ट्रीय एसेम्बली के अधिवेशन को स्थगित कर दिया। इसके विरोधस्वरूप शेख मुजीब ने शान्तिपूर्ण असहयोग आन्दोलन की लहर फैला दी। इससे चौंकाकर याह्या शासन ने शेख को पकड़

कर जेल में डाल दिया तथा इस्लामावाद में फौजी अदालत में मुकदमा चला कर उन्हें फाँसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही साथ पूर्वी बंगाल की जनता पर पूर्ण शक्ति के साथ दमनचक्र प्रारम्भ कर दिया।

२५ मार्च, १९७१ की रात्रि को बंगलादेश की मुक्ति के लिए वास्तव में सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई। ३१ मार्च, १९७१ को भारतीय संसद में बंगलादेश में पाकिस्तान के भीषण अत्याचारों की तीव्र निन्दा की गई। ४ अप्रैल को प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर दी कि भारत बंगलादेश से नृशंस पाकिस्तानी अत्याचारों को चुपचाप बैठे नहीं देखेगा। २४ मई, १९७१ को इन्दिराजी ने लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के सन्दर्भ में संसद में अपना साहसिक वक्तव्य दिया। इधर समय के साथ-साथ बंगलादेश का मुक्ति संघर्ष भी तीव्रतर होता जा रहा था। उधर पाकिस्तानी अत्याचारों से संतप्त शरणार्थी प्राण बचा कर भारत की ओर हजारों की संख्या में भागे चले आ रहे थे। इससे देश के समक्ष न केवल एक विषम राजनीतिक संकट आ उपस्थित हुआ था, वरन् भीषण आर्थिक संकट की मेघावलियाँ भी घिरने लगी थीं।

बंगलादेश में घटने वाली घटनाओं तथा उनके सम्बन्ध में भारत के सहानुभूतिपूर्ण रवैये को लेकर पाकिस्तान ने विश्व-जनमत को विगाड़ने के कुत्सित प्रयास किए, पर इससे इन्दिराजी तनिक भी विचलित नहीं हुईं। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के समक्ष बंगलादेश की सही स्थिति को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्वयं अनेक देशों की यात्राएँ कीं तथा अनेक देशों को अपने विशेष प्रतिनिधि भी भेजे। इससे पूर्व उन्होंने विश्व के सभी बड़े देशों के राज्याध्यक्षों को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की। साथ ही उन्होंने यह बात भी समझाई कि लाखों शरणार्थियों के भारत में आ जाने से एक अत्यन्त विषम स्थिति पैदा हो गई है।

वंगलादेश से आने वाले विस्थापितों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते यह संख्या एक करोड़ तक पहुँच गई। भारत की कठिनाइयाँ भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थीं। उनके खाने-पीने तथा रहने की समस्या तो प्रबल थी ही, साथ ही साथ उन संक्रामक रोगों की समस्या भी बहुत गम्भीर थी, जिन्हें विस्थापित अपने साथ लाये थे। इधर उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों में अभूतपूर्व वाढ़ आ जाने से भीषण तबाही मच गई। एक ओर शरणार्थियों की समस्या—दूसरी ओर वाढ़-पीड़ितों की समस्या—इन्दिरा जी के समक्ष एक बहुत बड़ा तथा दोहरा धर्म संकट आ उपस्थित हुआ। ऐसे समय में यदि वे चाहतीं तो इस वाढ़-प्रकोप के बहाने से बाहर से आने वाले शरणार्थियों से अपना पिण्ड आसानी से छुड़ा सकती थीं, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस समस्या के प्रति भी उन्होंने उतना ही मानवीय दृष्टिकोण रखा, जितना देशवासियों पर आए वाढ़-प्रकोप के प्रति उनका था। शरणगत बत्सला की महान् और उदार भारतीय परम्परा को भुलाना उनके लिए किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं था। इस विकट समस्या का आपने जिस सूक्ष्म, साहस और उदारता के साथ मुकाबला किया, वह आपके स्नेहमय एवं मानवतावादी रूप का स्पष्ट परिचायक है। इस समस्या के सम्बन्ध में आपने कहा था—“यद्यपि इससे भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अत्याचारों से पीड़ित लोगों के लिए हम अपने दरवाजे बन्द नहीं कर सकते हैं।”

इस समस्या के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण भारत के प्रति प्रारम्भ से लेकर अन्त तक शत्रुतापूर्ण रहा। स्वयं इन्दिराजी ने अमेरिका की यात्रा कर अपने दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया, किन्तु इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहायता बन्द कर पाकिस्तान को हथियारों की

अधिकाधिक सहायता प्रारम्भ कर दी। इससे पूरे देश में रोष व्याप गया, पर ऐसे समय में भी इन्दिराजी ने अद्भुत धैर्य और संयम का परिचय दिया। इधर देश के भीतर बंगलादेश को भारतीय मान्यता दिए जाने की कार्यवाही में होने वाले विलम्ब को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी, किन्तु सच तो यह था कि इस विलम्ब के पीछे इन्दिराजी की दूरदर्शी दृष्टि तथा धैर्यपूर्वक स्थिति का गम्भीर अध्ययन कर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की नीति ही प्रमुख थी। ३१ जुलाई, १९७१ को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए इन्दिराजी ने कहा था—“देश के सामने आज जितना बड़ा संकट है, उतना पहले कभी नहीं आया था। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस संकट से उबर जाएँगे।”

स्थितियाँ जटिल से जटिलतर होती गईं। ऐसी स्थिति में इन्दिराजी ने देश को इस संकट से उबारने के उद्देश्य से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। ६ अगस्त, १९७१ को सम्पन्न हुई भारत-सोवियत शान्ति, मित्रता और सहयोग की वीस-वर्षीय संधि इस दिशा में एक अत्यधिक क्रान्तिकारी एवं महत्वपूर्ण कदम था, जिसकी अनेक पक्षों ने कड़ी आलोचना की तो अनेक पक्षों ने अवसर के सर्वथा उपयुक्त एक साहसिक कदम बतलाकर सराहना भी की। वस्तुतः भारत की विदेशनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, किन्तु इससे उसकी तटस्थता अथवा गुटनिरपेक्षता की मूल नीति में किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आई थी।

१५ अगस्त, १९७१ को इन्दिराजी ने स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया तथा लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से राष्ट्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत के दृष्टिकोण और उसकी महान् परम्पराओं की उद्घोषणा की। आपने पाक को शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों से बाज्र आने की चेतावनी भी दी, पर पाकिस्तान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूर्वी बंगाल में दमन और अत्याचार पूरे जोर-शोर पर चल रहा था तो दूसरी ओर

पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत गम्भीर हो गई थी तथा जनता इस बात को भली-भाँति जान गई थी कि युद्ध कभी भी भड़क सकता है।

११ नवम्बर, १९७१ को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में देश की सारी स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया। १ दिसम्बर को कांग्रेस संसदीय पार्टी की कार्य-समिति की बैठक में भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ। ४ दिसम्बर, १९७१ को पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण हुआ। इसके साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया। देश में आपतकाल की घोषणा कर दी गई। इसी दिन इन्दिराजी ने रेडियो से राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित किया। भारतीय जवान पूर्वी सीमा में प्रविष्ट होकर बंगला देश के स्वाधीनता-संघर्ष में बंगला देश की मुक्तिवाहिनी के कंधे से कंधा भिड़ा कर तथा कदम से कदम मिला कर जुट गए। ६ दिसम्बर, १९७१ को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने संसद में बंगला देश को भारतीय मान्यता की औपचारिक घोषणा की। इससे न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी भारत समर्थक जनसमुदाय में हर्ष और उत्साह की लहर व्याप गई।

इस मुक्ति तथा अस्तित्व-संघर्ष में भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली। बंगलादेश में पाक सैनिकों में निराशा छा गई तथा वे लोग दल के दल भारतीय सेना के सम्मुख आत्म-समर्पण करने लगे। उधर पाकिस्तान में तानाशाह शासक याह्या खान घुरी तरह वीखला उठे। इस अवसर पर अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना सातवाँ वेड़ा भेजकर सनसनी फैला दी। इस अवसर पर भारत की प्रतिष्ठा का सजग प्रहरी बनकर रूसी नौ-सेना का शक्तिशाली वेड़ा तैयार बंगाल की खाड़ी में उपस्थित था। परिणामस्वरूप

अमेरिकी सातवें वेड़े को चुपचाप लौट जाना पड़ा । अन्ततः १६ दिसम्बर, १९७१ का वह चिरस्मरणीय दिन आया, जो भारत तथा बंगलादेश—दोनों राष्ट्रों की प्रगति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य था । इस दिन पाक सेना ने जनरल ए०ए०के० नियाजी तथा राव फरमान अली के नेतृत्व में पूरी तरह से भारत-बंगलादेश-संयुक्त कमान के समक्ष आत्मसमर्पण किया । बंगलादेश एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रथम बार उभर कर सामने आया ।

१६ दिसम्बर, १९७१ को जब श्रीमती गांधी ने बंगलादेश के स्वाधीन होने की सूचना लोकसभा को दी तो सदस्यों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ तालियाँ बजा कर तथा मेजें थपथपाकर अपनी खुशी प्रकट की । कुछ सदस्य तो इतने अधिक भावोल्लसित और उत्तेजित हो गए कि 'जय बंगलादेश' तथा 'श्रीमती गांधी की जय' के नारे लगाने लगे । इस अवसर पर इन्दिराजी ने कहा कि हमें अपनी स्थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना और सीमा सुरक्षा दल पर गर्व है, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से अपनी क्षमता और शौर्य का प्रदर्शन किया । इसी दिन संध्या लगभग ७ बजे इन्दिराजी ने राष्ट्र के नाम रेडियो से संदेश प्रसारित करते हुए समस्त देश-वासियों को बधाई दी ।

वस्तुतः भारत की यह शानदार विजय इतिहास की महानतम उपलब्धि कही जा सकती है, जिसका श्रेय निश्चत रूप से इन्दिराजी के कुशल नेतृत्व को दिया जाना चाहिए । इसी उपलक्ष्य में १८ दिसम्बर, १९७१ को संसद को और से उनका भव्य अभिनन्दन किया गया ।

बंगलादेश की विकट समस्या से जूझते हुए भी इन्दिराजी ने देश के भीतर की स्थिति से अपना ध्यान नहीं हटने दिया । इस अवधि में देश में पांच नये राज्यों—हिमाचल प्रदेश, मणिपुर,

मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम का निर्माण हुआ। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे स्वायत्त प्रदेश भी बनाए गए। इतना ही नहीं, तीन संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए, जिनमें २४वें संशोधन से भारतीय जनता को संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया, २५वें संशोधन से राष्ट्रीय हित के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजा देने की वाध्यता समाप्त की गई तथा २६वें संशोधन के द्वारा भारतीय नरेशों की मान्यता समाप्त कर दी गई।

‘भारतरत्न’ से विभूषित :

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इन्दिराजी ने अपनी पत्नी सूझ-बूझ तथा दूरदर्शिता से जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उनसे भारत की प्रगति में अनेक क्रान्तिकारी मोड़ आए। विशेषतः बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन में प्राप्त सफलता ने भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति में चार चाँद लगा दिए। देश के प्रति आपकी अपूर्व निष्ठा तथा अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में २६ जनवरी, १९७२ को आपको ‘भारतरत्न’ के अलंकरण से विभूषित किया गया। यह देश का सर्वोच्च सम्मान था, जिसके लिए इन्दिराजी निःसन्देह पूर्ण उपयुक्त पात्र थीं। राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि द्वारा राष्ट्रपति-भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में आपको यह सम्मान प्रदान किया गया।

मार्च, १९७२ में इन्दिराजी ने कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लग-भग सारे प्रदेशों में आम चुनाव सम्पन्न कराए। इनमें आपने ‘आत्म-निर्भरता’ तथा ‘गरीबी हटाओ’—दो लक्ष्य निर्धारित किए। इतना ही नहीं, आपने योग्यता के आधार पर स्वयं उम्मीदवारों का चुनाव किया। इनमें आपको अप्रत्याशित सफलता मिली। कुल २५२६ स्थानों में से आपके दल को १६२६ स्थान मिले। इस रूप में जनता का विश्वास आपको पहले से कहीं अधिक मिला, जो आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का द्योतक था।

१६ मार्च, १९७२ को ढाका में आपने 'वंगलादेश' के साथ सम्पन्न शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की पच्चीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किए, जो 'समानता, पारस्परिक लाभ तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों पर आधारित' थी। वास्तव में इस सन्धि की सम्पन्नता ने भारतीय उप-महाद्वीप में आपसी सहयोग और विश्व शान्ति के विभिन्न द्वार खोल दिए। आपने न केवल वंगलादेश के साथ प्रगाढ़ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किए, बल्कि शत्रु देश पाकिस्तान की ओर भी उदारतापूर्ण मैत्री का हाथ आगे बढ़ाकर मानवीय आदर्शों के क्रियान्वयन की एक मिसाल पेश की। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने श्री दुर्गाप्रसाद धर को अपने विशेष दूत के रूप में पाकिस्तान भेजा तथा सामान्य सम्बन्धों की दिशा में पहल की। २५ अप्रैल, १९७२ को श्री धर ने मरी नामक स्थान पर पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों तथा राष्ट्रपति भुट्टो के साथ वार्ता की।

३१ मई, १९७२ तक की आगे की अवधि में आपके शासन-काल की कई उपलब्धियाँ रहीं, जिनमें मध्य प्रदेश में डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण, श्रमिक एकता के लिए गांधीवादियों के राष्ट्रीय मजदूर संघ, कम्युनिस्टों के ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सोशलिस्टों के हिन्दू पंचायत का आपसी समझौता तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा बाँधने तथा कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा जाना आदि प्रमुख हैं।

शिमला समझौता : एक नये अध्याय का प्रारम्भ

इन्दिराजी के विशेष दूत श्री दुर्गाप्रसाद धर द्वारा पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों तथा भुट्टो के साथ भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में २५ अप्रैल, १९७२ को की गई गम्भीर वार्ता से शिमला-वार्ता का महत्वपूर्ण आधार बना, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

३० जून, १९७२ को राष्ट्रपति भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तानी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों का एक दल भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारत आया। उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास में यह एक उल्लेखनीय मोड़ था। हिमाचलप्रदेश की राजधानी शिमला में कई दिनों तक अधिकारी और शिखर-स्तर पर बहुत विस्तार के साथ गम्भीर विचार-विमर्श होता रहा। वार्ता के अन्त में २ जुलाई, १९७२ को भारत-पाकिस्तान के बीच 'शिमला-समझौता' सम्पन्न हुआ, जिसके अन्तर्गत दोनों देशों की सीमाएँ जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को छोड़ कर युद्ध की पूर्व स्थिति में आ गईं तथा यह आश्वासन भी दिया गया कि अन्य विवादों को द्वि-पक्षीय वार्ता के द्वारा हल किया जाएगा।

वस्तुतः शिमला में इन्दिराजी की उदारता के कारण पाकिस्तान कुछ कोरे वायदों के बदले में जमीन की वापसी का मामला दूसरे मामलों से अलग कराने में सफल हो गया। कहना न होगा कि शिमला-समझौते को कार्यान्वित कराने के सिलसिले में अनेक बार अधिकारी और सैनिक स्तर की वार्ताएँ हुईं। यद्यपि इस समझौते के उपरान्त हुई प्रथम वार्ता अनिर्णीत रही, फिर भी दोनों पक्षों को यह कहने का आधार मिल गया कि उपमहाद्वीप की मानवीय समस्याओं की १८ अगस्त, १९७२ को दिल्ली में होने वाली शिष्ट-मण्डलीय वार्ता किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकती है।

२३ जुलाई, १९७२ को इन्दिराजी के निर्देश पर विशेष दूत के रूप में श्री पी. एन. हक्सर ने पाकिस्तानी विदेश मन्त्री अजीज अहमद तथा प्रधानमन्त्री भुट्टो के साथ पाक-युद्धवन्दियों की वापसी, पाकिस्तान में नजरबन्द बंगालियों तथा बंगलादेश में पाकिस्तानी नागरिकों की अदला-बदली तथा अन्य मामलों पर बातचीत की। इसी वार्ता को सफल बनाने के उद्देश्य से १८ अगस्त, १९७२ को पाकिस्तानी विदेशमन्त्री श्री अजीज अहमद तथा अन्य पाक उच्चाधिकारी नई दिल्ली पहुँचे। श्री अजीज अहमद ने विदेशमन्त्री

स्वर्णसिंह तथा इन्दिराजी से वातचीत की। २१ अगस्त को प्रधान-मन्त्री श्रीमती गांधी की उपस्थिति में दोनों प्रतिनिधिमण्डलों की वार्ता हुई। २२ अगस्त को यह वार्ता एक नये दौर में पहुँच गई। २३ अगस्त को सहसा वार्ता में गतिरोध उत्पन्न ही गया। कुछ विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए २४ अगस्त को पाक विदेश सचिव आगाशाही पाकिस्तान गए। २६ अगस्त को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने इन्दिराजी से भेंट की। इससे वार्ता में एक उल्लेखनीय मोड़ आ गया। असली मुद्दा पाकिस्तान के १६५ युद्ध-वन्दियों का था, जिस पर श्री भुट्टो तथा उनके साथी काफी उत्तेजित रहे थे। भारत और बंगलादेश के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री सुविमल दत्त के माध्यम से शेख मुजीब तथा डॉ कमाल हुसैन के साथ विचार-विमर्श किया गया। मुजीब का सन्देश प्राप्त होने के बाद ही समझौते की रूपरेखा तय करने के लिए एक लम्बी बैठक आयोजित की गई तथा अन्ततः २८ अगस्त, १९७३ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते का विवरण चौबीस घण्टे बाद नई दिल्ली, इस्लामाबाद तथा ढाका से एक साथ प्रसारित किया गया।

लगभग ग्यारह दिनों की निरन्तर वार्ताएँ तथा गम्भीर राजनीतिक सरगमियों के बाद हुआ यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण था। भले ही इसे हर दृष्टि से पूर्ण नहीं माना जा सकता, फिर भी यह सही है कि इससे गतिरोध का एक उल्लेखनीय दौर समाप्त हो गया। कहना न होगा कि इसके लिए श्रीमती गांधी के गम्भीर, उदार एवं दूरदर्शी राजनीतिक दृष्टिकोण को ही श्रेय दिया जाना चाहिए।

इसी वर्ष १५ अगस्त को भारतीय स्वतन्त्रता के पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए, जिसके उपलक्ष्य में समूचे देश में भारतीय स्वाधीनता की रजत-जयन्ती के विभिन्न समारोह आयोजित किए गए। इनसे सर्वत्र हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप गया। प्रधानमन्त्री श्रीमती

गांधी ने १४-१५ अगस्त की मध्य रात्रि को संसद के विशेष अधिवेशन में प्रेरणापूर्ण भाषण दिया, जिसमें आपने अब तक की प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने तथा देश के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की बात कही। १५ अगस्त के दिन आपने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रवासियों को सम्बोधित किया।

६ सितम्बर, १९७२ को इन्दिराजी गुटनिरपेक्ष देशों की चौथी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए अल्जीरिया गईं। १४ अक्टूबर, को आपने सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। २७ से २९ अक्टूबर, १९७२ तक आपने भूटान की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा की, जिसके पीछे पारस्परिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाना प्रमुख उद्देश्य था। २ नवम्बर, १९७२ को इन्दिराजी ने बम्बई में नेहरू सेन्टर का शिलान्यास किया। ३ नवम्बर को आपने तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। २३ नवम्बर, १९७२ को आंध्र प्रदेश के मुल्की नियमों के मसले पर हुई हिंसा की आपने तीव्र निन्दा की तथा वहाँ के लोगों से परस्पर संगठित रहने की अपील की। २६ से २९ दिसम्बर, १९७२ कांग्रेस का ७४वाँ अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें भाषण करते हुए इन्दिराजी ने बहुत ही सन्तुलित स्वर में कहा—
“हर संस्था और राष्ट्र के जीवन में संकट की घड़ियाँ आती हैं। लेकिन भारतीय जनता हमेशा से इस तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रही है। मौजूदा समय नेतृत्व और जनता—दोनों की परीक्षा का है।”

७ फरवरी, १९७३ को इन्दिराजी नेपाल की सद्भाव-यात्रा पर जब काठमाण्डू पहुँचीं; तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने समूचे भारत उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पारस्परिक वार्ता के दौरान ८ फरवरी को आपने नेपाली प्रधानमंत्री श्री कीर्तिनिधि बिष्ट

को भारतीय सहयोग का पक्का आश्वासन दिया। १० फरवरी, १९७३ को श्रीमती गांधी नेपाल यात्रा पूर्ण कर स्वदेश लौट आईं। आपका सदैव यही प्रयास रहा है कि पड़ोसी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग और सद्भाव का वातावरण तैयार कर राष्ट्र की शक्ति का उपयोग रचनात्मक प्रगति की उपलब्धि में किया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पड़ोसी राष्ट्रों से निरन्तर सम्पर्क बनाती रहीं। २७ अप्रैल, १९७३ को आपने लंका-यात्रा की। इससे लंका और भारत के मध्य पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में आपसी दृष्टिकोण को समझने का सुन्दर अवसर मिला। २९ अप्रैल को आप तीन दिवसीय लंका-यात्रा पूर्ण कर स्वदेश लौट आईं। ३१ मई, १९७३ को एक विमान-दुर्घटना में केन्द्रीय इस्पात मन्त्री श्री मोहनकुमार मंगलम् की मृत्यु हो गई। इससे श्रीमती गांधी को बहुत दुःख हुआ।

इधर देश के विभिन्न राज्यों में कुछ राजनीतिक सरगमियाँ भी चल रही थीं। इनमें आंध्र प्रदेश, मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख थे। १८ जनवरी, १९७३ को आन्ध्र प्रदेश में तथा २८ मार्च को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य सिक्किम की आन्तरिक स्थिति में होने वाली उथल-पुथल भारत के लिए विकट सिर-दर्द बनी हुई थी। इस सन्दर्भ में ५ अप्रैल, १९७३ को सिक्किम के चोग्याल द्वारा देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना से अनुरोध किया गया। ८ अप्रैल को सिक्किम में भारतीय अधिकारी शंकर वाजपेयी द्वारा सिक्किम की न्याय-व्यवस्था का कार्यभार सम्हाला गया। ९ अप्रैल को दिल्ली नगरपालिका के आयुक्त श्री वी०एस० दास को सिक्किम का प्रशासक नियुक्त किया गया। अन्ततः भारत के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा सिक्किम के बीच कुछ राजनीतिक मुद्दों पर सहमति हो गई। इससे गंगटोक में स्थिति को सामान्य बनाने में बहुत सहयोग मिला। इस शकस्मिक

राजनीतिक संकट को निपटाने में इन्दिराजी ने जिस चतुराई और फुर्ती का परिचय दिया, वह निश्चय ही सराहनीय है।

उत्तर प्रदेश का राजनीतिक संकट :

जून, १९७३ में श्रीमती गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी को दिल्ली बुलाया तथा उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो गया है। उन दिनों वहाँ हालत बहुत खराब थी। हथियारबन्द पुलिस ने विद्रोह किया था। प्रशासन पूरी तरह ठप्प था तथा 'जी-हुजूरियों' की पूरी तरह वन आई थी। वास्तव में १९७२ के प्रदेशों के चुनावों के बाद से ही इन्दिराजी ने प्रदेशों की राजनीति में एक नया अन्दाज़ पैदा करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। इसके अन्तर्गत उन्होंने एक-एक करके उन तमाम मुख्यमन्त्रियों को अपने पद से हटाया, जिनकी मुख्यमंत्री पद पर काफी समय हो गया था। इनमें राजस्थान में श्री मोहनलाल सुखाड़िया, आन्ध्र में ब्रह्मानन्द रेड्डी, मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ल तथा असम में महेन्द्र मोहन चौधरी प्रमुख थे। उत्तर प्रदेश में श्री कमलापति त्रिपाठी इसी परम्परा के अन्तिम अवशेष थे। प्रदेश की राजनीति में श्री त्रिपाठी के पाँव दृढ़तापूर्ण जमे हुए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में उनकी जड़े जितनी गहरी होती गईं, श्रीमती गांधी का यह संकल्प और भी दृढ़ होता गया कि उन्हें हटाना आवश्यक है।

अक्टूबर, १९७२ के पहले सप्ताह में उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया था कि वे उत्तर प्रदेश में नेतृत्व-परिवर्तन करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने पहले श्री उमाशंकर दीक्षित के नाम का प्रस्ताव किया, किन्तु उनके इन्कार कर देने पर श्रीमती गांधी के समक्ष श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का नाम ही रह गया। १३ जून, १९७३ को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इस प्रकार एक लम्बे समय से चला आ रहा यह प्रादेशिक संकट समाप्त

हो गया। कहना न होगा कि इस समाधान के पीछे श्रीमती गांधी की दूरदर्शिता, दृढ़ता एवं स्वयं निर्णय करने की अपूर्व धमता ही प्रमुख थी।

पन्द्रह से १७ जून, १९७३ तक प्रधानमंत्री ने यूगोस्लाविया की राजकीय यात्रा की। इसके तुरन्त बाद ही वे १७ से २४ जून, १९७३ तक कॅनाडा की राजकीय यात्रा पर भी गईं। इन्दिराजी की दोनों देशों की यात्रा का महत्व केवल औपचारिक ही नहीं था, बल्कि इन यात्राओं का उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों को भारत की विदेश नीति का स्पष्टीकरण देना था। सन् १९७१ के बंगलादेश-युद्ध के पूर्व श्रीमती गांधी ने पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका की यात्रा की थी। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने बंगलादेश के मुक्ति संघर्ष के मानवीय और राजनीतिक पहलुओं से पश्चिमी राष्ट्रों—विशेषकर अमेरिका को अवगत कराना चाहा था। जहाँ तक फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैण्ड जैसे राष्ट्रों का प्रश्न था, उन्हें अपने उद्देश्य में पर्याप्त सफलता मिली। अमेरिकी जनमत ने भी श्रीमती गांधी के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक समझा, किन्तु राष्ट्रपति निक्सन उसे न समझ सके। परिणामतः बंगलादेश की आजादी के बाद भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में काफी तनाव उत्पन्न हो गया। श्रीमती गांधी की यह यूगोस्लाविया-यात्रा वास्तव में गुट-निरपेक्षता की नीति पर भारतीय विश्वास को दोहराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से ही की गई थी। इन्दिराजी की कॅनाडा यात्रा का उद्देश्य, एक सीमित अर्थ में, इससे कुछ भिन्न था। कॅनाडा अमेरिका से लगा हुआ देश है, हालाँकि दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। श्रीमती गांधी की कॅनाडा-यात्रा के दो प्रमुख उद्देश्य थे : पहला—कॅनाडा के माध्यम से अमेरिकी तथा लातीनी अमेरिका को भारतीय दृष्टिकोण से परिचित कराना तथा दूसरा—कॅनाडा से वाणिज्य सम्बन्ध बढ़ाना।

इसी वर्ष गेहूँ के थोक व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। इसके लिए मुभाव योजना आयोग ने दिया था। यद्यपि इस निर्णय के पीछे पूर्णतः राष्ट्रहित की भावना ही प्रमुख थी, किन्तु सब कुछ होते हुए भी सरकार की यह नीति असफल रही। इसके परिणामस्वरूप मँहगाई बढ़ी, अनाज मिलना कठिन हो गया तथा केन्द्रीय सरकार की देश-भर में तीखी आलोचना की जाने लगी। गेहूँ के थोक व्यापार के सरकारीकरण की इस नीति की असफलता के पीछे यों तो कई कारण थे, किन्तु सबसे अधिक प्रमुख कारण सम्बन्धित पक्षों में ईमानदारों और सच्चे सहयोग की भावनाओं का अभाव था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुछ सलाहकारों की गलत सलाह इसके मूल में रही है। जो भी हो, यह सही है कि इस नीति की असफलता ने इन्दिराजी को एक विचित्र-सी उलझन में डाल दिया। इस स्थिति को ध्यान में रख कर उन्होंने योजना आयोग के कार्यों में स्वयं रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। कुछ लोगों का यह भी अनुमान था कि रबी की फसल के गलत अनुमान लगा लिये जाने के कारण ऐसा हुआ। बताया जाता है कि ८१ लाख टन गेहूँ के बदले केवल ४१ लाख टन की ही वसूली हो सकी थी। इस सन्दर्भ में विचार-विमर्श के लिए इन्दिराजी ने विरोधी दलों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन भी बुलाया। अन्त में, सरकार ने २८ मार्च, १९७४ को गेहूँ के थोक व्यापार के सरकारीकरण की नीति को समाप्त कर अपनी भूल का सहज ही सुधार कर एक प्रशंसनीय कार्य किया।

इन्दिराजी के आस-पास का वातावरण शनैः शनैः उनके प्रतिकूल होता जा रहा था। इसमें विपक्षी दलों की भूमिका काफी सक्रिय रही। १९ जुलाई, १९७३ को प्रतिपक्षी दलों द्वारा संसद के अधिवेशन में सत्ता दल पर प्रहार करने की योजना बनी, जिसके फलस्वरूप २३ जुलाई, १९७३ को संसद का वर्षाकालीन अधिवेशन

सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पर वहस के साथ शुरू हुआ। किन्तु, विपमता की यह तीव्र आँधी इन्दिराजी की शक्ति और उनके प्रभाव को डिगाने में सफल नहीं हो पाई।

१५ अगस्त, १९७३ को श्रीमती गांधी ने ध्वजारोहण के उपरान्त लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर खड़े होकर देश की कोटि-कोटि जनता तक अपने विचार पहुँचाये। इसी अवसर पर आपने लाल किले के लाहौरी गेट के पास लगभग ३० फुट नीचे भूमि में एक 'कालपात्र' (टाइम कैप्सूल) गाड़ा, जिसमें इस्पात के एक मजबूत डिब्बे में लगभग बीस हजार शब्दों में भारत का इतिहास, मुहरबन्द फिल्में, भारतीय संविधान, भाखड़ा नांगल के कार्यों की रिपोर्ट, आज के राष्ट्रीय नेताओं के चित्र तथा सन् १९४७ से उस समय तक की प्रमुख घटनाओं की ताम्बे की चादरों पर खुदी तिथि तालिका आदि वस्तुएँ रखी गईं।

३ सितम्बर, १९७३ को इन्दिराजी गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अल्जीयर्स गईं। ४ सितम्बर को भारत राजनीतिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ बड़े देशों द्वारा दुनिया पर प्रभुत्व जमाये रखने के प्रयत्नों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे देशों को हथियारों से लैस करने की बड़े राष्ट्रों की नीति खतरनाक है। ६ सितम्बर को सम्मेलन की समाप्ति के बाद इन्दिराजी १० सितम्बर को स्वदेश लौट आईं।

१६ सितम्बर, १९७३ को भारत-पाक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तानी और वगाली नागरिकों की अदला-बदली का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसका दूसरा चरण ४ अक्टूबर, १९७३ को सम्पन्न हुआ। इस रूप में भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में निरन्तरता बनी हुई थी।

२ अक्टूबर, १९७३ को प्रधानमन्त्री ने मथुरा के तेल-शोधक कारखाने का शिलान्यास किया, जो मथुरा से लगभग १० किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में स्थापित किया गया था। लगभग २१८ करोड़ रुपयों की लागत से पूरी होने वाली यह परियोजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट गौरव-विन्दुओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

यद्यपि उत्तरप्रदेश का संकट राष्ट्रपति शासन के कारण समाप्त तो हो गया था, किन्तु राज्य में समुचित प्रशासकीय व्यवस्था के लिए सुयोग्य एवं औपचारिक शासनतन्त्र की स्थापना भी आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में काफी विचार-विमर्श के उपरान्त १ नवम्बर, १९७३ को कांग्रेस हाई कमान द्वारा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा को उत्तरप्रदेश का मुख्यमन्त्री बनाने का निर्णय किया गया। ७ नवम्बर को श्री बहुगुणा को औपचारिक रूप से सर्वसम्मत निर्णय के द्वारा उत्तरप्रदेश कांग्रेस विधानमण्डल दल का नेता निर्वाचित कर लिया गया। श्री बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश में नया मन्त्रिमण्डल बनने के उपरान्त जब इन्दिराजी पहली बार लखनऊ पहुँचीं तो हवाई अड्डे से लखनऊ शहर तक के लगभग १४ किलोमीटर लम्बे रास्ते पर बन्दनवारें सजाकर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। प्रधानमन्त्री ने लखनऊ और कानपुर में दिए गए अपने भाषणों में कांग्रेस की नीतियों से लेकर प्रतिपक्षी दलों की असफलता तक की चर्चा की। उन्होंने लखनऊ में हिन्दुस्तान एरोनाटिक लि० के पुर्जे बनाने वाले कारखाने तथा उर्दू सम्पादकों के सम्मेलन का उद्घाटन भी किया।

मन्त्रिमण्डल में व्यापक परिवर्तन :

८ तथा ९ नवम्बर, १९७३ को श्रीमती गांधी ने कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से दो क्रिस्तों में अपने मन्त्रिमण्डल में व्यापक फेरबदल किए। ८ नवम्बर को राष्ट्रपतिभवन में उत्तरप्रदेश

के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी को केन्द्रीय परिवहन और जहाजरानी मन्त्री के रूप में शपथ दिलाई गई। यह मन्त्रालय पहले श्री राजवहादुर के पास था। ६ नवम्बर को मन्त्रिमण्डल के विभिन्न विभागों में परिवर्तन किए गए। पर्यटन मन्त्री डॉ० कर्णसिंह को स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा गृह राज्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पंत को सिंचाई व विद्युत् मन्त्रालय का कार्यभार पूरी तरह से सौंप दिया गया। श्री आर. के. खाडिलकर को सप्लाई और पुनर्वास मन्त्रालय दिया गया। सप्लाई मंत्री श्री शाहनवाज खाँ को श्री वरुणा के मातहत पेट्रोल और रसायन राज्यमन्त्री नियुक्त किया गया। इनके अतिरिक्त कुछ उपमन्त्रियों के विभाग भी बदले गए। इसके अन्तर्गत श्री सिद्धेश्वर प्रसाद को सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में भेज दिया गया तथा उनके स्थान पर उद्योग मन्त्रालय में श्री दलवीरसिंह को भेजा गया। सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा को श्रम मन्त्रालय दिया गया तथा श्रम मन्त्रालय के श्री जी. वेंकट स्वामी को सप्लाई और पुनर्वास मन्त्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।

२६ नवम्बर, १९७३ को भारत और रूस के मध्य एक पन्द्रह वर्षीय आर्थिक और वाणिज्य समझौता सम्पन्न हुआ, जिसकी सफलता का श्रेय रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री ब्रेजनेव तथा इन्दिराजी के सम्मिलित प्रयासों को दिया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत रूस भारत को उसकी प्रमुख योजनाओं में सहायता देगा। इसमें उद्योगों के अतिरिक्त कृषिक्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। वास्तव में इस समझौते का लक्ष्य आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को द्रुत करना बतलाया गया। २६ नवम्बर से २६ नवम्बर १९७३ की श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा की यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

२ दिसम्बर, १९७३ को आपने खेखड़ा (मेरठ) में शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन के निर्माण कार्य के प्रारम्भ की रत्न-अदायगी

सम्पन्न की। ३ दिसम्बर अर्थात् सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महा-सचिव श्री ब्रेजनेव की भारत से रवानगी के चार दिनों के भीतर ही भारत को चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल के महामन्त्री डॉ. हुसाक का स्वागत करने का अवसर मिला। इस अवसर पर भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच उद्देश्यों और दृष्टिकोण की समानता पर जोर देते हुए इन्दिराजी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की स्थापना में ही दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि की स्वर्णिम सम्भावनाएँ हैं। ५ दिसम्बर को उनकी यात्रा की समाप्ति पर आपने संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। ७ दिसम्बर को श्री जे. वेंगलराव आंध्रप्रदेश कांग्रेस विधानमण्डल पार्टी के नेता निर्वाचित हुए। २३ दिसम्बर, १९७३ को कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने लाल किले के निकट प्रधानमन्त्री द्वारा भूमि में गाड़े गए कालपात्र को खोदकर निकालने का असफल प्रयास किया।

इस प्रकार सन् १९७३ का वर्ष देश के लिए ही नहीं, वरन् इन्दिराजी के लिए भी पर्याप्त कठिनता का वर्ष रहा है। १९७३ की समाप्ति तथा १९७४ के प्रारम्भ में हुए प्रेस सम्मेलन में जब श्रीमती गांधी से सन् १९७४ वर्ष के लिए सन्देश मांगा गया तो उन्होंने कहा कि १९७३ का वर्ष कठिन वर्ष रहा है, लेकिन फिर भी देश ने योग्यता के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया और संकट का सामना किया। मैं आशा करती हूँ कि अगला वर्ष सबके लिए सुखद साबित होगा।

सन् १९७४ : एक नई शुरुआत

सन् १९७४ के प्रारम्भ में श्रीमती गांधी ने पुनः व्यापक रूप में अपने मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन किए। सबसे उल्लेखनीय बात लगभग १० वर्ष के अन्तराल के बाद श्री केशवदेव मालवीय की इस्पात और खानमन्त्री के रूप में नियुक्ति थी। इसे श्री मोहनकुमार मंगलम के निधन के बाद से अस्थायी रूप से श्री टी.ए.पै. देख रहे

थे। इसके साथ ही साथ श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी संचार मंत्रालय का रूप में नियुक्त किए गए। इसी प्रकार श्री बुद्धप्रिय मौर्य कृपि राज्य मंत्री बनाए गए। श्री एम.वी. राणा को परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय से औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्रालय के उपमंत्री श्री प्रणवकुमार मुखर्जी को परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय में तथा कृपि राज्य मंत्री श्री शेरसिंह को संचार मंत्रालय में भेज दिया गया।

इधर उत्तरप्रदेश के चुनाव सन्निकट थे। ८ जनवरी, १९७४ को इन्दिराजी ने यहाँ का दौरा प्रारम्भ किया। इसी दिन आपने संडीला और वाराणसी में दो कपड़ा मिलों का शिलान्यास किया तथा खीरी में शारदा सहायक परियोजना के बाँध के निर्माण कार्य का उद्घाटन और गाज़ियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० के कारखाने का शिलान्यास किया। ९ जनवरी को श्रीमती गांधी ने रामपुर में रामपुर-हलद्वानी रेलमार्ग का शिलान्यास किया, करीमगंज में सहकारी चीनी कारखाने की आधारशिला रखी, बाँदा में एक पुल का शिलान्यास और कर्वी (बाँदा) में भारत में सबसे विशाल पीने के पानी की एक योजना का उद्घाटन किया, फ़तेहपुर में एक पुल तथा भाँसी के निकट एक कताई कारखाने का तथा एक भारी ट्रांसफार्मर कारखाने का शिलान्यास किया। १० जनवरी को श्रीमती गांधी मथुरा गई, जहाँ उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज में एक सहकारी चीनी मिल और थर्मल पावर संयंत्र का शिलान्यास किया, विजनीर के निकट दारानगर में गंगा पर पुल के निर्माण कार्य का शुभारम्भ और हरिपुरा (नैनीताल) में ५.५ करोड़ रुपये लागत के बाँध का उद्घाटन करने के अलावा मुरादाबाद-रामनगर छोटी रेल लाइन को बढ़ी में बदलने के कार्य का शिलान्यास भी किया। १३ जनवरी को प्रधानमंत्री ने बुलन्दशहर जिले के नरौरा कस्बे में एक परमाणु-शक्ति केन्द्र की आधारशिला रखी।

१३ जनवरी को ही इन्दिराजी ने राजधानी के गांधी दर्शन मैदान में छठवें साम्प्रदायिकता विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में भाषण करते हुए साम्प्रदायिकता के फैल रहे विष से देशवासियों को सचेत किया तथा कहा—“पिछले दो वर्षों में कुछ साम्प्रदायिक तत्व दोबारा से अपना सिर उठाने लगे हैं। ये तत्व हमारी प्रगति की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। हमें संगठित होकर उन साम्प्रदायिक तत्वों को कुचलने के लिए मुकाबला करना चाहिए।” उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि साम्प्रदायिकता रूपी जहरीले नाग से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व पाँच राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः नई दिल्ली (दिसम्बर, १९६६), नई दिल्ली (१९६८), इलाहाबाद (फरवरी, १९७०), नई दिल्ली (नवम्बर, १९७०) तथा भोपाल (जनवरी, १९७२) में आयोजित किए गए थे।

२२ जनवरी, १९७४ को लंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके दिल्ली पधारीं। इन्दिराजी उत्तर प्रदेश के अत्यधिक व्यस्त और तूफानी दौर से अस्वस्थ हो जाने के कारण उनकी अगवानी करने हवाई अड्डे नहीं जा सकीं। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमन्त्रियों के बीच आर्थिक समस्याओं पर खुल कर चर्चा हुई। इस वार्ता में लगभग डेढ़ लाख लंका में नागरिकता-रहित भारतीय प्रवासियों के भाग्य का निर्णय भी किया गया। २४ जनवरी को यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो का भारत आगमन हुआ। गणराज्य दिवस समारोह में इस वार श्रीमती गांधी, श्रीमती भण्डारनायके तथा मार्शल टीटो की एक साथ भेंट का एक सुन्दर संयोग बन गया था। तीनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से पारस्परिक हितों, आर्थिक समस्याओं, मध्य एशिया की स्थिति, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट आदि विषयों पर बातचीत हुई, जो काफी उपयोगी रही।

गुजरात का संकट :

इधर देश में सर्वत्र मँहगाई, भ्रष्टाचार, चोरवाजारी, खाद्यान्नों का अभाव आदि अनेक समस्याएँ अत्यन्त विषम होती जा रही थीं। इनके विरुद्ध सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देशव्यापी आन्दोलन छिड़ा, जिसकी आड़ में कुछ सत्ता विरोधी तत्वों को भी सिर उठाने का मौका मिल गया। वे लोग इस आन्दोलन के नाम पर कांग्रेस को सत्ताच्युत करने के स्वप्न देखने लगे। इस संघर्ष का प्रमुख केन्द्र गुजरात बना। यह सही है कि गुजरात-संकट के मूल में प्रदेश की आन्तरिक राजनीति भी प्रमुख थी। स्थिति दिनोंदिन विगड़ती चली गई। अन्ततः २७ जनवरी, १९७४ को गुजरात प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सूत्र, पूरी तरह से सेना को सौंप दिए गए। मँहगाई और खाद्यान्न के अभाव के विरुद्ध यह संघर्ष ६ जनवरी, १९७४ से चल रहा था। ६ फरवरी को तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल ने अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र राज्यपाल श्री के०के० विश्वनाथन को देते हुए विधानसभा को स्थगित कर अस्थायी राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। इसी दिन गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया। उल्लेखनीय है कि इस संकट को निपटाने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री ने विपक्ष की विधान सभा भंग करने तथा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग को मानकर अपनी उदारता का ही परिचय दिया।

५ फरवरी को दमिश्क जाते हुए यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो जब नई दिल्ली से होकर गुजरे तो इन्दिराजी ने उनके साथ हवाई अड्डे पर पुनः वार्ता की। १८ फरवरी को वहिष्कार, वहिगंमन तथा तनावभरे वातावरण में संसद का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। २४ फरवरी को मित्तल के राष्ट्रपति अनवर सादात भारत पधारे। इन्दिराजी की उनके साथ उपयोगी वार्ता हुई। इसी दिन उत्तरप्रदेश

के २३० निर्वाचन क्षेत्रों में भारी मतदान सम्पन्न हुआ। ८ मार्च को इन्दिराजी ने मालदीव के प्रधानमंत्री श्री अहमद जकी का स्वागत किया। ३१ मार्च को प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति ज्यूलियस न्येरेरे के साथ कलकत्ता विराम के दौरान बातचीत की। १ अप्रैल, १९७४ को भारत की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे। ३ अप्रैल को पूना विश्वविद्यालय द्वारा इन्दिराजी को डी.लिट्. की उपाधि से सम्मानित किया गया।

प्रथम परमाणु परीक्षण : महान् एवं क्रान्तिकारी उपलब्धि

हमारी प्रधानमंत्री का सदैव यही प्रयास रहा है कि न केवल राष्ट्रीय-स्तर पर, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का गौरव और उसकी प्रतिष्ठा सदैव बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में एक के बाद एक—कई क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। देश के हित में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उनके दृष्टिकोण में गम्भीरता और दूरदर्शिता सदा जागरूक रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर शक्ति-सन्तुलन की आड़ में बड़े और विकसित राष्ट्रों की खींचतान में भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की निरन्तर विषम और असहाय होती हुई स्थिति को श्रीमती गांधी ने अनुभव किया। वस्तुतः यह अनुभव तो बहुत पहले से ही किया जा रहा था, पर उसे क्रियान्वित करने का साहस किसी में भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इससे भारत की तटस्थता की विदेश नीति पर आँच आने का खतरा जो था। इन्दिराजी ने यह साहसिक पग बढ़ाया, जिसका सुपरिणाम सामने आया—१८ मई, १९७४ के दिन। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। इस दिन हमारे वैज्ञानिकों ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर समूचे विश्व को स्तम्भित कर दिया।

फलस्वरूप विश्व के पाँच एकाधिकारी राष्ट्रों का परमाणुशक्ति का एकाधिकार समाप्त हो गया। १८ मई, १९७४ को प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर राजस्थान के पोकरण क्षेत्र में यह परीक्षण किया गया। कहना न होगा कि इससे न केवल हमारे देश में छुपी अपूर्व प्रतिभा की उद्घोषणा हुई, बल्कि विश्व-रंगमंच पर भारत की प्रतिष्ठा का डंका बज उठा। उल्लेखनीय है कि किसी भी राष्ट्र ने अपना प्रथम विस्फोट भूमि में नहीं किया। भूगर्भीय विस्फोट करने में इन राष्ट्रों को पाँच-सात वर्ष लग गए। इस दृष्टि से भारत की यह तकनीकी उपलब्धि अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है।

इस सफल परमाणु-परीक्षण से पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने को उसी तरह अपमानित अनुभव किया, जैसा सन् १९७१ में बंगलादेश बनने के समय किया था। अमेरिकी समाचार-पत्रों ने तो चिढ़कर यहाँ तक लिख दिया कि सपेराँ और साधुओं का यह देश मई में विस्फोट करने के बाद वर्ष के अन्त में पुनः विश्व की विभिन्न राजधानियों में भीख माँगता मिलेगा। इतना ही नहीं, परोक्ष रूप में इन पत्रों ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तत्काल बंद कर देने तक की वकालत भी की। कनाडा ने न केवल भारत को परमाणु ऊर्जा सहायता बन्द करने की घोषणा की, बल्कि यहाँ तक धमकी दे डाली कि वह भारत को दी जाने वाली आँद्योगिक सहायता भी बन्द कर देगा। किन्तु, इनसे भारत ने तनिक भी साहस नहीं खोया। इन्दिराजी के सुयोग्य एवं साहसी नेतृत्व में देश ने प्रगति का यह महत्वपूर्ण सोपान पार करके ही दम लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्व को यह बतला दिया कि भारत को परमाणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े होने में तनिक भी रुचि नहीं है। वह तो परमाणुशक्ति का विकास शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही कर रहा है तथा आगे भी करता रहेगा।

२३ दिसम्बर, १९७४ को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं राजस्थान के पोकरण क्षेत्र के उस भाग का निरीक्षण

किया, जहाँ यह परमाणु-विस्फोट किया गया था। वे इस शक्ति का शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिकाधिक उपयोग देश के विकास कार्यों में करने को उत्सुक रही हैं, आपके इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे वैज्ञानिक पूर्ण तन्मयता के साथ जुटे हैं।

२८ जून, १९७४ को कच्छदीव श्रीलंका को देने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इधर सिक्किम की आन्तरिक स्थिति भारत के लिए सिर-दर्द बनती जा रही थी। जनता चोग्याल से जो अपेक्षाएँ कर रही थी, उन्हें वे पूरी करने को तैयार नहीं थे। वस्तुतः सहज स्थिति लाने के मार्ग में उनकी हठधर्मिता बाधक बनी हुई थी। २९ जून को चोग्याल के साथ इन्दिराजी की लगभग एक सौ मिनट तक गम्भीर वार्ता हुई। ३० जून को वार्ता का दूसरा दौर हुआ। इसके उपरान्त चोग्याल के लिए नये संविधान विधेयक को स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। वस्तुतः सामन्तवादी अहं तथा सरल जनतन्त्रीय भावनाओं के मध्य का यह संघर्ष बहुत तीव्र था। प्रधानमंत्री ने चोग्याल को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि वक्त के साथ बदलना उनका कर्तव्य है।

नयी अर्थनीति की घोषणा :

जुलाई, १९७४ का माह सत्तादल के लिए विशेष महत्व का रहा है। इसी माह में श्रीमती गांधी ने अपनी नई अर्थनीति की घोषणा उसी बेंगलोर में की, जहाँ कांग्रेस-विभाजन की नींव रखी गई थी। कुछ महीने पूर्व इन्दिराजी ने समूची स्थिति पर भारत सरकार के आर्थिक सलाहकारों की राय और सुझाव माँगे थे। उन्होंने प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर राष्ट्रीय अर्थनीति में सुधार के लिए ठोस निर्णय लिए। ११ जुलाई को उन्होंने बेंगलोर में घोषणा की कि धनी किसानों पर टैक्स लगाए जाएँगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बैंकों से अग्रिम राशि प्राप्त करने की पद्धति इस प्रकार से बदली जाएगी कि जमाखोरी में वृद्धि न होने पाए।

श्रीमती गांधी की इस घोषणा के फलस्वरूप बम्बई, कलकत्ता और कानपुर के बाजारों में एल्यूमीनियम, इस्पात तथा सोने के भाव लड़खड़ाने लगे। इन्दिराजी ने यह भी घोषणा की कि अब से अनाज और व्यापारिक फसलों के सम्बन्ध में सरकार की मूल्यनीति इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि मुद्रा-स्फीति को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आमदनी को नियन्त्रित करने या अतिरिक्त स्रोत उगाहने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनका सीधा असर खेतिहर क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। श्रीमती गांधी ने यह भी बतलाया कि राज्यों को किसी भी स्थिति में ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इन सभी सरकारी निर्णयों की सूचना बेंगलूर से लगभग १५ किलोमीटर दूर नाधरभावी नामक गाँव में स्थित 'सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन प्रतिष्ठान' का शिलान्यास करते हुए दी।

जुलाई के दूसरे सप्ताह में सिक्किम के मुख्यमंत्री काजी लेंदुप दोरजी के नेतृत्व में ३१ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली आया। उसने इन्दिराजी से भेंट कर इस बात के लिए अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की कि अन्ततः सिक्किम में जनता के शासन को मंजूरी मिल गई। इन्दिराजी ने प्रतिनिधिमण्डल को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि भारत सिक्किम के विकास के लिए बराबर सहायता देता रहेगा।

२१ जुलाई, १९७४ को प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी नेताओं से वार्ता की। २६ जुलाई को लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। लगभग १३ घण्टे की बहस के बाद यह प्रस्ताव ६१ के मुकाबले २६० मतों से गिर गया। अविश्वास-प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर देते हुए श्रीमती गांधी ने मुद्रा-स्फीति पर रोक लगाने सम्बन्धी विभिन्न कदमों की विस्तार से व्याख्या की। ६ अगस्त के ऐतिहासिक अवसर पर अखिल

भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से दिल्ली में एक विराट रेली आयोजित की गई। लगभग २ लाख युवकों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि वे समाज की वर्तमान बुराइयों को मिटाने में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें भारत की शक्ति और उसकी महानता को बनाये रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। १५ अगस्त को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में इन्दिराजी ने लाल किले की प्राचीर पर सदा की भाँति ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रवासियों को सन्देश देते हुए जनता को साहस और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का सामना करने की बात कही। उन्होंने कर्चोरी, मिलावट, जमाखोरी और काले धन का संग्रह करने वालों को भारतमाता के मस्तक का कलंक बतलाया।

१७ अगस्त, १९७४ को नये राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हुआ। २० अगस्त को मतगणना हुई, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी श्री फखरुद्दीन अली अहमद को निर्वाचित घोषित किया गया। २४ अगस्त को श्री अहमद को भारत के पाँचवें राष्ट्रपति के पद की औपचारिक शपथ दिलवाई गई।

इधर आयात लाइसेंस काण्ड के रूप में एक नया संकट इन्दिरा-सरकार के सम्मुख आया, जिसने देश भर में सनसनी-सी फैला दी। विपक्षी दलों को सत्ता कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में इस काण्ड से पर्याप्त बल मिला। इसे लेकर भाँति-भाँति की आलोचनाएँ की जाने लगीं। ३० अगस्त, १९७४ को श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आयात लाइसेंस के घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति तनिक भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इस विषय पर संसद में काफी खींचतान चली। ३ सितम्बर को लोकसभा में इसी मुद्दे पर लगभग साढ़े चार घण्टे तक बड़ी गरमा-गरम बहस चली। प्रतिपक्ष ने इस काण्ड की संसदीय जाँच की माँग की, जिसे लोकसभा ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसकी

सी० वी० आई० द्वारा विस्तृत जाँच पहले ही से चल रही थी। इन्दिराजी बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों के रख को समझने का प्रयास कर रही थीं। इस काण्ड के साथ विरोध रूप से श्री तुलमोहन राम तथा रेल मन्त्री श्री ललितनारायण मिश्र के नाम जुड़े हुए थे।

२ सितम्बर को सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ७ सितम्बर को यह विधेयक संसद द्वारा पास कर दिया गया। भारतीय राजनीति का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भारत की सिक्किम नीति को कड़ी आलोचना की, किन्तु इन्दिराजी ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उनके लिए तो राष्ट्रहित प्रमुख था। १२ सितम्बर, १९७४ को इस्लामावाद में भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलों में पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर वार्ता शुरू हुई। १४ सितम्बर को दोनों देशों के मध्य डाक तथा यात्रा-सुविधाओं के सम्बन्ध में समझौता सम्पन्न हुआ। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में इन्दिराजी का यह एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

१६ सितम्बर को इन्दिराजी ने विभिन्न राजनीतिक विषयों पर शेख अब्दुल्ला से वार्ता की। उनकी यह सबसे बड़ी खूबी रही है कि वे राष्ट्रीय हित की समस्याओं पर विभिन्न पक्षों के साथ खुल कर विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही अपने विवेक से कोई निर्णय लेती हैं।

इधर देश की आर्थिक अवस्था दिनोंदिन बिगड़ती जा रही थी। महंगाई, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी तथा तस्करी का बोनवाला हो रहा था। इसके कारण वहन प्रयासों के बावजूद भी देश आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहा था। इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक उपाय किए जाने लगे। इनमें प्रमुख तस्कर

विरोधी अभियान था। १८ सितम्बर, १९७४ को 'भीसा' के अन्तर्गत देशव्यापी अभियान में देश के सात बड़े तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। २८ सितम्बर को १७ और बड़े तस्कर पकड़ लिए गए। १ अक्टूबर को इन्दिराजी ने देश के सभी जमाखोरों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें इस राष्ट्र विरोधी कार्यवाही से वाज आने की सलाह दी। १० अक्टूबर, १९७४ को इन्दिराजी ने बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन किया।

१ नवम्बर को आपके तथा सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण के बीच राष्ट्रीय समस्याओं तथा राष्ट्रहित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से वार्ता हुई, किन्तु वह सफल नहीं हो सकी और बीच में ही भंग कर दी गई। ६ नवम्बर को पुनः दोनों नेताओं के मध्य वार्ता की सम्भावनाएँ तैयार करने के प्रयास हुए, किन्तु इन्दिराजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे जयप्रकाश वावू के साथ विहार विधानसभा भंग करने के प्रश्न पर किसी भी स्थिति में वार्ता करने को तैयार नहीं हैं। शेष सभी मुद्दों पर वार्ता के द्वार सदैव खुले हैं। २२ नवम्बर को रावलपिण्डी में भारत-पाक-विमान सेवा सम्बन्धी वार्ता बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गई। ३० नवम्बर को इस दिशा में तो नहीं, हाँ व्यापार पक्ष की ओर दोनों देश कुछ निकट आए, जिसके परिणाम-स्वरूप इसी दिन दिल्ली में भारत-पाक व्यापार-समझौता सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष के अन्तिम चरण में अनेक विदेशी अतिथियों ने भारत की यात्रा की, जिससे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर देश की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस सन्दर्भ में २ अक्टूबर को ईरान के शहंशाह, २१ नवम्बर को हंगरी के प्रधानमंत्री जेनो फौक, २६ नवम्बर को सूडानी राष्ट्रपति गफफ़ार मौहम्मद न्यूमेरी, २६ नवम्बर को पूर्व जर्मनी के प्रधानमंत्री होस्ट जिडरसन, २ दिसम्बर

को चैक प्रधानमंत्री लुवोमीर स्त्रूगल तथा ११ दिसम्बर को नेपाली प्रधानमंत्री श्री नागेन्द्र प्रसाद रिजाल की यात्रा उल्लेखनीय है ।

वस्तुतः सन् १९७४ के पहले छह महीनों में देश में ऐसी घटनाएँ घटित हुईं, जिनमें न केवल इन्दिराजी स्वयं, बल्कि उनकी समूर्चा कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से विषम स्थितियों से घिर गई। देश में मंहगाई बढ़ी, अनेक प्रदेशों में जनसंघर्ष हुए, गुजरात में विधान सभा भंग हुई तथा बिहार की विधानसभा को भंग करने का आन्दोलन तेज हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि उन दिनों लाठी और गोली जैसे रोजमर्रा की चीजें हो गईं थीं, भ्रष्टाचार का बोल-बाला हो गया।

इस वर्ष के शेष छह महीनों में सिक्किम को सहाराज्य का दर्जा मिलना तथा आयात लाइसेंस काण्ड प्रमुख घटनाओं के रूप में उभरकर सामने आए। कहना न होगा कि प्रथम घटना से श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई, जबकि दूसरी घटना ने उनके समक्ष एक विचित्र-सा संकट उत्पन्न कर दिया। इस काण्ड के सम्बन्ध में जब सी. बी. आई. ने अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को दी तो विपक्ष ने इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की जोरदार माँग की, जिसे गोपनीयता की दृष्टि में रखकर इन्दिराजी ने स्वीकार नहीं किया। इस पर काफी तनाव बन गया। यहाँ तक कि विपक्षी नेता श्री मोरारजी देसाई ने अनशन की घोषणा भी कर दी। स्थिति को उलभाव से बचाने तथा अविश्वास और आशंका के वातावरण को समाप्त करने के उद्देश्य से इन्दिराजी ने ५ दिसम्बर, १९७४ को सी.बी.आई. की जाँच रिपोर्ट को कुछ विपक्षी नेताओं को बतलाने की बात स्वीकार कर ली। ६ दिसम्बर को श्रीमती गांधी ने लाइसेंस काण्ड से सम्बन्धित सी.बी.आई. रिपोर्ट के दस्तावेजों को, गोपनीयता बनाये रखने की शपथ के साथ, विपक्षी नेताओं को बतलाने का प्रस्ताव किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

१३ दिसम्बर को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि १६ दिसम्बर से यह रिपोर्ट विपक्ष को अध्ययन हेतु उपलब्ध करा दी जाएगी। निश्चित समय पर यह कार्यवाही हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप विपक्षी नेताओं ने १६ दिसम्बर को लाइसेंस काण्ड की जाँच संसदीय समिति से कराने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसे इन्दिराजी ने स्वीकार नहीं किया। स्थितियाँ उलझती चली गईं। शनैः शनैः वातावरण ऐसा बनता गया, जिससे यह हवा बहने लगी कि निकट भविष्य में ही लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराए जाएँगे, किन्तु इन अटकलों का अन्त तब हो गया, जब २१ दिसम्बर, १९७४ को कांग्रेस संसदीय पार्टी में इन्दिराजी ने इस सम्भावना से इन्कार कर दिया।

सन् १९७५ : भयंकर विस्फोटों और क्रान्तिकारी उपलब्धियों का वर्ष

सन् १९७५ का वर्ष श्रीमती गांधी के लिए और भी अधिक कठिनाइयों और कड़ी अग्नि-परीक्षाओं को अपने साथ लेकर आया। आयात लाइसेंस काण्ड के धमाके की गूँज अभी समाप्त ही नहीं हो पाई थी कि अचानक इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई जनवरी के प्रारम्भ में ही बिहार में समस्तीपुर में किसी सभा में हुए बम-विस्फोट में रेलमंत्री श्री ललितानारायण मिश्र का मृत्यु हो गई। वर्ष के प्रारम्भ में एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडली साथी के निधन से श्रीमती गांधी को अपार दुःख हुआ। ४ जनवरी को बिहार के बलुआ बाजार में उनकी अन्त्येष्टि में आप भाग लिया।

१० जनवरी को इन्दिराजी ने नागपुर में आयोजित विहिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विद्वानों और लेखकों को कहा कि वे हिन्दी को सरल और ग्राह्य बनाएँ, जिससे यह जन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो सके। इन्दिन अपने पीनार आश्रम में आचार्य विनोबा भावे से भेंटकर उ मधुनिपेध तथा भूदान आन्दोलन की रजत-जयन्ती के सम्बन्ध

सरकारी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। ११ जनवरी को इन्दिराजी ने सभी मौसमों में खुले रहने वाले मंगलौर बन्दरगाह का उद्घाटन किया। १२ जनवरी को आपने मालदीव की यात्रा की। दूसरे दिन आपकी मालदीव के प्रधानमन्त्री श्री अहमद जकी के साथ पारस्परिक हितों पर काफी उपयोगी वार्ता हुई। आपने हिन्दी महासागर को सैन्य शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त शान्ति-क्षेत्र बनाये रखने पर विशेष बल दिया। १६ जनवरी को ईराक यात्रा के दौरान आपने ईराकी नेताओं से उपमहाद्वीप की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। २३ जनवरी को जाम्बिया के राष्ट्रपति श्री कौनेथ कौण्डा का आपने दिल्ली हवाई अड्डे पर भावभीना स्वागत किया। ५ फरवरी को इन्दिराजी ने राजस्थान के खेतड़ी नगर में प्रथम ताम्र परिशोधन संयंत्र का उद्घाटन किया।

कश्मीर-समझौता : एक नये अध्याय का प्रारम्भ

कश्मीर पिछले काफी लम्बे समय से भारत के लिए एक विषम समस्या बना हुआ था। यद्यपि भारतीय नेता अनेक बार यह स्पष्ट कर चुके थे कि यह भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, किन्तु पाकिस्तान इसे लेकर काफी हो-हल्ला मचाता रहा है। स्वयं शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथी जनमत-संग्रह की माँग करके इसे उलभाते रहे। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा इस दिशा में स्वयं पहल करके शेख अब्दुल्ला के साथ वार्ता प्रारम्भ की। मई, १९७२ में उन्होंने कश्मीरी नेता से कहा था कि वे कश्मीर में एक नये अध्याय की शुरुआत करना चाहती हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कभी प्रत्यक्ष तथा कभी विशिष्ट प्रतिनिधि-स्तर पर वार्ताओं के दर्जनों दौर चले। इससे पारस्परिक भ्रमों का निवारण हुआ तथा दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को समझने के प्रयास में परस्पर निकट आए, जिसका सुपरिणाम प्रधानमन्त्री तथा कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला के मध्य सम्पन्न हुए

समझौते के रूप में सामने आया । इस समझौते के मुख्य आधार इस प्रकार थे—

१. जम्मू व कश्मीर भारत का अंग है और संविधान की धारा ३७० के अन्तर्गत यह भारत से संबद्ध रहेगा ।
२. कानून बनाने का अधिकार तो राज्य के पास रहेगा, परन्तु केन्द्र सरकार भारत की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को चुनौती देने वाली कार्यवाहियों को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार अथवा भारत के किसी भाग को संघ से अलग करने अथवा राष्ट्रध्वज, संविधान व राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के लिए कानून बना सकेगी ।
३. भारतीय संविधान की जो धारा संशोधित करके जम्मू-कश्मीर में लागू की गई है, उसका ३७० धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति परिवर्तन अथवा समापन कर सकता है, परन्तु जिन धाराओं को परिवर्तित नहीं किया गया, वे लागू रहेंगी; उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।
४. राज्य विधान सभा १९५३ के बाद लागू किए गए कानून पर पुनः विचार करके आवश्यकता होने पर उन्हें बदल सकती है ।
५. राज्यपाल के अधिकारों, नियुक्ति आदि के बारे में तथा चुनावों के बारे में राज्य विधान सभा जो भी कानून बनाएगी, उन पर राष्ट्रपति की सहमति अवश्य प्राप्त करनी होगी ।

सहमति पत्र पर १३ नवम्बर, १९७४ को प्रधानमंत्री के दूत श्री जी० पार्थसारथी और शेख अब्दुल्ला के दूत मिर्जा अफ़ज़ल बेग के हस्ताक्षर हुए ।

वस्तुतः यह एक ऐतिहासिक समझौता था, जो इन्दिराजी के प्रयासों का ही परिणाम माना जा सकता है, जिसने लगभग २२ वर्षों के बाद शेख अब्दुल्ला को बिना चुनाव के ही विधानसभा में पदासीन किया। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की माँग की राजनीतिक सम्भावना प्रायः समाप्त हो गई। लोकसभा में इन्दिराजी ने आशा प्रकट की कि इस समझौते से जम्मू और कश्मीर राज्य के उन लोगों के साथ आपसदारी और सहयोग का एक नया युग आरम्भ होगा, जिन्होंने पिछले २० वर्षों से अपने को राष्ट्रीय जीवन की धारा से नहीं जोड़ा है। इस समझौते के अन्तर्गत २४ फरवरी, १९७५ को शेख अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर विधानमण्डल दल का नेता चुन लिया गया। इस समझौते का सभी पक्षों ने स्वागत किया। ३ मार्च, १९७५ को लोकसभा में इसे व्यापक समर्थन दिया गया।

२५ फरवरी, १९७५ को श्रीमती गांधी ने सोवियत रक्षा मन्त्री मार्शल ग्रेचको के साथ वार्ता की, जिसमें भारत तथा रूस के मध्य अधिकाधिक सहयोग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गवाही :

१८ मार्च, सन् १९७५ का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए एक असाधारण महत्व का दिन था। इस दिन संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में पहली बार भारतीय प्रधान मन्त्री ने 'गवाह' के रूप में इलाहाबाद की अदालत में पाँव रखा। इस दिन उनकी रायवरेली से लोकसभा के सन् १९७१ के मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत याचिका के संदर्भ में गवाही होनी थी। यह याचिका श्रीमती गांधी के तत्कालीन पराजित प्रतिद्वन्दी श्री राजनारायण (उस समय संसदीय व अव भालोद के नेता) द्वारा चार वर्ष पूर्व अप्रैल १९७१ में दायर की गई थी। इसमें श्रीमती

गांधी के निर्वाचन को भ्रष्ट तरीके अपनाने के आधार पर चुनौती दी गई थी। प्रमुख-मुद्दे इस प्रकार थे—

१. मतदाताओं को रजाई, कम्बल और धोतियाँ बाँटी गईं, ताकि वे श्रीमती गांधी को ही वोट दें।
२. श्रीमती गांधी द्वारा अपने चुनाव पर निर्धारित ३५ हजार रुपये के चुनाव-खर्च के स्थान पर १५ लाख रुपया खर्च किया गया।
३. भारतीय वायु सेना के विमानों, हेलीकॉप्टरों और कर्म-चारियों का प्रयोग।
४. मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाने के लिए वाहनों का प्रयोग।
५. चुनाव में विजय के अवसर बढ़ाने के लिए सरकारी कर्म-चारियों की सेवा-प्राप्ति।
६. गाय-बछड़े के धार्मिक चुनाव-चिह्न का प्रयोग।

इनमें प्रमुखता चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रधानमंत्री सचिवालय के भूतपूर्व अधिकारी श्री यज्ञपाल कपूर की भूमिका तथा कांग्रेस चुनाव-चिह्न गाय-बछड़े का धार्मिक प्रतीक के रूप में व सरकारी साधनों का चुनाव के लिए प्रयोग आदि मुद्दों को दी गई।

श्री राजनारायण के अधिवक्ताओं में ११ सदस्य थे, जिनमें श्री शान्तिभूषण प्रमुख थे, जब कि श्रीमती गांधी के अधिवक्ताओं की ११ सदस्यीय सूची में श्री एन०ए० पालकीवाला प्रमुख थे।

१८ मार्च, १९७५ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अदालत में प्रधानमंत्री की दो-दिवसीय गवाही प्रारम्भ होने से कुछ देर पूर्व एक व्यक्ति का भरी पिस्तौल सहित पकड़ा जाना एक विचित्र चिन्ता का विषय बन गया। वस्तुतः यह कार्य एक हल्के

ढंग से उस महत्व को कम करने का विफल प्रयास था, जो सामान्य नागरिक की भाँति प्रधानमन्त्री जैसी सर्वमान्य हस्ती के इच्छापूर्वक और आदरपूर्वक अदालत में उपस्थित होने से न्याय-व्यवस्था को मिला। संसद के 'दोनों सदनों' में दलीय मतभेद भुलाकर इस घटना की निन्दा तथा प्रधानमन्त्री की बेहतर सुरक्षा की चिन्ता व्यक्त की गई। पकड़ा गया व्यक्ति स्थानीय 'श्री विजय' नामक छोटे साप्ताहिक का सम्पादक गोविन्द मिश्र था। लगभग ३० वर्षीय यह युवक लगभग ६-३० वजे दिन को न्यायालय के कमरा नं० २४ में, जहाँ प्रधानमन्त्री को गवाही देनी थी, काला कोट व सफेद पतलून पहने १२ वोर की एक देशी पिस्तौल लिए बिना इजाजत घुसने का प्रयास कर रहा था।

गवाही के इस ऐतिहासिक अवसर पर पहली मंजिल पर एक अलग कमरे में व्यवस्था की गई। कड़ी पावन्दी के अधीन न्यायाधीश श्री के. वी. अस्थाना के आदेशानुसार गिने-चुने प्रवेश-पत्र जारी किए गए थे। कमरे में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। कुल ४८ व्यक्ति आने दिए गए, जिनमें श्रीमती गांधी की पुत्रवधू श्रीमती सोनिया गांधी भी थीं। सर्वश्री पीलू मोदी, ज्योतिर्मय वसु, रविराय, व मधु लिमये श्री राजनारायण के पैरोकार के रूप में उपस्थित थे।

न्यायाधीश श्री जगमोहनलाल सिन्हा की अदालत में श्रीमती गांधी ने न्यायाधीश के पधारने के तीन मिनट बाद रजिस्ट्रार श्री वी. सी. जौहरी के साथ अलग दरवाजे से ठीक दस वजे प्रवेश किया और न्यायाधीश को झुककर अभिवादन करने के बाद उनके सामने उनके वरावर ऊँचाई पर रखी एक कुर्सी पर आसन ग्रहण किया। साथ में मेज़ भी थी। न्यायाधीश के आदेशानुसार अदालत की मर्यादा के अधीन प्रधानमन्त्री के आने पर किसी ने खड़े होने का उपक्रम नहीं किया। उल्लेखनीय है कि यह सम्मान अदालत में केवल

न्यायाधीश को ही दिया जाता है। गवाही लगभग चार घण्टे चली तथा इस अवधि में न्यायाधीश ने उन्हें 'गवाह' कहकर ही सम्बोधित किया। प्रधानमन्त्री ने इस तथ्य को भलीभाँति स्पष्ट किया कि श्री कपूर को नामजदगी पत्र भरने के बाद ही उन्होंने अपना चुनाव-एजेण्ट नियुक्त किया था। नामजदगी पत्र १ फरवरी, १९७१ को भरा गया था।

गुजरात-चुनाव : तनाव का एक और मुद्दा

इधर गुजरात विधानसभा को भंग हुए काफी समय व्यतीत हो चुका था तथा राष्ट्रपति-शासन की अवधि को निरन्तर बनाये रखा जा रहा था। इससे विपक्षी दलों को यह आशंका हुई कि श्रीमती गांधी अनुकूल समय की प्रतीक्षा में चुनावों को टालने का प्रयास कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रख कर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर गुजरात में तुरन्त चुनाव कराने की जोरदार माँग की। इससे तनाव तथा उलझनें सहज ही अपेक्षाकृत बढ़ गईं। इन्दिराजी ने अनेक बार स्पष्ट कर दिया कि सरकार वर्षा ऋतु के बाद चुनाव कराने का विचार कर रही है, किन्तु विपक्षियों को इतना धैर्य नहीं था।

चुनाव के इस मुद्दे को लेकर इन्दिराजी तथा विपक्षियों में जैसे ठन-सी गई। समस्या के समाधान के लिए इन्दिराजी व मोरारजी के बीच विस्तार से बातचीत भी हुई, किन्तु उसका कोई सुपरिणाम सामने नहीं आया। ४ अप्रैल, १९७५ की-उनकी वार्ता पूर्णतः विफल हो गई। ७ अप्रैल से श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात में चुनावों की माँग को लेकर आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। प्रधानमन्त्री के सम्मुख एक और विषम धर्म-संकट आ गया। उन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विभिन्न सूत्रों से मोरारजी को समझाने-बुझाने के भरसक प्रयास किए, किन्तु सब व्यर्थ रहे। अन्त में, इन्दिराजी ने तनाव मिटाने तथा स्थितियों को सहज बनाने के उद्देश्य से, सम्भव

न होते हुए भी, मोरारजी के वर्षाकाल से पूर्व ही गुजरात में चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सात दिनों के उपरान्त अर्थात् १३ अप्रैल को मोरारजी देसाई ने अपना अनशन समाप्त किया। अनशन समाप्त के तुरन्त बाद ही मोरारजी ने गुजरात में वर्षा काल से पहले ही चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उसी दिन संध्या ४ बजे श्री देसाई को इन्दिराजी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने ७ जून, १९७५ के आसपास चुनाव कराने का आश्वासन दिया। इन्दिराजी ने मोरारजी की आपत्काल समाप्त करने सम्बन्धी दूसरी माँग को अस्वीकार कर दिया, किन्तु यह आश्वासन अवश्य दिया कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को सही और वास्तविक राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। प्रधान मन्त्री के इस उदारतापूर्ण निर्णय को सर्वत्र प्रशंसा की गई।

प्रधानमंत्री ने अपने इस निर्णय के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि गुजरात में वर्षा से पहले चुनाव की बात उन्होंने और किसी कारण से नहीं, मोरारजी के प्राण बचाने की मानवीय आवश्यकता के कारण मानी है। इस रूप में इन्दिराजी निश्चय ही धन्यवाद और प्रशंसा को पात्र रही हैं।

८ तथा ११ जून, १९७५ को गुजरात में चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। १३ जून को विधानसभा की स्थिति स्पष्ट हो गई, जिसके अनुसार विधानसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। १४ जून को जनता मोर्चे ने गुजरात में सरकार बनाने की इच्छा व्यक्त की तथा १६ जून को 'किमलोक' के समर्थन से विधानसभा में जनता मोर्चे को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। इस आधार पर १७ जून को जनता मोर्चे के नेता श्री बाबूभाई पटेल को सरकार बनाने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया तथा १८ जून को श्री पटेल ने गुजरात के नये मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

अन्तरिक्ष-युग में भारत का प्रवेश : 'आर्यभट्ट'

यह सत्य है कि भारत में आर्थिक विषमताओं के बावजूद भी प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। आवश्यकता प्रतिभा को प्रोत्साहित कर सामने लाने की है। हमारा देश वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, यह स्वप्न पं. नेहरू ने तथा शास्त्रीजी ने देखा था। इन्दिराजी भी इसका अपवाद नहीं कही जा सकतीं। आपके कुशल नेतृत्व में देश ने परमाणु-विस्फोट के द्वारा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इसी प्रकार का एक और नया कीर्तिमान भारत दूसरे ही वर्ष स्थापित कर सकेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। जब भारत ने अपना प्रथम उपग्रह 'आर्यभट्ट' अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया तो विश्व के अनेक देश आश्चर्य में पड़ गए।

३६० किलोग्राम भारी यह उपग्रह १६ अप्रैल, १९७५ को भारतीय समय के अनुसार दिन के एक बजे रूस की राजधानी मस्क्वा से थोड़ी दूर वियर्स भील के पास सोवियत प्रक्षेपण स्थल से अन्तरिक्ष में फेंका गया। सोवियत अन्तर कॉस्मॉस रॉकेट द्वारा प्रक्षिप्त यह उपग्रह लगभग ६६.४१ मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करने लगा। इस उपग्रह का निर्माण मुख्य रूप से विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने किया तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और अन्तरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए उपग्रह में रखे जटिल यंत्र भी भारत में ही बनाए गए। किन्तु, कुछ ऐसे यंत्र सोवियत संघ से प्राप्त हुए, जिनका निर्माण साधनों के अभाव में भारत में सम्भव नहीं था।

'आर्यभट्ट' का महत्व भारतीय सन्दर्भ में वही माना जा सकता है, जो पहले रूसी कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक-१ का था। उल्लेखनीय है कि भारत का यह प्रथम उपग्रह स्पूतनिक-१ की अपेक्षा काफी बड़ा है। अन्तरिक्ष अनुसन्धान के वर्तमान कार्यक्रम में 'आर्यभट्ट-प्रथम'

की तरह ही दूसरा कृत्रिम उपग्रह शीघ्र ही अन्तरिक्ष में भेजने की योजना है ।

वस्तुतः भारत ने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' जितनी सफलता के साथ अन्तरिक्ष में स्थापित कर जिस गौरव और सहजता के साथ अन्तरिक्ष-युग में प्रवेश किया, वह निश्चय ही स्तुत्य है । देश की यह एक महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी उपलब्धि थी, जो प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अपूर्व राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की एक प्रमुख कड़ी कही जा सकती है ।

सिक्किम का भारत में विलय : एक और क्रान्तिकारी उपलब्धि

सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दे दिए जाने पर भी सिक्किम की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया । भीतर ही भीतर चोग्याल तथा जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के मध्य मतभेद और तनाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था । सन् १९७३ में इन्दिराजी के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप दोनों पक्ष एक दूसरे के निकट आए थे । १ मई, १९७३ के दूसरे सप्ताह में विदेश सचिव श्री केवलसिंह गंगटोक गए तथा उनकी उपस्थिति में ८ मई, १९७३ को चोग्याल तथा सम्बन्धित पक्षों के बीच प्रशासन और व्यवस्था के जनवादीकरण की दृष्टि से समझौता हुआ । इस समझौते के अनुसार सिक्किम के वैदेशिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों की देख-रेख के अलावा भारत सरकार के लिए सिक्किम की जनता के बुनियादी अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा का दायित्व निश्चित किया गया । ९ मई को सिक्किम का नया संविधान प्रकाशित हुआ । समझौते का स्वागत सिक्किम की सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रमुख राज-नेताओं ने किया । कार्यकारी समिति के अध्यक्ष काजी लेंद्रुप दोरजी ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम सिक्किम की जनता की शुभकामनाएँ एवं कृतज्ञता भेजीं ।

समझौते के बावजूद भी तनाव नहीं मिट पाया । चोग्याल अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे थे ।

यहाँ तक कि वे इसके लिए हिंसक कार्यवाहियों में भी संकोच नहीं कर रहे थे। अन्ततः ८ अप्रैल, १९७५ को सिक्किम के मुख्यमंत्री काजी लेंदुप दोरजी को विवश होकर चोग्याल के निष्कासन की भारत सरकार से माँग करनी पड़ी। प्रधानमंत्री काफी समय से सिक्किम की स्थितियों का गम्भीरतापूर्वक जायज़ा ले रही थीं। ९ अप्रैल को सिक्किम के शाही रक्षकों से जवर्दस्ती शस्त्र रखवा लिए गए। इधर सिक्किम की जनप्रतिनिधि सरकार तथा जनता—दोनों का ही सिक्किम के भारत में विलय का आग्रह निरन्तर बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि सिक्किम के मुख्यमंत्री काजी लेंदुप दोरजी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट कर उनसे आग्रह किया कि वे सिक्किम की जनता की इच्छा को देखते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाएँ। इन्दिराजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत सरकार समूची समस्या से भलीभाँति परिचित है तथा वह सिक्किम की जनता की इच्छा का आदर करती है।

१४ अप्रैल, १९७५ को सिक्किम के भारत में विलय के सम्बन्ध में जनता की राय जानने के उद्देश्य से सिक्किम में जनमत-संग्रह करवाया गया। परिणाम आशानुकूल ही रहे। सिक्किम की जनता ने भारी बहुमत के साथ औपचारिक रूप से अपनी इच्छा की सार्वजनिक घोषणा कर दी। मतदान की घोषणा के तुरन्त बाद ही मुख्यमंत्री श्री दोरजी अपने मन्त्रिमण्डल के पाँच सहयोगियों के साथ एक विशेष विमान ने दिल्ली पहुँचे तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में इन्दिराजी के साथ लगभग आधा घण्टे तक बातचीत की। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दोरजी ने कहा कि सिक्किम की जनता मतदान के परिणामों से खुश है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के प्रश्न पर विपक्षी नेताओं को पूर्णतः विश्वास में लेकर ही आगे पग बढ़ाया। बैठक में उन्होंने प्रतिपक्षी नेताओं को उन सब परिस्थितियों से परिचित कराया, जिनके कारण सिक्किम विधान-सभा को जनमत-संग्रह करवाना पड़ा।

वस्तुतः सन् १९७४ में सिक्किम में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के बाद से ही यह स्पष्ट हो गया था कि सिक्किमी जनता अब अधिक दिनों तक चोग्याल को बर्दाश्त नहीं करेगी। चोग्याल कुछ और समय तक बने रह सकते थे, पर वस्तुस्थिति को समझने तथा जनता की इच्छाओं का आदर करने के स्थान पर हिंसा का वातावरण बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस मुद्दे को लेकर चोग्याल ने भारतविरोधी वक्तव्य तक देने प्रारम्भ कर दिए थे।

जनमत-संग्रह के परिणामों की घोषणा से वातावरण और अधिक अनुकूल बना। सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के संबंध में भारतीय लोकसभा ने २३ अप्रैल, १९७५ को संविधान में संशोधन पारित करके सिक्किम को भारत का नया राज्य बना लिया। इससे पूर्व १९ अप्रैल को सिक्किम विधेयक के प्रारूप का मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। यह विधेयक २१ अप्रैल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार सिक्किम के भारत में विलय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हुई। स्वतन्त्रता से पूर्व सिक्किम देशी रियासत थी। वहाँ के महाराजा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे। सन् १९२१ से ही, जब से यह गठित हुआ, भारत के स्वतन्त्र होने पर सन् १९४७ तक संचार, विदेशी मामलों और कानून का अन्तिम दायित्व भारत सरकार पर ही पड़ा। जब १९७३ में सिक्किम में कांग्रेस ने ३२ में से ३१ सीटें चुनावों में जीतीं, संविधान में ३५वें संशोधन से सिक्किम को भारत का सह-राज्य बनाया गया था। चोग्याल जब चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम नहीं कर सके तब १० अप्रैल, १९७५ को वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तथा जनमत-संग्रह करवाया गया। वस्तुतः यह तनाव सन् १९७० के चौथे आम चुनाव के बाद से ही प्रारम्भ हो

गया था। इस प्रकार इस लम्बी समस्या का समाधान इन्दिराजी के सुप्रयासों और साहसिक कदमों के फलस्वरूप सहज ही हो गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्दिराजी ने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार सिक्किम की जनता की इच्छाओं का आदर करेगी। दूसरे शब्दों में, सिक्किम को भारत का अविच्छिन्न अंग माना जावेगा।

सिक्किम के विलय की भारतीय नीति की चीन तथा पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना करते हुए उस पर सिक्किम को हड़प लेने का आरोप लगाया, किन्तु इन्दिराजी ने इन आलोचनाओं की तनिक भी परवाह न करते हुए उनका करारा उत्तर दिया। उनके विचार में चीन और पाकिस्तान का दृष्टिकोण इस मामले में आत्मविरोधी है, क्योंकि चीन ने कुछ वर्ष पहले विना जनमत-संग्रह के ही तिब्बत को हड़प लिया था तथा पाकिस्तान ने हुंजा को निगल लिया था। इस रूप में दोनों देशों को इस मामले में भारत की आलोचना करने का तनिक भी अधिकार नहीं है।

भारत के २२वें राज्य की हैसियत से सिक्किम के भारत में विलय की वैधानिक प्रक्रिया १६ मई, १९७५ को पूरी हुई। यह प्रक्रिया १४ अप्रैल, १९७५ से प्रारम्भ हुई थी। १६ मई को प्रातः राष्ट्रपति अहमद ने २६ अप्रैल को संसद द्वारा पारित विलय संवधि ३६वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान की। सिक्किम के प्रथम राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति ने श्री वी०वी० लाल को नियुक्त किया।

२२ अप्रैल को श्रीमती गांधी ने चुनाव-सुधार के सम्बन्ध में विपक्ष के नेताओं के साथ वार्ता की। २४ अप्रैल को आपने गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। २६ अप्रैल को क्रिस्टन जाते हुए बंगलादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब जब दिल्ली से होकर गुजरे तो प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उनके साथ बदली हुई स्थितियों पर

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में विस्तृत वार्ता की। २७ अप्रैल को आप राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने हेतु किंग्स्टन रवाना हुईं। २८ अप्रैल को किंग्स्टन पहुँचने पर इन्दिराजी का भव्य स्वागत किया गया। किंग्स्टन में आयोजित राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में पहले ही दिन श्रीमती गांधी ने अपने खास अन्दाज़ में अमीर व गरीब देशों के सम्बन्धों तथा बदलती हुई विश्वराजनीति को लेकर साफ-साफ बात कहीं। उन्होंने रंगभेद, उपनिवेशवाद तथा गरीबी को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा कि संसार से रंगभेद का रोग समाप्त किया जाना चाहिए और राष्ट्रकुल के अमीर व गरीब देशों को आर्थिक विषमता के सवाल से भी जूझना होगा तथा इस सम्बन्ध में आपसी सहयोग कायम करना होगा।

कुछ वर्ष पूर्व प्रशासन सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र व राज्य सरकारों को प्रशासन-सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए, जिन पर अमल नहीं हो पाया था। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों को कई निर्देश दिए तथा इस बात की कड़ी ताकीद भी की कि निर्णयों पर तुरन्त ही अमल होना चाहिए तथा लालफीताशाही की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला : देश-व्यापी 'इन्दिरा विरोधी' लहर

२३ मई, १९७५ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रधान मन्त्री के विरुद्ध श्री राजनारायण की चुनावयाचिका की सुनवाई पूरी हो गई। इसके उपरान्त देश-विदेश के सभी लोगों के मन में निर्णय के प्रति उत्सुकता होना सर्वथा स्वाभाविक ही था। अन्त में १२ जून, १९७५ को यह याचिका अदालत द्वारा स्वीकार कर ली गई। २५८ पृष्ठों के निर्णय में न्यायमूर्ति श्री जगमोहनलाल सिन्हा ने न केवल श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया, वरन् फैसले के दिन से ६ वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ पाने के अयोग्य भी करार दे दिया।

न केवल भारतीय राजनीति के इतिहास में, बल्कि समूची भारतीय न्याय-व्यवस्था के इतिहास में यह एक अत्यधिक क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक निर्णय माना जा सकता है, जिसने भारत और समूचे विश्व में एक विचित्र-सी हलचल और सनसनी उत्पन्न कर दी। इन्दिराजी जैसी लोकप्रिय जननेता के चुनाव को अवैध घोषित कर देना सचमुच एक अत्यन्त साहसिक कदम था। किन्तु, फंसला सुनाने के तुरन्त बाद ही श्रीमती गांधी के वकील की अर्जी पर श्री सिन्हा ने स्वयं यह स्थगन आदेश भी दिया कि उनके निर्णय का कार्यान्वयन २० दिनों तक नहीं होगा। इसी दिन श्री राजनारायण की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में 'चेतावनी-पत्र' (क्वोट) दाखिल किया गया। इस कार्यवाही के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्रीमती गांधी जो भी याचिका दाखिल करेंगी, उसकी अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को श्री राजनारायण के पास भेजनी होगी। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने अपने निर्णय में कहा—

“याचिका स्वीकृत की जाती है और श्रीमती इन्दिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी नं. १ (यानी श्रीमती गांधी) को चुनाव कानून की धारा १२३(७) के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों अर्थात् रायवरेली के जिलाधोश, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) और जल-विद्युत अभियंता की; अपनी चुनावो सम्भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए ली गई सहायता का दोषी पाया जाता है।

इसके अलावा श्रीमती गांधी ने चुनाव कानून की धारा १२३(७) के अन्तर्गत भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाएँ प्राप्त कीं, जो भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल है। वह उसके लिए भी दोषी हैं। अतः

चुनाव कानून की अनुधारा ८(१) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ६ वर्ष तक के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के आयोग्य करार दिया जाता है।”

इनके अतिरिक्त श्रीमती गांधी के अभिकर्ताओं द्वारा लोगों को धोतियाँ, कम्बल, लिहाफ, शराब आदि वाँटने, चुनाव केन्द्रों तक वाहनों द्वारा पहुँचाने तथा गाय-बछड़े का धार्मिक चिह्न के रूप में प्रयोग करने आदि आरोपों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई। वस्तुतः १२ जून का दिन श्रीमती गांधी के लिए बहुत अशुभ सिद्ध हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से तो उन्हें आघात लगा ही, उसी दिन उनके निकटतम सहयोगी एवं राजनीतिक परामर्शदाता श्री दुर्गाप्रसाद धर का आकस्मिक निधन भी हुआ, जो इन्दिराजी के लिए एक अपूरणीय क्षति था। भारत व रूस को एक-दूसरे के इतने निकट लाने का उनका श्रेय भुलाया नहीं जा सकता।

श्रीमती गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने समूचे देश में एक विचित्र-सी हलचल मचा दी। विरोधियों को अपार शक्ति मिल गई, परिणाम-स्वरूप देशव्यापी 'इन्दिरा-विरोधी' लहर तेज गति से चल पड़ी। जहाँ-तहाँ से इन्दिराजी से त्यागपत्र की माँग की जाने लगी। किन्तु, दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी था, जो देश के प्रति उनकी सेवाओं को अपने मन में सँजोए हुए था। उसकी ओर से इन्दिराजी के समर्थन में विशाल रैलियों का आयोजन किया गया।

उक्त फैसले तथा उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रख कर इन्दिराजी की ओर से तत्काल उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश के लिए अपील की गई। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-कालीन न्यायमूर्ति श्री वी. आर. कृष्ण अय्यर ने २४ जून, १९७५ को श्रीमती गांधी के आवेदन पर सशर्त स्थगन आदेश दिया, जिसके

अनुसार वह मुकदमे का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के अपने अधिकार से वंचित रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उनका अधिकार बना रहेगा। श्रीमती गांधी और श्री राजनारायण दोनों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे यदि चाहें तो १४ जुलाई को न्यायालय खुलने पर उस निर्णय के विरुद्ध दावा दायर कर सकते हैं।

निर्णय सुनाए जाने के तत्काल बाद ही देश में राजनीतिक सरगमियाँ तेज हो गईं। असन्तुष्टों ने जहाँ त्यागपत्र की माँग की, वहीं १८ जून को कांग्रेस संसदीय दल ने उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर तथा २० जून को कांग्रेस पार्टी ने राजधानी में विशाल रैली का आयोजन कर उनके प्रति पूर्ण समर्थन प्रकट करते हुए पद पर बने रहने का अनुरोध किया। इस अवसर पर इन्दिराजी ने अपने भाषण में कहा कि बाहरी और भीतरी शक्तियाँ मेरे चरित्र-हनन में लगी हुई हैं। मगर मैं अन्तिम साँस तक देश की एकता और सुदृढ़ता के लिए काम करती रहूँगी। आपने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा इन शब्दों में व्यक्त की—“प्रश्न यह नहीं है कि इन्दिराजी प्रधानमंत्री रहती हैं या नहीं। मैंने वचन से अपने देश की सेवा की है और मैं अन्तिम साँस तक करती रहूँगी।”

आपात् स्थिति की घोषणा : राष्ट्रहित में एक कठोर कदम

जब अव्यवस्था और अनुशासनहीनता की स्थिति निरन्तर जटिल होती गई तो विवश होकर श्रीमती गांधी को २६ जून, १९७५ को देश में आपात् स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। राष्ट्र को विघटन से बचाने तथा अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए यह एक अत्यावश्यक किन्तु कठोर कदम था, जो श्रीमती गांधी के दृढ़ एवं साहसी व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी गड़बड़ियाँ जहाँ की तहाँ थम गईं, सारी हलचल शान्त हो गई तथा देश सामान्य और सहज गति से गतिशील बना रहा।

आपात् स्थिति की घोषणा की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। विरोधियों ने जहाँ इसकी कड़ी आलोचना की, वहीं समर्थकों ने इसका स्वागत किया। इन्दिराजी ने देश की काया पलट देने का संकल्प मन में सँजोया। अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का उद्देश्य लेकर १ जुलाई, १९७५ को राष्ट्रवासियों को सम्बोधित करते हुए आपने देश के विकास के लिए '२१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम' की घोषणा की। २६ जून को व्यापारियों को दुकानों पर मूल्य-सूचियाँ टाँगने का आदेश प्रसारित किया गया।

दिल्ली के ४७ सम्पादकों ने ६ जुलाई, १९७५ को प्रधानमन्त्री द्वारा उठाए गए सभी कदमों में अपनी आस्था व्यक्त की, जिनमें समाचार-पत्रों पर लगाया गया सेंसर भी शामिल है। १४ जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में 'समान विचारधारा वाले दलों और जनता' की सहायता व सहयोग से विभिन्न स्तरों पर एक ऐसे 'तन्त्र' की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा श्रीमती गांधी द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रमों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। आपातकालीन स्थिति पर समिति के चार पृष्ठों के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि इस स्थिति की घोषणा देश की कठिन और दुरुह होती आर्थिक स्थिति को मद्दे नज़र रखते हुए अत्यन्त आवश्यक हो गई है।

आपात् स्थिति की घोषणा को अनेक लोगों ने 'तानाशाही की ओर बढ़ा एक कदम' तथा 'लोकतन्त्र की हत्या' के रूप में ग्रहण कर श्रीमती गांधी पर अनेक आरोप लगाए, किन्तु इन्दिराजी ने विभिन्न अवसरों पर दिए अपने वक्तव्यों में अपने दृष्टिकोण को भली भाँति स्पष्ट करने का प्रयास किया। लन्दन के 'संडे टाइम्स' तथा 'ऑब्ज़र्वर' के प्रतिनिधि को दी गई भेंट में प्रधानमन्त्री ने कहा कि,

‘भारत ने लोकतन्त्र को तिलांजलि नहीं दी है। हमारे लोकतन्त्र की बुनियाद बहुत गहरी है और हम उसके मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं।’ उनके अनुसार लोकतन्त्र जिन्दगी का एक तरीका है, जो सरकार से खुले दिलो-दिमाग की ओर हर नागरिक से और विशेषकर जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, उनसे अनुशासन और जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। संसद के दोनों सदनों में दिए गए अपने वक्तव्य में श्रीमती गांधी ने कहा—“मैं क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेती। लेकिन जब निर्णय लेती हूँ तो बहुत सोच-विचार कर और फिर उस पर अमल करती हूँ।” निश्चित रूप से इन्दिराजी के इस वक्तव्य में आवेश नहीं था, बल्कि उसे सुनकर ऐसा लगता था कि उन्होंने पिछले दिनों हुई घटनाओं पर बहुत सोच-विचार किया है और कुछ खास निष्कर्षों पर पहुँची हैं। प्रधानमन्त्री के इस वक्तव्य का आशय यही था कि आपात्काल हमेशा के लिए आवश्यक नहीं है, मगर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोगों को मनमानी करने की छूट दी जाएगी।

२० जुलाई, १९७५ को श्रीमती गांधी ने कांग्रेसी सदस्यों को सम्बोधित करते हुए आपात्काल के सन्दर्भ में उन्हें उन नई जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आपात्काल ने पार्टी पर नई जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। सदस्यों को जनता के कष्ट दूर करने के लिए हरसम्भव प्रयत्न करने चाहिए। कुछ लोगों ने जब आपात् स्थिति की घोषणा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के साथ जोड़ने की कोशिश की तो प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट कर दिया—“मैं यह साफ कर देना चाहती हूँ कि आपात्कालीन स्थिति का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अदालत के फैसले से राष्ट्र को जो धक्का पहुँचा, प्रतिपक्ष ने उसका नाजायज़ फायदा उठाने की कोशिश की। ३ अगस्त, १९७५ को मेक्सिको के एक साप्ताहिक पत्र ‘सीपरे’ से भेंट-वार्ता में कहा—“मैं साधारणतः देश को केवल पार्टी की निगाह से नहीं देखती।

हम प्रतिपक्ष से नहीं लड़ रहे। हम कुछ आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं—हम ऐसे उदोयमान भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अपनी जनता के जीवन को सुखी बनाने और विश्वशान्ति के वास्ते ताकत का इस्तेमाल करे। यह रास्ता सचमुच लम्बा और मुश्किल है।”

लोकसभा ने भी अच्छे बहुमत से आपातकालीन स्थिति की घोषणा से सम्बन्धित अध्यादेश की संपुष्टि की। इसमें पक्ष में ३३६ तथा विपक्ष में ५६ मत पड़े।

२१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम : भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रान्ति

आपातकालीन घोषणा के उपरान्त प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंगलवार दिनांक १ जुलाई, १९७५ को शाम को आकाशवाणी से अपने प्रसारण में देश के समक्ष एक नया आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को ठोस और कारगर बनाने तथा ग्राम जनता की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कुछ रचनात्मक और सक्रिय कदम उठाने की बात कही गई। श्रीमती गांधी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के मुख्य २१ मुद्दे इस प्रकार थे—

१. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए प्रयत्न निरन्तर जारी रहेंगे, उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, अनाज की वसूली और वितरण की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, सरकारी विभागों में फिजूल-खर्ची समाप्त की जाएगी।
२. खेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों को अमल में लाया जाएगा, सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीन मजदूरों में बाँटा जाएगा और जमीन सम्बन्धी कागज-पत्तर दुरुस्त किए जाएँगे।
३. भूमिहीनों और गरीब जनता को आवास निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाएगी।

४. ठेका मजदूर प्रथा समाप्त की जाएगी, साथ ही वेगार को अवैध घोषित किया जाएगा ।
५. ग्रामीण जनता का ऋण माफ कर दिया जाएगा । जरूरी कानूनों के जरिए भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों और कारीगरों से ऋण की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । दूसरे शब्दों में महाजन इन वर्गों से ऋण वसूल नहीं कर सकेंगे ।
६. खेती-मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी और इससे सम्बन्धित कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा ।
७. ५० लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाएगा और भूमिगत जल को उपयोग में लाया जाएगा ।
८. विद्युत के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी ।
९. हथकरघा उद्योग के विकास के लिए नयी योजना बनाई जाएगी, जिससे वुनकर को धागा प्राप्त करने में सहूलियत होगी । मोटे कपड़े की किस्म में सुधार किया जाएगा और उसके वितरण की ठीक-ठीक व्यवस्था की जाएगी ।
१०. जनता कपड़े की किस्म और आपूर्ति में सुधार ।
११. शहरी भूमि तथा शहरी काम में आने योग्य भूमि का सामाजीकरण किया जाएगा । खाली जमीन तथा नये मकानों के क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित की जाएगी ।
१२. जो लोग शहरी सम्पत्ति की कीमत कम करके दिखाते हैं तथा करों की चोरी करते हैं, उनकी जाँच के लिए

विशेष दस्ते नियुक्त किए जाएँगे। आर्थिक अपराधियों पर संक्षिप्त मुकद्दमा (समरी ट्रायल) चलाया जाएगा और उन्हें सख्त सजाएँ दी जाएँगी।

१३. तस्करों की सम्पत्ति ज्व्त करने के लिए कानून बनाया जाएगा।
१४. पूँजी नियोजन की व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा। जो लोग आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करेंगे उन्हें दण्ड दिया जाएगा।
१५. श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदारी प्रदान करने के लिए नयी योजनाएँ और कानून बनाये जाएँगे।
१६. सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था की जाएगी।
१७. मध्य वर्ग को आय कर में छूट दी जाएगी। अब तक यह छूट ६ हजार की आमदनी वालों को प्राप्त थी। अब यह ८ हजार रुपये वार्षिक आमदनी वालों को भी प्राप्त रहेगी।
१८. छात्रों को छात्रावासों में सभी जरूरी चीजें नियन्त्रित मूल्य पर मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी।
१९. छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें तथा नोटबुक नियन्त्रित मूल्य पर प्राप्त होंगी।
२०. लोगों को, विशेषकर कमजोर वर्गों को रोजगार तथा प्रशिक्षण देने के लिए अपरेंटिसशिप की नयी योजनाएँ बनायी जाएँगी।

२१. सरकारी खर्चों में कमी की जाए।

इन मुद्दों से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि इन्दिराजी के मस्तिष्क में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कितनी व्यापक कल्पना

समाई हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समूचे आर्थिक कार्यक्रम को लागू कर देने पर समूची भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व क्रान्ति ही आ जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद से ही इस पर तेजी से अमल करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास प्रारम्भ भी कर दिए गए तथा इस बात का संकल्प भी व्यक्त किया गया कि यह सारा कार्यक्रम ६ से १२ महीनों में पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए इन्दिराजी ने विभिन्न अर्थविशेषज्ञों और अपने सहयोगियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया तथा उन्होंने अपने सचिवों को आदेश दिया कि जनता के कष्ट को दूर करने के लिए सेवाओं में सुधार किया जाए। उन्होंने मन्त्रियों और अधिकारियों को भी इस बात की सख्त हिदायत दी कि फैसलों पर अमल में जो विलम्ब होता है, उसे समाप्त किया जाए।

भ्रष्टाचार-उन्मूलन, तस्करी-विरोधी अभियान, मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण :

प्रधानमंत्री के '२१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम' पर जिस तेजी के साथ अमल किया गया, उसी तेजी के साथ अनेक महत्वपूर्ण सुपरिणाम सामने आये, जिन्होंने देश की प्रगति को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया। भ्रष्टाचार-उन्मूलन के अन्तर्गत भ्रष्ट व्यापारियों और उद्योगपतियों पर छापे-पर-छापे मारे गए; परिणामस्वरूप जमाखोरी, भ्रष्टाचार, चोरवाजारी तथा मूल्यवृद्धि जैसी समस्याएँ एकदम ठण्डी पड़ गईं। व्यापारियों को दुकान पर मूल्य तथा स्टॉक से सम्बन्धित सूचियाँ टाँगने के कड़े आदेश दिये गए। इससे मँहगाई से त्रस्त जनता ने बहुत शान्ति महसूस की। थोक भावों के मूल्य-सूचकांक गिरने लगे। तस्करी की समस्या से निपटने का निश्चय भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने प्रसारण में कहा था कि तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की

जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर विदेशी मुद्रा तथा तस्करी से सम्बन्धित कानून को संशोधित किया। नये आदेश के अन्तर्गत इस अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्तियों को यह नहीं बताया जाएगा कि उन्हें किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उनके मामलों को किसी सलाहकार मण्डल में भेजना आवश्यक नहीं होगा।

वस्तुतः यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इससे तस्करी का कार्य लगभग असम्भव हो गया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रान्तिकारी मोड़ आया। अब तक मारे गए छापों में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति तथा तस्करी का सामान जप्त किया जा चुका है। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, सुकरनारायण बखिया, नैनामल पुंजाजी शाह, रामलाल नारंग आदि देश के कुख्यात तस्करी को पकड़ लिया गया तथा उनकी चल-अचल सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया गया।

इतना ही नहीं, काले धन तथा करों की चोरी के मामले भी पकड़े गए, जिनमें करोड़ों रुपयों के काले धन और कर चोरी की वसूली की गई। भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसे लोगों को न केवल जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, बल्कि उन्हें पदों से बर्खास्त तक कर दिया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति तथा अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा बरतने को मजबूर तक किया गया। विभिन्न उपायों से देश में मुद्रास्फीति तथा मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया गया। मुद्रास्फीति को तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह देश के आर्थिक प्रगति के इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना मानी जा सकती है।

१५ अगस्त, १९७५ को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती गांधी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा देशवासियों को सम्बोधित करते हुए जनता से लोकतन्त्र की

रक्षा करने, गरीबी मिटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि “आज़ादी कोई जादू नहीं है कि उससे तुरन्त गरीबी दूर हो जाए, कठिनाइयाँ और कष्ट दूर हो जाएँ। आज़ादी से केवल एक दरवाजा खुला—सदियों की घुटन दूर हुई। वस इतनी ही है यह आज़ादी! आज़ादी के मायने यह हैं कि अपना जो कर्तव्य है, वह करने का हमें मौका मिला है।”

सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव-याचिका :

८ जुलाई, १९७५ को प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील के सम्बन्ध में सभी कागज़ात औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए। १४ जुलाई को अवकाशोपरान्त न्यायालय खुलने पर चुनाव-अपील पर सुनवाई ११ अगस्त से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। ११ अगस्त को सुनवाई का कार्य २५ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि श्री राजनारायण के वकील श्री शांति-भूषण ने संविधान के ३६वें संशोधन और चुनाव नियम संशोधन अधिनियम को चुनौती देने की इच्छा व्यक्त की। श्रीमती गांधी की ओर से श्री अशोक कुमार सेन ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध श्रीमती गांधी की अपील को स्वीकार किया जाय। उन्होंने हाल ही के संविधान संशोधन की दृष्टि से याचिका का फैसला करने का आग्रह किया।

संविधान में ३६वाँ संशोधन अगस्त, १९७५ में संसद के सक्षिप्त सत्र में हुआ था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष के चुनावों पर विचार करने के न्यायालयों के अधिकार खत्म हो गए। संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि संसद इन चार पदों के चुनाव सम्बन्धी विवादों के हल के लिए ऐसे कानून बना सकेगी जो इन पर विचार करने के

लिए कोई परिषद् बनाएगा। संशोधन के द्वारा इन चार पदों के सम्बन्ध में न्यायालयों ने जो भी निर्णय दिए हैं, वे रद्द माने जाएंगे और चुनाव हर दृष्टि ने वैध माने जाएंगे। यदि इस तरह के मुकद्दमे किन्हीं न्यायालयों में हों तो उन्हें संविधान में किए गए हाल के संशोधनों को ध्यान में रख कर खत्म कर दिए जाएँ।

२५ अगस्त, १९७५ से सर्वोच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री की चुनाव अपील पर विधिवत् सुनवाई का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस कार्य की सम्पन्नता के लिए पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री अजितनाथ राय, श्री एच. आर. खन्ना, श्री के. के. मैथ्यू, श्री एम. एच. वेग तथा श्री वाई. वी. चंद्रचूड़ थे। सुनवाई तथा वहस का कार्यक्रम लगभग छह सप्ताह तक निरन्तर चलता रहा। यह कार्य ६ अक्टूबर, १९७५ को पूर्ण हुआ तथा न्यायालय ने निर्णय यथासमय सुनाने के लिए सुरक्षित रखा। इसमें भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी श्री नीरेन डे, महाविधिवक्ता श्री लालनारायण सिंह, प्रधानमंत्री की ओर से श्री अशोककुमार सेन (भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री), श्री जगन्नाथ कौशल (हरियाणा के महाविधिवक्ता), श्री दिलकिशोर प्रसाद सिंह और श्री राजनारायण की ओर से उत्तरप्रदेश के भूपू. महाविधिवक्ता एवं संसद सदस्य श्री शान्तिभूषण ने पैरवी की। इनके अतिरिक्त तीनों पक्षों की ओर से अन्य अनेक कनिष्ठ वकीलों ने कार्य किया। उनमें मॉरीशस के बैरिस्टर श्री मदनमोहन जगाधर प्रधानमंत्री की ओर से कार्यरत थे।

२८ अगस्त, १९७५ को इन्दिराजी ने विहार के वाङ्ग्रस्त क्षेत्रों का वायुयान से निरीक्षण किया तथा गंगा और सोन नदी की बाढ़ से हुई विनाशलीला को अपनी आँखों से देखा। इस अप्रत्याशित प्राकृतिक कोप से आप बहुत दुःखी हुई तथा आपने वाङ्ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए हरसम्भव प्रयास करने का निश्चय भी व्यक्त किया।

२९ अगस्त, १९७५ को श्रीमती गांधी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कानून व्यवस्था बनाये रखने, पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा एवं उनमें तेजी लाने आदि विषयों पर विचार किया गया। इस अवसर पर आपने प्रगति के लिए देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा केन्द्र और राज्यों के बीच निकट के सहयोग की चर्चा की। आपने अपने भाषण में २१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बात भी कही। आपने बतलाया कि सरकार के द्वारा उठाये गए कदमों के फलस्वरूप मूल्यवृद्धि रुकी है तथा वस्तुओं के भावों में गिरावट आई है। आपात् स्थिति ने आर्थिक मोर्चे पर और तेजी से काम करने का हमें नया अवसर प्रदान किया है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए, सिंचाई एवं विद्युत् योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने तथा उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास भी होना चाहिए।

२ सितम्बर, १९७५ को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों के तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती गांधी ने भारतवासियों में देश के प्रति समर्पण की भावना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें किसी भी कार्य में तब तक सफलता नहीं मिल सकती, जब तक कि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया जाता। ४ सितम्बर, १९७५ को 'शिक्षक दिवस' के उपलक्ष्य में शिक्षकों को दिए गए अपने सन्देश में इन्दिराजी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच परम्परागत सम्बन्ध पुनः कायम किए जाएँ और अनुशासन तथा परिश्रम की भावना जाग्रत की जाय। इस अवसर

पर ५ सितम्बर, १९७५ को देश के विभिन्न भागों से आए शिक्षकों के एक दल ने आपसे आपके निवास स्थान पर भेंट की। आपने इस दल से बात करते हुए उन सब कारणों की व्याख्या की, जिनके कारण आपात्कालीन स्थिति लागू करनी पड़ी। साथ ही इन्दिराजी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्थिति के फलस्वरूप लोग उल्लेखनीय रूप से अनुशासित हुए हैं, किन्तु यह अनुशासन जीवन का स्थायी अंग बनना चाहिए।

२३ सितम्बर को वी.वी.सी. के लिए कनाडा के एक पत्रकार को दी गई भेंट में आपने स्पष्ट कर दिया कि जनतन्त्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही मेरी सरकार ने आपात्कालीन अधिकार ग्रहण किए हैं। २४ सितम्बर को अपने निवास स्थान पर उपस्थित स्काउट्स व गर्ल गाइड्स को सम्बोधित करते हुए आपने देशवासियों को चुनौतियों को साहसपूर्वक स्वीकार करने तथा प्रगति की सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से जुट जाने का आह्वान किया। २७ सितम्बर को इन्दिराजी ने उड़ीसा के कटक और वालासोर जिले के वादग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमन्त्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के साथ विमान से निरीक्षण किया। इस दौरान भुवनेश्वर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती गांधी ने आपात्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि आपात्कालीन स्थिति लागू होने के पश्चात् देश में जिस अनुशासन की स्थिति के दर्शन होने लगे हैं, यदि वह समाप्त हो जाती है तो आपात्कालीन स्थिति को हटाया नहीं जा सकता। अनुशासन सरकार द्वारा थोपने की वजाय स्वयं द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर आपने परिवार के लोगों सहित कोणार्क के सूर्य मन्दिर के दर्शन भी किए।

३० सितम्बर, १९७५ को श्रीमती गांधी ने नई दिल्ली में उपकुलपतियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर

आपने उपकुलपतियों से देश की युवा पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि हमें अपनी कमजोरियों का त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना है। १ अक्टूबर को श्रीमती गांधी ने नेपाल नरेश महाराजाधिराज वीरेन्द्र के साथ पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में विस्तार से उपयोगी वार्ता की। उसी दिन उन्होंने श्री वीरेन्द्र को भावभीनी विदाई भी दी।

६ अक्टूबर, १९७५ को प्रधानमन्त्री की सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत चुनाव अपील पर सुनवाई का कार्य पूर्ण हो गया। इसी दिन इन्दिराजी पाँच दिवसीय कश्मीर यात्रा पर श्रीनगर पहुँचीं। फरवरी, १९७५ में हुए कश्मीर-समझौते के उपरान्त यह उनकी प्रथम कश्मीर यात्रा थी। आपके साथ गृह राज्य मन्त्री श्री ओम मेहता, रेल राज्य मन्त्री श्री मौहम्मद शफी कुरेशी के अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्री डॉ० कर्णसिंह भी थे। हवाई अड्डे पर आपका भव्य स्वागत किया गया। आत्मविभोर कश्मीरी जनता ने परम्परागत ढंग से प्रधानमन्त्री का स्वागत किया। नगर के बीच में बहने वाली झेलम नदी में नावों में उनका जुलूस निकाला गया। नदी के दोनों ओर लगभग दो लाख लोग उनके दर्शनों के लिए उपस्थित थे।

इस वर्ष भी अनेक महत्वपूर्ण विदेशी अतिथियों ने भारत की यात्रा की तथा उनके साथ श्रीमती गांधी का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में पर्याप्त उपयोगी विचार-विमर्श हुआ, इनमें २३ जनवरी को जाम्बिया के राष्ट्रपति श्री कैनेथ कौंडा की, २५ फरवरी को सोवियत संघ के रक्षामन्त्री मार्शल ग्रेचको की, ७ मार्च को फिजी के प्रधानमन्त्री सर किमसेसे मारा की, १८ अप्रैल को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष फ्रांस्वा एक्सपियर आर्तोली की, २६ अप्रैल को बंगलादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीव की, १ अक्टूबर को नेपाल के महाराजाधिराज वीरेन्द्र की यात्रा उल्लेखनीय है।

यद्यपि आपके विरोधियों की संख्या बढ़ता जा रहा है, किन्तु आप इससे तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुईं वरन् दुगुने उत्साह से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगी हुई हैं। आप देश की प्रगति के किसी भी कार्य में मनमानी नहीं करतीं, वरन् अपने समर्थक और विरोधी—दोनों ही पक्षों को साथ लेकर सहयोगपूर्वक सम्पन्न करने की आपकी नीति रही है। कठिन परिस्थितियों में भी आप धैर्य, शान्ति और शालीनता का त्याग नहीं करतीं।

अपने अब तक के जीवनकाल में आप विश्व के चोटी के अनेक नेताओं से मिल चुकी हैं, जिनमें चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई, भूतपूर्व रूसी प्रधानमन्त्री श्री ख्रुश्चेव, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री कोसीगिन, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टोटो, संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर, अमेरिका के सभी प्रमुख राष्ट्रपतियों श्री ट्रुमैन, श्री आइजन हाँवर, श्री कैंनेडी, श्री जॉन्सन, श्री निक्सन, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुहार्तो, मॉरीशस के प्रधानमन्त्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम, संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री ऊथाँ, श्री कुर्त वाल्हदाइन, मलयेशिया के प्रधानमन्त्री टुंकु अब्दुल रहमान, तुन अब्दुल रज्जाक, श्रीलंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके, बंगलादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार आपने अपने प्रयासों से विश्व की विभिन्न प्रमुख राजनीतिक कड़ियों से सम्पर्क स्थापित किया।

आपने सहिष्णुता एवं कठोर परिश्रम का आदर्श अपने पिता स्वर्गीय नेहरूजी से ग्रहण किया। आप प्रातःकाल ७ बजे से एक घण्टे का समय प्रतिदिन जनसाधारण की कठिनाइयाँ एवं शिकायतें सुनने के लिए देती हैं। आपने अपनी योग्यता से भारत के नारी समाज का मस्तक उन्नत किया है। नयी पीढ़ी की प्रतिनिधि के रूप में इन्दिराजी ने अपना दायित्व भलीभाँति सम्पन्न किया है। आप सच्चे अर्थों में 'भारत की बेटा' हैं। ऐसे उच्च पद पर आसीन होते

हुए भी आप स्वयं को 'देश की सेविका' ही मानती हैं। निश्चय ही आपके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय : इन्दिरा-चुनाव प्रकरण पर पटाक्षेप

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी के चुनाव के विरुद्ध दिये गए निर्णय से देश में जो एक विचित्र-सी हवा वह चली थी, यद्यपि आपात्कालीन घोषणा ने उसे किसी सीमा तक नियंत्रित कर दिया था तथा इन्दिराजी द्वारा घोषित २१ सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर तेजी से किए जा रहे ठोस अमल के कारण सामने आ रहे सुपरिणामों से जनमत वास्तविकताओं के निकट पहुँचता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भीतर ही भीतर विपक्षियों के दावपेंच फिर भी अपना प्रभाव फैलाने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रकरण पर एक लम्बे समय तक सर्वोच्च न्यायालय में सुनवायी चलती रही, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष को यथासाध्य भलीभाँति प्रस्तुत किया। सुनवाई समाप्त हो जाने पर भी जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा तो देशव्यापी भाँति-भाँति की अटकलें लगाई जाने लगीं।

अन्त में ७ नवम्बर, १९७५ का दिन आया, जिसका श्रीमती गांधी के जीवनकाल में अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के १९७१ के रायवरेली से लोकसभा चुनाव को वैध घोषित कर दिया तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अयोग्यता को रद्द कर दिया। इसके साथ ही साथ पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन कानून में १९७३ तथा १९७५ के परिवर्तनों को भी वैध घोषित कर दिया। इस प्रकार संसोपा नेता श्री राजनारायण के मुकाबले एक लाख से अधिक मतों से श्रीमती गांधी की चुनाव-विजय के साथ ही प्रारम्भ हुए कानूनी एवं राजनीतिक युद्ध का पटाक्षेप हो गया।

तीन न्यायाधीश सर्वश्री एच. आर. खन्ना, के. के. मैथ्यू तथा
 आई. वी. चन्द्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद ३२६(६) की उपधारा
 को अवैध करार दिया, क्योंकि उनके अनुसार इससे संविधान
 संशोधन के अधिकार का उल्लंघन हुआ। उन्होंने अपने पृथक निर्णय
 के लिए विभिन्न कारण दिए।

मुख्य न्यायाधीश श्री ए.एन. रे ने खासतौर से इस उपधारा
 को, जो ३६वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, विधायिका का
 एक 'घोषणात्मक निर्णय' बताया, कोई कानून नहीं। न्यायाधीश
 श्री वेग ने निर्णय दिया कि उन्होंने इस उपधारा की जो व्याख्या
 की है, वह निर्वाचन अपील की न्यायिक जाँच-पड़ताल में बाधक
 नहीं है। उन्होंने अपील के गुण-दोषों का अध्ययन करते हुए श्रीमती
 गांधी के चुनाव को वैध करार दिया।

पाँचों न्यायाधीशों ने कुल ५४८ पृष्ठों में लिखित अपने अलग-
 अलग निर्णयों के प्रभावी अंश एक के बाद एक पढ़ कर सुनाए,
 जिसमें लगभग पूरा ही दिन लग गया। कुल २३१ पृष्ठों का सबसे
 लम्बा निर्णय न्यायाधीश वेग का रहा तथा सबसे छोटा ५५ पृष्ठ
 का न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ ने दिया।

देशव्यापी हर्षोल्लास और बधाइयों की बाढ़ :

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा का देशव्यापी स्वागत
 हुआ तथा सर्वत्र हर्षोल्लास की एक तीव्र लहर व्याप गई। इन्दिराजी
 को प्रगतिशील राष्ट्रीय नीतियों की यह भारी विजय थी।

निर्णय की घोषणा के तुरन्त बाद ही हजारों की संख्या में
 लोग प्रधानमंत्री निवास पहुँचे तथा उन्होंने मुक्त हृदय से इन्दिराजी
 को बधाइयों से लाद दिया। दोपहर बाद इन्दिराजी ने उपस्थित
 हजारों लोगों के सम्मुख बोलते हुए कहा कि हमें बहुत खुश अथवा
 बहुत उदास नहीं होना चाहिए। अभी देश के लिए बहुत कुछ करना

वाकी हैं। सामान्य लोगों के अतिरिक्त देश के चोटी के अनेक नेताओं ने स्वयं दिल्ली पहुँच कर अपनी हार्दिक वधाइयाँ प्रधानमंत्री को दीं तथा उनके सुदृढ़ नेतृत्व में अगाध विश्वास प्रकट किया। वधाइयों का यह क्रम कई दिनों तक निरन्तर चलता रहा, जिसने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश की कोटि-कोटि जनता का पूर्ण विश्वास और हार्दिक समर्थन प्राप्त रहा है।

८ नवम्बर को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती गांधी के नेतृत्व के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की गई। बैठक में भाषण करते हुए इन्दिराजी ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व स्थायित्व की रक्षा के प्रति जागरूकता पर बल दिया। इसी दिन अपने निवास स्थान पर वधाई देने हेतु एकत्रित लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता की विशेष रूप से चर्चा की, जो उन्हें वचन से ही बहुत पसन्द थी। कविता का भाव यह था कि 'अच्छा नेता है तो ठीक, नहीं तो हर एक को नेता बनकर आगे बढ़ना होगा। रोशनी है तो देख कर चलो, नहीं तो रोशनी बन कर आगे बढ़ो।'

११ नवम्बर, १९७५ को इन्दिराजी ने आकाशवाणी से 'जनता से बातचीत' कार्यक्रम के अन्तर्गत देशवासियों के समक्ष अपनी हार्दिक भावनाओं को खोलकर प्रस्तुत किया। आपने आपात् स्थिति को एक ऐसी कड़वी गोली बतलाया, जो राष्ट्र की स्वस्थता के लिए अत्यावश्यक हो गई थी। आपने आपात् स्थिति के लागू होने के उपरान्त देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने इस संकल्प को पुनः दोहराया कि राष्ट्रहित के लिए वे सब कुछ करने को तत्पर हैं तथा रहेंगे।

१६ नवम्बर, १९७५ को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी दो दिवसीय यात्रा पर सिक्किम पहुँचीं। इसी दिन समूचा देश

आपका ५८वाँ जन्मदिवस मना रहा था। भारत में विलय के उपरांत आपकी यह प्रथम सिक्किम यात्रा थी। सिक्किम-वासियों ने भी प्रथम बार अपनी राष्ट्र-नेता के रूप में इन्दिराजी का भव्य और भावभीना स्वागत किया। इस अवसर पर आपने सिक्किम के विकास के लिए हर प्रकार की सहायता का दृढ़ आश्वासन दिया। २१ नवम्बर को अपनी सिक्किम यात्रा पूर्ण कर आप दार्जिलिंग लौट आईं; जहाँ आपने एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए सीमावर्ती प्रदेश के निवासियों को पड़ोसी देश की घटनाओं से सचेत रहने की अपील की। २२ नवम्बर को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा, २१ वर्षों से निरन्तर इस संस्था से सम्बद्ध रहने के परिणाम-स्वरूप, आपको विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह तथ्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन्दिराजी केवल प्रशासन से ही सम्बद्ध नहीं हैं और न ही वे मात्र देश की राजनीति से चिपकी रहने को इच्छुक हैं, बल्कि वे देश की सामान्य जनधारा के साथ भी उतने ही निकट रूप से जुड़ी हैं तथा इसके लिए वे जनसामान्य से अधिकाधिक धुलमिल कर रहने का प्रयास करती हैं।

बंगलादेश की रक्तक्रान्ति : एक नई चिन्ता

यह सत्य है कि इन्दिराजी के मार्ग में अनेक-अनेक कठिनाइयाँ आती रही हैं, पर यह भी सत्य है कि विपमताओं की उस तीव्र आँच में उनका व्यक्तित्व और भी तप कर—निखर कर प्रकटा है। बंगला देश की स्वतन्त्रता से उन्होंने निश्चित रूप से सुख और सन्तोष की साँस ली थी। किन्तु, उनकी यह निश्चिन्तता अधिक समय तक न रह सकी। शेख मुजीब तथा उनके परिवार की जघन्य हत्या से आपको बहुत आघात लगा। इतना ही नहीं, वहाँ की सत्ता-परिवर्तन तथा भारत-विरोधी प्रचार से आपको बहुत चिन्ता हुई।

बंगलादेश की अगस्त, १९७५ में हुई रक्तक्रान्ति का रक्त अभी सूख भी नहीं पाया था कि सहसा वहाँ प्रतिक्रान्ति हो गई। परिणाम-

स्वरूप श्री खोंडाकर मुश्ताक अहमद के स्थान पर श्री सर्ईम राष्ट्रपति बने। इस प्रतिक्रान्ति से यह स्पष्ट हो गया कि बंगलादेश की सेना दो गुटों में विभक्त हो गई। इससे वहाँ अनिश्चितता बहुत बढ़ गई। यद्यपि श्री सर्ईम ने भारत के साथ मैत्री की अपनी राष्ट्रीय नीति को अनेक बार दोहराया, किन्तु इससे इन्दिराजी की चिन्ता कम नहीं हुई क्योंकि वे भलीभाँति जानती थीं कि भारत-विरोधी तत्व वहाँ पूर्ण सक्रिय हैं।

अन्ततः उनकी चिन्ता सही साबित हुई, जब २६ नवम्बर, १९७५ को भारतीय राजदूत श्री समरसेन की हत्या का प्रयास किया गया। उन पर कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने गोली चलाई। गोली उनके कंधे पर लगी। उच्चायोग में तैनात भारतीय सुरक्षा गार्ड तथा बंगलादेश पुलिस ने हमलावरों का मुकाबला किया; फलस्वरूप चार आक्रमणकारी मारे गए तथा दो घायल हो गए। कहना न होगा कि भारतीय राजदूत की हत्या के इस प्रयास से समूचा देश स्तब्ध रह गया तथा सर्वत्र चिन्ता की लहर व्याप गई। इन्दिराजी ने इस अवसर पर बंगलादेश को स्पष्ट और कड़ी चेतावनो के स्वर में बतला दिया कि भारत ने इस घटना को बहुत गम्भीर रूप में लिया है। आपने तत्काल श्री सेन की देखभाल के लिए भारतीय डॉक्टरों का एक दल विशेष विमान द्वारा बंगलादेश भेजा।

२७ नवम्बर, १९७५ को टेलीफोन पर आपकी बंगलादेश के राष्ट्रपति श्री सर्ईम के साथ वार्ता हुई। श्री सर्ईम ने इस वार्ता के दौरान ढाका में भारतीय राजदूत पर हुए घातक हमले पर खेद व्यक्त किया।

इसी दिन आपने शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शक मण्डल का बैठक में महत्वपूर्ण शिक्षा-संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों व राज्य के शिक्षामंत्रियों को सम्बोधित करते हुए शिक्षा को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दिये जाने पर बल दिया।

उत्तरप्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन :

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सदैव यह मान्यता रही है कि देश की बाह्य सुरक्षा और मजबूती के लिए आन्तरिक शान्ति और सुसंगठन अत्यावश्यक है। इसके बिना अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी शक्ति खोखली है। यही कारण है कि समय-समय पर आपको राष्ट्रहितार्थ अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। कहना न होगा कि ऐसे अवसर तब आते हैं, जब प्रान्तीय राजनीति प्रबल हो उठती है।

देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तरप्रदेश को इस प्रकार की समस्या का अनेक बार सामना करना पड़ा। यह सत्य है कि श्री कमलापति त्रिपाठी को केन्द्र में बुलाकर इन्दिराजी ने उत्तर प्रदेश की आन्तरिक प्रान्तीय राजनीति को पर्याप्त स्थिरता प्रदान की, पर यह स्थिति श्री बहुगुणा के नेतृत्व में अधिक समय तक नहीं चल सकी। उन्हें नेता-पद से हटाने के प्रयासों में उन्हीं के कुछ साथी मन्त्रियों तक का सहयोग रहा। इसी सिलसिले में जब श्री बहुगुणा ने प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी से भेंट की तो आपने उन्हें त्यागपत्र देने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि २८ नवम्बर, १९७५ को हुई इस भेंट के उपरान्त श्री बहुगुणा द्वारा त्यागपत्र के संकेत से राज्य में व्याप्त लम्बे समय के राजनीतिक संकट का अन्त हो गया। श्री बहुगुणा के साथ अपनी उक्त भेंट के तत्काल बाद इन्दिराजी ने राष्ट्रपति से भेंट कर लगभग आधा घण्टे तक बातचीत की।

२९ नवम्बर, १९७५ को श्री बहुगुणा ने राज्यपाल डॉ० चेन्ना रेड्डी को अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। ३० नवम्बर को विधिवत् राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। गत ८ वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू होने का यह चौथा अवसर था। लगभग दो माह तक यह स्थिति बनी रही। इस बीच प्रधानमन्त्री ने वहाँ की स्थिति को

सन्तुलित करने का प्रयास किया । परिणामतः २१ जनवरी, १९७६ को श्री नारायणदत्त तिवारी उत्तरप्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए ।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण परिवर्तन :

३० नवम्बर, १९७५ को मध्यरात्रि में इन्दिराजी ने अपने मन्त्रिमण्डल में अनेक महत्वपूर्ण फेर-बदल किए । इसके अन्तर्गत रक्षा मन्त्री श्री स्वर्णसिंह तथा यातायात एवं जहाजरानी मन्त्री श्री उमाशंकर दोक्षित ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । लोक सभाध्यक्ष श्री गुरुदयालसिंह ढिल्लो को यातायात एवं जहाजरानी मन्त्री बनाया गया । इस समय हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री वंशीलाल को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित तो कर लिया गया, पर उनके विभाग की घोषणा नहीं की गई ।

इनके अतिरिक्त आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्यमन्त्री श्री आर.के. खाडिलकर तथा पेट्रोलियम एवं रसायन राज्यमन्त्री श्री के.आर. गणेश ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिए तथा उनके स्थान पर श्री एच.के.एल. भगत, श्री विट्ठल गाडगिल, श्री रामसेवक यादव तथा डॉ० वी.ए. सईद मौहम्मद को नया राज्यमन्त्री नियुक्त किया गया तथा उन्हें क्रमशः निर्माण एवं आवास, पेट्रोलियम एवं रसायन, विधि एवं कम्पनी मामले तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालयों का कार्यभार सौंपा गया ।

उल्लेखनीय है कि श्री स्वर्णसिंह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठतम सदस्य थे तथा सन् १९५२ से रक्षा एवं विदेश जैसे महत्वपूर्ण मन्त्रालयों को सम्हाल चुके थे । श्री उमाशंकर दोक्षित को आंध्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा हरियाणा के मुख्यमन्त्री के रूप में श्री बनारसीदास गुप्ता को शपथ दिलवाई गई ।

इन्हीं दिनों भूमिगत नागाओं के साथ हुए केन्द्र सरकार के समझौते से विद्रोही नागाओं को काफी लम्बे समय से चली आ रही

समस्या का अन्त हो गया। इसके अन्तर्गत विना शर्त भूमिगत नागाओं को क्षमा कर दिया गया तथा उन्होंने भारतीय संघ के प्रति निष्ठा प्रकट की। श्रीमती गांधी के शासनकाल की यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है।

१ दिसम्बर, १९७५ को प्रातःकाल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नये केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। इसी दिन हरियाणा के नये मंत्रिमण्डल ने भी शपथ ग्रहण की। इस समय रक्षा-मंत्रालय का कार्य प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने अपने ही पास रखा; अतः आपने इस रूप में प्रतिरक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तीनों सेनाध्यक्षों से विचार-विमर्श किया। ३ दिसम्बर को आपने रक्षामंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक बुलाई। इसमें आपने विशेष रूप से बंगलादेश की ताजा घटनाओं एवं भारतीय राजदूत पर हुए घातक आक्रमण की चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा कि बंगलादेश की घटनाओं पर भारत कड़ी निगरानी रख रहा है। आपने सदस्यों को इस बात की जानकारी भी दी कि उत्तरी सीमा पर जहाँ चीनियों ने हमारे चार सैनिकों को मार दिया था, वहाँ हम पूरी तरह चौकस हैं तथा पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की सैनिक तैयारी के प्रति भी हम पूरी तरह सजग हैं।

६ दिसम्बर, १९७५ को भारत और बंगलादेश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता प्रारम्भ हुई, जिसमें बंगलादेश में उत्पन्न नवीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों के सन्दर्भ में दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर पूर्ण व उन्मुक्त विचार-विमर्श किया गया। दो-दिवसीय इस वार्ता के उपरान्त ८ दिसम्बर को 'संयुक्त वक्तव्य' प्रकाशित हुआ, जिसमें पारस्परिक हित और सार्वभौमिक समानता के आधार पर दोनों देशों के मध्य सहयोग एवं मैत्री की आवश्यकता पर बल दिए जाने के साथ ही साथ उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए

आवश्यक कदम उठाये जाने की बात कही गई। कहना न होगा कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्न विषमताओं से एक साथ धैर्यपूर्वक जूझना तथा सन्तुलन स्थापन श्रीमती गांधी की सफलता का एक प्रमुख आधार-चिह्न, रहा है।

८ दिसम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरु तेगवहादुर के 'त्रिशताब्दी शहीद समारोह' के उपलक्ष्य में एक विशाल आमसभा आयोजित की गई, जिसमें बोलते हुए इन्दिराजी ने राष्ट्र को सभी ओर से गम्भीर खतरों के प्रति सचेत किया तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए एकता व हृदय संकल्प का आह्वान किया।

९ दिसम्बर को रक्षा मन्त्रालय की ओर से श्री स्वर्णसिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जिन्होंने इस समय रक्षा मन्त्रालय का कार्य ग्रहण किया हुआ था, श्री स्वर्णसिंह के व्यक्तित्व और कार्यनिष्ठा की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। उन्होंने उनका 'न केवल साथी, वरन् मार्गदर्शक' कह कर सम्मान किया। इसी दिन आपने विज्ञान भवन में आयोजित गुरु तेगवहादुर शताब्दी शहीद समारोह के आयोजन में भाग लिया तथा इस अवसर पर दिए गए अपने भाषण में आपने देश की प्रगति के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशिष्ट श्रोताओं को स्मरण दिलाया कि अनादि काल से भारत के ऋषि-मुनि जनता को एकता व भाईचारे से रहने व मानव-अधिकारों को अक्षुण्ण बनाने के लिए बलिदान करने का उपदेश देते रहे हैं। इसने देश को सुदृढ़ एकता के सूत्र में पिरोया है।

९ दिसम्बर को ही इन्दिराजी के पुत्र श्री संजय गांधी सर्व-सम्मति से भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए।

१० दिसम्बर को श्रीमती गांधी ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में 'संविधान और संसद' तथा 'गणतन्त्र के २५ वर्ष' नामक दो स्मारक

ग्रन्थों का विमोचन किया। ये स्मारक ग्रन्थ संविधान तथा संसद के रजत जयन्ती समारोह के सिलसिले में प्रकाशित किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा कि संविधान में लोगों की परम्पराएँ और आकांक्षाएँ निहित होती हैं। यह केवल एक घोषणा-पत्र ही नहीं होता, क्योंकि यह आकांक्षाओं को कानूनन मूर्त रूप भी देता है। जो चीजें स्थिर और जकड़ी हुई होती हैं, वे दबाव से प्रायः टूट जाती हैं। असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर यही हाल जड़ संविधानों का होता है। लचीलापन और जीवन्तता संविधान के गुण होने चाहिए। स्वरूप और भाषा को कई बार आत्मा की रक्षा के लिए बदलना भी पड़ता है।

१० दिसम्बर को ही कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक भी हुई, जिसमें उन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया, जो चण्डीगढ़ में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले थे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष श्री वरुणा ने की। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी उस बैठक में प्रारम्भ से अन्त तक उपस्थित रहीं।

१२ दिसम्बर को इन्दिराजी ने विश्व जल कांग्रेस में भाषण करते हुए मानव जीवन की उन्नति में जल-स्रोतों की उपयोगिता की चर्चा की। १८ दिसम्बर को आपसे राजस्थान के युवा कांग्रेसियों के एक शिष्टमण्डल ने भेंट की। १९ दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने सम्बन्धी श्री राजनारायण की याचिका को खारिज कर दिया गया।

मन्त्रिमण्डल में पुनः परिवर्तन :

२० दिसम्बर, १९७५ को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पुनः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके अन्तर्गत हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वंशीलाल को

रक्षामन्त्रालय का कार्यभार सौंपा गया । एक अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल किया जाना था, जिन्हें रसायन व उर्वरक मन्त्रालय में मन्त्री बनाया गया । इसी प्रकार श्री रामनिवास मिर्धा को आपूर्ति व पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमंत्री, श्री विट्ठल गाडगिल को रक्षा उत्पादन राज्यमंत्री तथा श्री प्रणव मुखर्जी को वित्त मन्त्रालय में राजस्व व बैंकिंग विभाग का कार्यभार सौंपा गया । नवनियुक्त मंत्रियों ने २५ दिसम्बर को शपथ ग्रहण की ।

इन्हीं दिनों गुजरात में पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए, जिनमें कांग्रेस को उल्लेखनीय सफलता मिली, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि गुजरात में द्विपक्षियों द्वारा उत्पन्न स्थिति के कारण कांग्रेस की बिगड़ी हुई प्रतिष्ठा में श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रगतिशील नीतियों के कारण एक नया निखार आया । इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि व सिंचाई मन्त्री श्री जगजीवन राम ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की—

“यह इस बात का प्रतीक है कि गुजरातवासी प्रधानमंत्री के २० सूत्री कार्यक्रम से राष्ट्रीय जीवन में उत्पन्न सजोवता की धारा में सम्मिलित होना चाहते हैं ।”

२३ दिसम्बर को श्री श्यामाचरण शुक्ल मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए । उत्तरप्रदेश की भाँति ही मध्यप्रदेश की राजनीति को इस रूप में एक नई दिशा—एक नया मार्ग मिला, जो स्पष्टतः इन्दिराजी की राजनीतिक दूरदर्शिता और सूक्ष्मता का परिचायक है ।

इधर भूदान नेता आचार्य विनोबा भावे का एक वर्ष का मीन व्रत समाप्त हुआ । कहना न होगा कि आचार्य भावे देश में उत्पन्न नवीन स्थितियों में निहित विपमता से बहुत दुखी थे । २४ दिसम्बर

को भूदान आन्दोलन के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर श्रीमती गांधी ने अपना शुभकामना-सन्देश भेजा, जिसमें सामाजिक न्याय के लिए जनता से स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया गया। आपने आचार्य विनोवा भावे से देश का मार्ग-निर्देशन करते रहने का अनुरोध भी किया।

कांग्रेस का ७५वाँ अधिवेशन : नई दिशाएँ—नये संकल्प

दिसम्बर, १९७५ के अन्तिम दिनों में चण्डीगढ़ के निकट कामागाटामारू नगर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था, जिसकी तैयारियाँ पिछले काफी समय से बहुत जोरशोर के साथ की जा रही थीं। इस अवसर पर दिए गए एक साक्षात्कार में प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने कहा कि संविधान में परिवर्तनों के लिए जनता की सहमति होना आवश्यक है। 'जनतंत्र' के स्वरूप की व्यवस्था करते हुए आपने बतलाया कि "भारत की एकता के लिए जनतंत्र अत्यन्त आवश्यक है। 'जनतंत्र' का अर्थ यह नहीं कि लोग अपनी इच्छा और जो अच्छा लगे, वह करें। जनतंत्र में भी कतिपय नियम एवं कानूनों का पालन जरूरी होता है। इन नियमों और कानूनों का परिपालन करवाना जितना सरकार के लिए जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं और अन्य नागरिकों के लिए यह है कि वे जनतंत्र के आधारभूत मुद्दों का सम्मान करें।"

इस अवसर पर कांग्रेस की स्मारिका के लिए दिए गए साक्षात्कार में श्रीमती गांधी ने आपात् स्थिति के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण इन शब्दों में व्यक्त किया—

“जब आपातकालीन स्थिति घोषित की गई तब मेरे मस्तिष्क में यह उलझन नहीं थी कि यह घोषणा की जाए अथवा नहीं, बल्कि दिन-प्रतिदिन विगड़ती हुई स्थिति की गन्भीरता के बारे में चिन्ता अवश्य थी। पुनर्निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, इसमें वर्षों का समय लगता है।”

२८ दिसम्बर, १९७५ से चण्डीगढ़ के निकट कामागाटामारु नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस का ७५वाँ अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इसी दिन सायं ५ बजे जब प्रधानमन्त्री अधिवेशन में भाग लेने हेतु चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुँचीं तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इन्दिराजी के साथ उनके कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी, पुत्रवधू श्रीमती मेनका गांधी और गृह राज्य मन्त्री श्री ओम मेहता भी भारतीय वायु सेना के विमान से यहाँ पहुँचे। हवाई अड्डे पर स्वागत करने वालों में पंजाब के राज्यपाल श्री महेन्द्रमोहन चौधरी, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मंत्रिगण एवं संसद सदस्य शामिल थे।

२८ दिसम्बर को ही कार्यकारिणी समिति में श्री वरुआ कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये तथा देश की राजनीतिक स्थिति पर एक एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसमें राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न संकटों के पूरी तरह समाधान होने तक आपात स्थिति लागू रखने की बात कही गई थी। समिति में संविधान का पूरी तरह पुनरावलोकन करके इसमें आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने की माँग भी की गई ताकि वह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कार्यकारिणी ने दंगलादेश की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वागत करने, पाकिस्तान के साथ शिमला-समझौते के सन्दर्भ में सम्बन्ध सुधारने हेतु अनिर्णीत मामलों को हल करने तथा हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाये रखने जैसी बातों की माँग भी की।

उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन का प्रारम्भ 'वन्दे मातरम्' नामक राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जो स्वाधीनता-संघर्ष के दौरान करोड़ों लोगों का प्रेरणा-विन्दु रहा है। २९ दिसम्बर, १९७५ को विषय समिति द्वारा एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए

वढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करने की बात के साथ ही साथ देश में व्याप्त खतरों की चर्चा भी की गई। इस अवसर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की कि यदि देश की एकता व स्थायित्व सुनिश्चित हो तो उनका दल चुनाव की जोखिम उठाने को तैयार है। आपने स्पष्ट कर दिया कि संकटकालीन स्थिति से पूर्व देश के समक्ष जो खतरे विद्यमान थे, वे अभी तक टले नहीं हैं, अतः आपात स्थिति उस समय तक नहीं हटाई जा सकती, जब तक सरकार को यह विश्वास नहीं हो जाता कि देश तथा उसके जनतांत्रिक ढाँचे के खतरे टल गये हैं।

३० दिसम्बर को कांग्रेस विषय समिति की बैठक हुई, जिसमें श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की कि हमारा सन् १९३८ में निर्धारित समाजवादी विकास की नीति से विचलित होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें एक आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें बंगलादेश के शरणार्थियों के आगमन, भारत-पाक-युद्ध, १९७२-७३ के सूखे, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की अस्थिरता और विश्व में मुद्रास्फीति जैसी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया, साथ ही यह भी कहा गया कि जुलाई, १९७४ के बाद सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए मजबूत कदमों के परिणाम-स्वरूप मुद्रास्फीति की उत्तरोत्तर वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा रहा है और दिसम्बर, १९७४ से मूल्यस्तर गिरने लगा है। प्रस्ताव में अधिकतम गल्ला वसूली, वितरण प्रणाली में हुए सुधार, ग्रामविकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन, स्वावलम्बन के लिए मूल उद्योगों का महत्त्व, आर्थिक नींव को मजबूत बनाने, सैन्य सुरक्षा की शक्ति का निर्माण करने, अनुचित छँटनी तथा तालाबन्दी बन्द करने, प्रवन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाने, शहरों का समुचित आयोजन करने, परिवार नियोजन को एक जन-आन्दोलन का रूप देने तथा भू-सुधार के मार्ग की कानूनी बाधाएँ दूर करने के प्रयासों

आदि बातों की चर्चा की गई। इसी दिन रात्रि में खुला अधिवेशन भी प्रारम्भ हुआ।

खुले अधिवेशन में श्री वरूआ ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में परिवर्तन तथा सशक्त केन्द्र की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के २०-सूत्री कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दी गई थीं।

१ जनवरी, १९७६ को प्रातः अधिवेशन स्थल पर ही एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने नववर्ष का शुभारम्भ किसानों को संबोधन के साथ किया। इस अवसर पर आपने कहा कि औद्योगिक विकास की क्षमताओं की आवश्यकताओं के साथ ही कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की किसानों द्वारा सराहना की जानी चाहिए। खुले अधिवेशन में भी श्रीमती गांधी की दहाड़ गूँजती रही। आपने देश को विघटन की ओर ले जाने वाली राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों को ललकारते हुए स्पष्ट कहा कि दुनिया की कोई शक्ति अकेले अथवा संयुक्त रूप से भारत को अपने निर्धारित मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। आपने जनता को भी आश्वासन दिया कि जब तक वे जीवित हैं, कोई भी इस देश को कमजोर नहीं कर सकता। इस पर एकत्रित विशाल जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हर्षध्वनि की।

अधिवेशन को समाप्ति के अवसर पर कांग्रेसअध्यक्ष श्री वरूआ ने कहा कि भारत को स्वाधीनता दिलाने के वचन को कांग्रेस ने जिस प्रकार पूरा किया था, अब उसी प्रकार देश में समाजवाद की स्थापना के वायदे को पूरा किया जाएगा। अंतिम दिन प्रधानमन्त्री ने घोषणा की कि स्वर्गीय कामराज तथा

ललितनारायण मिश्र के स्मारक बनवाए जाएँगे। इस घोषणा का सभी ने स्वागत किया। इस प्रकार अनेक नवीन ठोस प्रस्तावों और दृढ़ संकल्पों के साथ यह अधिवेशन समाप्त हुआ। कहना न होगा कि सन् १९७५ के वर्षान्त को यह सर्वप्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। आपातकालीन स्थिति, आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के संकल्प और आचार्य विनोबा भावे के मौन-समाप्ति के बाद राष्ट्र को किये गए उद्बोधन को पृष्ठभूमि में कांग्रेस का यह अधिवेशन विशेष महत्त्व का माना जा सकता है। इस दृष्टि से इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव देश के दिशानिर्देशन में निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आईं। २६ दिसम्बर, १९७५ को राष्ट्रपतिभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया को आंध्र के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया तथा उनके स्थान पर भू. पू. केन्द्रीय जहाजरानी व परिवहनमन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। इसी दिन भू. पू. केन्द्रीय मन्त्री एवं बिहार से लोकसभा के सदस्य श्री बलिराम भगत को लोकसभा का अध्यक्ष चुनने का निश्चय किया गया। श्री भगत के नाम का प्रस्ताव श्रीमती गांधी ने किया तथा समर्थन संसदीय मामलों के मन्त्री श्री के. रघुरामैया ने किया। यह स्थान श्री दिल्ली के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल हो जाने से खाली हुआ था।

२ जनवरी, १९७६ को पुनः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में कुछ परिवर्तन किए गए। उसमें केन्द्रीय विधि, न्याय व कम्पनी मामलात की राज्यमन्त्री डॉ० सरोजिनी सहिणी का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया तथा पेट्रोलियम व रसायन उपमन्त्री श्री सी. पी. माझी को रसायन व उर्वरक मंत्रालय में उपमन्त्री व उद्योग और नागरिक आपूर्ति उपमन्त्री श्री जेड. आर. अंसारी को पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमन्त्री बनाया गया।

४ जनवरी को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विशाखा-पत्तनम् में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ६३वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिये गए भाषण में उन्होंने भारत में विज्ञान को ग्रामीण आधार प्रदान करने और स्वावलम्बी बनने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ओर जहाँ इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय ज्ञान पर विश्वास रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अधिवेशन की समाप्ति पर विशाखापत्तनम् से दिल्ली लौटने से कुछ देर पूर्व ही बन्दरगाह मैदान में आपने एक विशाल आमसभा में भाषण करते हुए भारतीय स्वतन्त्रता पर बाहरी खतरों की चेतावनी दी तथा किसी भी भावी चुनौती का मुकाबला करने के लिए जनता से एकता को सुदृढ़ करने व खेतों और कारखानों में उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया।

छिपी सम्पत्ति की स्वेच्छ्या घोषणा-कार्यक्रम : एक नया आर्थिक सोपान

देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो अपनी अर्जित सम्पत्ति की सही सूचना को छुपा कर टैक्सों की चोरी करते रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण देश में काले धन की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराने लगी थी। इन्दिराजी की दूरदृष्टि ने स्थिति के विगड़ते हुए रूप को भली प्रकार समझा तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक ठोस और कारगर कदम उठाए, जिससे समूचे आर्थिक क्षेत्र में क्रान्ति ही आ गई।

आपने तस्करी-नियंत्रण एवं छिपी सम्पत्ति को छापे मारकर खोज निकालने के क्रम में ही अपनी छिपी सम्पत्ति एवं आय को स्वेच्छ्या से घोषित करने की एक आदर्श योजना भी प्रस्तुत की, जिसके अन्तर्गत करों में काफी रियायत देने का प्रावधान था।

इन्दिराजी की यह आदर्श कल्पना व्यवहार की भूमि पर आशातीत सफल हुई। इसके लिए ३१ दिसम्बर, १९७५ अन्तिम तिथि निश्चित की गई।

इस योजना के अन्तर्गत भारत में कुल साढ़े चौदह अरब रुपये की आय व छिपी सम्पत्ति की स्वेच्छा से घोपणा की गई। इसमें ७ अरब रुपए की छिपी आय तथा ७.५० अरब रुपए की छुपी सम्पत्ति थी। इस सम्पूर्ण आय और सम्पत्ति पर करों के माध्यम से कुल २.५० अरब रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ४० करोड़ रुपए सरकारी सिक्योरिटियों में नियोजित किए गए हैं। इस योजना में मध्यप्रदेश में २६.६७, उत्तरप्रदेश में १००, जम्मू-कश्मीर में ३.६५, महाराष्ट्र में ४२०, उड़ीसा में १६.४५, कर्नाटक में ५०, राजस्थान में ३३, गुजरात में ७८ तथा अन्य प्रदेशों में ७२२ करोड़ रुपए की छुपी आय व सम्पत्ति की घोपणा की गई। वस्तुतः भारत की आर्थिक प्रगति के इतिहास में यह एक अत्यन्त ही उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। इससे न केवल आर्थिक असन्तुलन कम हुआ, बल्कि इससे नैतिक मूल्यों की स्थापना के कार्य में भी पर्याप्त सहयोग मिला।

५ जनवरी, १९७६ से संसद का सत्रारम्भ हुआ। इस वार केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा का नेता बनाया गया, क्योंकि पिछले नेता श्री उमाशंकर दोशित को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने राज्यसभा के सदस्यों से मन्त्रिमण्डलीय स्तर के तीन मन्त्रियों तथा चार राज्यमन्त्रियों का परिचय करवाया। इस अवसर पर इन्दिराजी ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया, जिसका सभी सदस्यों ने हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया। सत्रारम्भ पर राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण दिया, जिस पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वहुत शुक हुआ। इस

दौरान प्रधानमन्त्री के २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पर्याप्त समर्थन मिला। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस सदस्या श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने आपात्काल को प्रधानमन्त्री का एक ऐसा साहसिक कदम बतलाया, जिससे अराजकता पर रोक लगी।

८ जनवरी, १९७६ को प्रधानमन्त्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर त्रिदिवसीय बहस का उत्तर देते हुए व्यापक विचार-विमर्श व चिन्तन के वाद हो संविधान में संशोधन किए जाने की सलाह दी। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साठ करोड़ देशवासियों की चतुर्मुखी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए यदि राष्ट्र समाज परिवर्तन करना चाहता है तो कुछ नियन्त्रण अनिवार्य है। उनके उत्तर के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया।

आपने सदा ही दलगत संकीर्ण राजनीति से दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो 'स्वस्थ राजनीति' के लिए अनिवार्य है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर हुई बहस का उत्तर देते हुए इन्दिराजी ने स्पष्ट कर दिया कि महारानी गायत्री देवी तथा महारानी सिधिया की गिरफ्तारी किसी राजनीतिक प्रतिशोध के उद्देश्य से नहीं की गई है। इतना ही नहीं, आपने अत्यन्त उदार भाव से प्रस्ताव दिया कि विरोधी दल अपने रोड़ा डालने वाले रवैये का परित्याग वर बातचीत के लिए समुचित परिस्थितियाँ तैयार कर सकता है। आपने अपने एक घण्टे का भाषण समाप्त करते हुए सहयोग के नये युग के सूत्रपात की जोरदार अपील की, जिससे भारतमाता पुनः तरुण हो सके तथा अपना सिर ऊँचा उठा सके। आपके इस प्रस्ताव व अपील का सभी ने मुक्त-कण्ठ से स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया।

११ जनवरी को इन्दिराजी ने राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था की छठी बैठक में भाषण देते हुए उत्पादन के मार्ग में आने वाली

वाधाओं को दूर करने की बात कही। १२ जनवरी को जयपुर की राजमाता श्रीमती गायत्रीदेवी को दो मास के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। इसी दिन स्व० लालबहादुर शास्त्री की दसवीं पुण्य तिथि पर आयोजित सभा में आपने स्वर्गीय शास्त्रीजी के प्रेरक व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि श्री लालबहादुर शास्त्री ही उन्हें पुनः राजनीति में लाये थे। १३ जनवरी को भारत और रूस के मध्य कृषि व पशुविज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में एक द्वि-वार्षिक सन्धि सम्पन्न हुई।

इसी समय मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री तुन अब्दुल रजाक के निधन की सूचना मिली, इससे भारत में सर्वत्र शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उनके निधन पर एक शोक सन्देश भेजा, जिसमें देश व क्षेत्र के लिए उनके द्वारा की गई सेवाओं का स्मरण किया गया।

१६ जनवरी, १९७६ को तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जूलियस न्येरेरे 'नेहरू पुरस्कार' प्राप्त करने भारत पधारे। इन्दिराजी ने राष्ट्रपति श्री अहमद के साथ हवाई अड्डे पहुँच कर उनका हार्दिक अभिनन्दन किया।

१७ जनवरी, १९७६ को पानार आश्रम में भूदान नेता आचार्य विनोबा भावे ने देश के आचार्यों (बुद्धिजीवियों) का त्रिदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने समस्त बुद्धिजीवियों से राष्ट्रीय अनुशासन की स्थापना तथा अखण्डता के लिए अपनी भूमिका निभाने की अपील की तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया।

१८ जनवरी को मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम की भारत यात्रा पूर्ण होने पर उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर नावभीनी विदाई दी गई। इन्दिराजी भी इस अवसर पर

उपस्थित थीं। इसी दिन आपने पंजाब के वयोवृद्ध नेता व साहित्यकार ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर के निधन पर स्वयं उनके निवास-स्थान पर जाकर संवेदना प्रकट की। रात्रि में आपने भारतीय राष्ट्रपति द्वारा तंजानिया के राष्ट्रपति श्री न्येरेरे के सम्मान में दिए गए रात्रिभोज में भाग लिया।

१६ जनवरी को पौनार में आयोजित त्रिदिवसीय आचार्य-सम्मेलन इस प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हो गया कि राष्ट्र में सामान्य स्थिति प्रस्थापित करने की दृष्टि से तथा प्रधानमन्त्री के शब्दों में प्रजातन्त्र को लाइन पर लाने की दृष्टि से उचित कदम उठाकर शीघ्रातिशीघ्र आम चुनाव के लिए उचित वायुमण्डल का निर्माण किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सम्मेलन में आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् समाज के कमजोर वर्ग के हित में जो कुछ किया गया है तथा शैक्षणिक संस्थाओं में शांति, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार, मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण व तस्करी, कालाबाजारी आदि के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर सम्मेलन में सन्तोष प्रकट किया गया। इसी दिन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री तथा वर्तमान में रक्षामन्त्री श्री वंशीलाल ने अपने गृह जिले की प्रथम यात्रा के अवसर पर आयोजित विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए इन्दिराजी के प्रति अपनी आजीवन वफादारी का संकल्प व्यक्त किया तथा कहा कि वे मुझे जो भी कार्य सौंपती हैं, उसे मैं समर्पण की भावना से करता हूँ।

२२ जनवरी को फ्रांस के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा के पूर्वसंध्या पर ए.एफ.पी. को एक भेंट देते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमत् गांधी ने जनतन्त्र की सफलता के लिए सरकार और प्रतिपक्ष के समान जिम्मेदारी की बात कही, जो स्पष्टतः उनके सन्तुलित दृष्टि कोण की परिचायक मानी जा सकती है। २३ जनवरी को फ्रांस के प्रधानमन्त्री श्री जेकबोज शिराक प्रथम बार राजकीय यात्रा प

भारत पधारे। इन्दिराजी ने हवाई अड्डे पर उनकी भावभीनी अगवानी की। इसी दिन प्रातःकाल अपने निवास स्थान पर आयोजित एक समारोह में इन्दिराजी ने गत वर्ष असाधारण साहस और सूझ-बूझ प्रदर्शित करने वाले देश के विभिन्न भागों के १५ वच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आपने कहा कि वच्चों को इस देश को भारतीयों के लिए सुन्दर बनाने में बड़ी भूमिका अदा करनी है।

२३ जनवरी को ही इन्दिराजी ने चिकित्सक संघ के ३१वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया तथा कहा कि अब हमें निर्यायक रूप से कार्यवाही कर तीव्रता से जन्मदर घटानी चाहिए। हमें ऐसे कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, जिसे कठोर बताया जाए।

प्रधानमन्त्रित्व की दशाब्दी पूर्ण : उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ

२४ जनवरी, १९७६ को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्रित्व के दस वर्ष पूर्ण हुए। प्रशासन के सफलतम इन १० वर्षों की पूर्णता के उपलक्ष्य में समूचा राष्ट्र हर्ष और उल्लास से भर उठा। इस दिन संकड़ों लोग इन्दिराजी को बधाइयाँ देने उनके निवास स्थान पर पहुँचे।

केन्द्रीय मन्त्रीगण, संसद सदस्य तथा बहुत बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य और सामान्य लोगों ने श्रीमती गांधी का अभिनन्दन किया, उन्हें पुष्प-मालाओं से लाद दिया। प्रधानमन्त्री निवास पर चौबीस घण्टे बण्ड-बाजे बजाए गए। इन्दिराजी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने हेतु जब बाहर आईं तो असंख्य कण्ठों की हर्षोल्लास भरी ध्वनियों से नमूचा वायुमण्डल गुँज उठा।

इस अवसर पर वाराणसी के एक हिन्दी दैनिक 'आज' को दो गई भेंट-वार्ता में आपने कहा कि हमारा दृढ विश्वास है कि

लोकतन्त्र ही भारत के लिए उचित रास्ता है, जनता का बल है और उसी में जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता; किन्तु यह देखना बहुत जरूरी है कि वह उचित ढंग से चल रहा है कि नहीं तथा उस में कौनसी रुकावटें हैं? उन रुकावटों को दूर किए जाने के प्रयास होने आवश्यक हैं। आपने कहा कि दस वर्षों के मेरे कार्यकाल में देश में बहुत अधिक कार्य हुआ है। मेरे प्रधानमन्त्री बनने के तुरन्त बाद बहुत बड़ा सूखा पड़ा, जिससे शिक्षा लेकर निर्णय लिया गया कि कृषि नीति को ऐसा बनायें, जिससे आगे चलकर कृषि-उत्पादन बढ़े। उसका पहला परिणाम १९७१ में सामने आया, जब ८० लाख टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बंगलादेश का संकट सामने आ गया। बंगलादेश के शरणार्थियों का बोझ हमारे ऊपर पड़ा। हमने उनकी देखभाल की। उसके बाद पुनः दो वर्ष भयानक सूखा पड़ा। राहत-कार्यों आदि के खर्चों का भारी बोझ पड़ा, क्योंकि लगभग ६ करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ा और १३ करोड़ के लिए राहत कार्य चालू किए गए। साथ ही बाहर के देशों की मुद्रास्फीति, अनाज, खाद व आवश्यक मशीनरी के मूल्यों में वृद्धि तथा पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से भी हम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा। प्रधानमन्त्री ने कहा कि इतने भारी बोझ के बावजूद राजनीतिक एकता व सुदृढ़ता के कारण हम बंगलादेश जैसी समस्या का सामना करने में पूर्ण सफल रहे। आपने यह स्वीकार किया कि विशेषकर आदिवासी क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बहुत गरीबी है, किन्तु अनेक क्षेत्रों में हम गरीबी पर काबू पाने में सफल हो रहे हैं। लोगों के खान-पान व रहन-सहन में अन्तर आ रहा है। देहातों में भी अन्तर आया है। हमारे विकास व आगे बढ़ने की गति इस बात पर निर्भर है कि हमारी कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा। वस्तु उद्देश्य से सिंचाई व विजली की व्यापक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

आपने अपने ऊपर कुछ लोगों द्वारा लगाए गए इस आरोप के उत्तर में, कि संविधान में संशोधन करके आप अपने अधिकार बहुत बढ़ा लेना चाहती हैं, आपने बतलाया कि हमने अपनी नौकर-शाही को इतने अधिकार दे दिए हैं कि हमारे पास बहुत कम अधिकार रह गए हैं। राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के पास ही प्रधानमंत्री से अधिक अधिकार हैं।

इन्दिराजी के प्रधानमन्त्रित्व की दशाव्दी की उपलब्धियों की चर्चा देश के कोने-कोने में त्रिशिष्ट व्यक्तियों और सामान्य लोगों के द्वारा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस के साप्ताहिक 'सोशललिस्ट इण्डिया' के गणतन्त्र दिवस विशेषांक के लिए दिए गए अपने सन्देश में राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद देश श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः निर्माण तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के अपने कार्यक्रमों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस नाजुक दौर में श्रीमती गांधी ने संकट की प्रत्येक घड़ी में नेतृत्वपूर्ण व दृढ़निश्चयी भूमिका अदा की और त्वरित निराणय लिए, जिससे देश को प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिली।

२५ जनवरी, १९७६ को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित दशाव्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री श्री राजबहादुर ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मन्त्रित्व का एक दशक जहाँ चुनौतियों से भरा दशक रहा है, वहीं इसे महान् उपलब्धियों का दशक भी कहा जा सकता है। इस दशक के दौरान देश ने जहाँ आन्तरिक संकटों पर काबू पाया है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। देश में आपात-स्थिति की घोषणा को उन्होंने उचित बताया और कहा कि इससे पूर्व और बाद की घटनाओं से इसका अचित्य साफ हो गया है। श्रीमती गांधी के नीत-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को उन्होंने एक

क्रान्तिकारी कार्यक्रम बताया और कहा कि समाज के पिछड़े और दबे हुए तबके के लोगों को इससे राहत मिली है तथा आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगा है ।

इस दशाब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने कहा कि श्रीमती गांधी दरिद्र-नारायण को ऊँचा उठाने के गांधी, नेहरू व शास्त्री के स्वप्नों को पूरा करने में लगी हुई है । वे देश के सर्वहारा, पिछड़े और गरीब तबके के लोगों की आवाज है तथा उनका प्रतिनिधित्व करती हैं । भारतीय जनमानस को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व एक नई दिशाबोध हुआ है और हमारे देश ने विश्व की पाँचवीं सैन्यशक्ति, छठी अणुशक्ति और अन्तरिक्ष अनुसन्धान में सातवीं शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है ।

आन्ध्रप्रदेश के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन दस वर्षों में देश को जिस दृढ़ता के साथ नेतृत्व दिया, वह इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जाएगा । उतार-चढ़ाव तथा विपत्तियों के बीच उन्होंने वहादुरी से काम लिया । समय पर उचित निर्णय और दृढ़ता के साथ पालन करके उन्होंने संकटकालीन स्थितियों में देश को बचाया और आगे बढ़ाया । हरियाणा के भू. पू. मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय रक्षामंत्री श्री वंशीलाल ने अपने गृह जिले में एक विशाल सावं-जनिक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है ।

वस्तुतः प्रधानमंत्री के शासन-काल के दस वर्षों का लेखा-जोखा एक ऐसी कहानी है, जिसमें देश को जहाँ कई वार ज्ञात व अज्ञात आशंकाओं के दौरे से गुजरना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर

लोकतान्त्रिक समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने के लिए नया अवसर भी मिला है। देशवासी उस समय को नहीं भूल सकते, जब न केवल भारत से बाहर, अपितु देश के भीतर भी, यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अब लोकतंत्र और देश की एकता—दोनों का अन्त होने वाला है। परन्तु प्रत्येक संकट के बीच इन्दिराजी ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया और भारत में लोकतंत्र व एकता की रक्षा करते हुए देश के आर्थिक व सामाजिक पुनरुद्धार के लिए कार्य किया, वह भारत के इतिहास में अद्वितीय माना जाएगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्री-काल की प्रमुख तिथियाँ :

२४ जनवरी, १९६६

—भारत की तृतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद का कार्य-भार सम्हाला।

अप्रैल, १९६६

—तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्व भारतीय (शान्ति निकेतन) विश्वविद्यालय का कुलपति-पद प्रदान किया गया।

३० जून, १९६६

—त्रिवेन्द्रम का दौरा।

जुलाई, १९६६

—अमेरिका-यात्रा के दौरान "Key to the freedom of the city syracuse" (New York) की उपाधि।

१५ अगस्त, १९६६

—लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण तथा राष्ट्रवासियों को सम्बोधन।

फरवरी, १९६७

—रायवरेली क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित।

१२ मार्च, १९६७

—पुनः कांग्रेस दल की संसदीय नेता अर्थात् प्रधान मन्त्री निर्वाचित ।

सितम्बर, १९६७

—योजना-आयोग की अध्यक्ष ।
—श्रीलंका की ४ दिवसीय राजकीय यात्रा ।

नवम्बर, १९६७

—सास्को में सोवियत क्रांति की ५० वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया ।

मई-जून, १९६८

—दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों (सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड व मलेशिया) को १४ दिवसीय यात्रा ।

२८ जून, १९६९

—इण्डोनेशिया-यात्रा । जकार्ता पहुँचने पर भव्य स्वागत ।

३० जून, १९६९

—इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो तथा प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी द्वारा प्रतिरक्षा-सम्बन्धी समझौते का विरोध ।

१५ जुलाई, १९६९

—कार्यकारी राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि से उनके राष्ट्रपति-पद के लिए चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में वार्ता ।

१६ जुलाई, १९६९

—उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से त्यागपत्र लिया । सिण्डीकेट के विरुद्ध लड़ाई का खुले रूप में प्रथम बार एलान ।

- १६ जुलाई, १९६६ —आकाशवाणी से प्रसारण में देश के १४ वेंकों के राष्ट्रीय-करण की घोषणा ।
- २१ जुलाई, १९६६ —अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से दिल्ली में विभिन्न समस्याओं पर वार्ता ।
- १३ अगस्त, १९६६ —संजीव रेड्डी के समर्थन में विह्वल जारी करने की बात अस्वीकृत ।
- १५ अगस्त, १९६६ —२२ वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में जनता को सम्बोधन तथा राष्ट्रपति-पद के चुनाव में इच्छानुसार मतदान की मांग का समर्थन ।
- २५ अगस्त, १९६६ —कांग्रेस-कार्यकारिणी द्वारा प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने का निर्णय ।
- २६ अगस्त, १९६६ —समान विचारों के लोगों को पुनः कांग्रेस में लौट आने की अपील ।
- ५ सितम्बर, १९६६ —दिल्ली-हवाई अड्डे पर नेपाल-नरेश महाराजाधिराज महेन्द्र तथा महारानी रत्ना से भेंट व वार्ता ।
- ६ सितम्बर, १९६६ —दिल्ली हवाई अड्डे पर हसी प्रधान मंत्री लोनीनित से ५० मिनट तक वार्ता ।

- १२ सितम्बर, १९६६ —कलकत्ता-यात्रा के दौरान समाजवाद को भारत की प्रगति का एकमात्र मार्ग घोषित ।
- १६ सितम्बर, १९६६ —१०-सूत्री कार्यक्रम पर हड़ता से अमल करने का निश्चय ।
- २१ सितम्बर, १९६६ —असम-यात्रा के प्रथम दिन तेजपुर पहुँची ।
- २३ सितम्बर, १९६६ —इम्फाल की जन-सभा में पत्थर वर्षा व संघर्ष के बीच निर्भीकता-पूर्वक भाषण ।
- २५ सितम्बर, १९६६ —अहमदाबाद के दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा ।
- २६ सितम्बर, १९६६ —राष्ट्रीय विकास-परिषद् की बैठक में साम्प्रदायिक दंगों के प्रति चौकस रहने की सलाह ।
- १ अक्टूबर, १९६६ —बादशाह खान का दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर स्वागत ।
- ८ अक्टूबर, १९६६ —चन्डीगढ़-समस्या के बारे में पंजाब के विधायकों का आपकी कोठी के बाहर धरना ।
- ९ अक्टूबर, १९६६ —प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष श्री निर्जलिंगप्पा में कार्यकारिणी की बैठक-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार से कांग्रेस में नये संकट की आशंका ।

- १० अक्टूबर, १९६६ — लक्षद्वीप की यात्रा । भव्य स्वागत ।
- १५ अक्टूबर, १९६६ — चार कनिष्ठ मन्त्रियों श्री एम. एस. गुरुपद स्वामी, परिमल घोष, जगन्नाथ पहाड़िया तथा जे.बी. मुथुलराव को पद त्यागने की सलाह ।
- ३१ अक्टूबर, १९६६ — कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग न लेने का निर्णय ।
- ५ नवम्बर, १९६६ — रवात के इस्लामी देशों के सम्मेलन में भाग लेने सम्बन्धी फैसले पर कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी में खींचतान ।
- ७ नवम्बर, १९६६ — प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी [व कांग्रेस-अध्यक्ष श्री निर्जलिंगप्पा की शिखर-वार्ता विफल ।
- १२ नवम्बर, १९६६ — प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित ।
- १३ नवम्बर, १९६६ — कांग्रेस-सदस्यों द्वारा आपका समर्थन ।
- १७ नवम्बर, १९६६ — लोकसभा में शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन रवात

सम्बन्धी 'काम रोको' प्रस्ताव पर मतदान में इन्दिराजी की विजय ।

१६ जनवरी, १९७०

—गृहमन्त्री श्री चव्हान तथा श्री जगजीवनराम के साथ चण्डीगढ़ समस्या पर विचार ।

१९ जनवरी, १९७०

—तारापुर का आणविक शक्ति-केन्द्र देश को समर्पित ।

२९ जनवरी, १९७०

—चण्डीगढ़-समस्या का हल प्रस्तुत । इसके अन्तर्गत चण्डीगढ़ पंजाब को दिया गया तथा फाजिल्का तहसील सहित ११८ गाँव हरियाणा को दे दिए गए ।

२४ फरवरी, १९७०

—केन्द्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व लोकसभा में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत ।

६ मार्च, १९७०

—प्रधानमन्त्री द्वारा नेत्रदान का फैसला ।

१२ मार्च, १९७०

—पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री अजय मुखर्जी से वार्ता ।

२ अप्रैल, १९७०

—नए राज्य मेघालय का उद्घाटन ।

१७ अप्रैल, १९७०

—लोकसभा में हास्पेट, सालेम तथा विशाखापत्तनम् में नए इस्पात कारखाने खोलने की घोषणा ।

- १ मई, १९७० —वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए टेलीविजन, चाय आदि के करों में कटौती की घोषणा ।
- २ जून, १९७० —मारीशस की यात्रा । भव्य स्वागत ।
- ३ जून, १९७० —मारीशस के प्रधानमन्त्री डॉ० शिवसागर रामगुलाम के साथ वार्ता ।
- ६ जून, १९७० —मारीशस की यात्रा पूरी कर स्वदेश वापिस ।
- ११ जून, १९७० —सत्ताधारी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया ।
- १९ जून, १९७० —ग्राम चुनाव शीघ्र कराने के बारे में प्रधानमन्त्री का संकेत ।
- २२ जून, १९७० —दिल्ली के ऐतिहासिक चाँदनी चौक में जनता को सम्बोधित करते हुए शान्तिपूर्ण क्रान्ति का आह्वान ।
- २६ जून, १९७० —केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भारी फेर-वदल । गृहमन्त्री चव्हाण से गृह-मंत्रालय स्वयं लेकर उन्हें वित्तमन्त्री बनाया तथा श्री दिनेशसिंह से विदेश मंत्रालय लेकर औद्योगिक विज्ञान व आन्तरिक व्यापार मंत्रालय सौंपा ।

- २८ जून, १९७० —तीन और मन्त्रियों की नियुक्ति ।
- १४ जुलाई, १९७० —कश्मीर-यात्रा के दौरान श्रीनगर में भाषण तथा वेरोजगारी व साम्प्रदायिकता की समस्याओं की चर्चा ।
- १६ जुलाई, १९७० —उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री आर. एन. सिंह देव से इस्पात कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत ।
- १७ जुलाई, १९७० —पश्चिमी बंगाल की यात्रा के दौरान कलकत्ता पहुँची, जहाँ राज्यपाल व विभिन्न दलों के नेताओं के साथ राज्य में कानून व व्यवस्था तथा विकास समस्याओं पर बातचीत । इसी दिन संध्या को हैदरावाद रवाना ।
- १८ जुलाई, १९७० —मैसूर-यात्रा प्रारम्भ ।
- २७ जुलाई, १९७० —केरल में १७ सितम्बर से मध्यावधि चुनाव किए जाने की घोषणा ।
- १२ अक्टूबर, १९७० —जगजीवनराम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की पटना में हुई बैठक में सम्पत्ति नीमा निर्धारण का घोषणा ।

- १३ अक्टूबर, १९७० —पटना में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन शुरू ।
- १४ अक्टूबर, १९७० —पटना में कांग्रेस-अधिवेशन में १९७१ तक परती जमीन वांटने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित ।
- ८ नवम्बर, १९७० —सत्तारूढ़ कांग्रेस की कार्य-कारिणी की बैठक में श्रीमती गांधी द्वारा एकता का आह्वान ।
- १० नवम्बर, १९७० —संसद में मेघालय को राज्य बनाने की घोषणा ।
- २६ नवम्बर, १९७० —नई कांग्रेस तथा प्रजा समाजवादी पार्टी में परस्पर सहयोग और समझौते की वार्ता ।
- २४ दिसम्बर, १९७० —कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक ।
- २७ दिसम्बर, १९७० —मन्त्रिमण्डल की आवश्यक बैठक । प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करने का परामर्श ।
- २८ दिसम्बर, १९७० —राष्ट्र के नाम आकाशवाणी से प्रसारित सन्देश में प्रधानमन्त्री द्वारा लोकसभा भंग किए जाने तथा संसद के मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घोषणा ।

- २६ दिसम्बर, १९७० —मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस. पी. सेन वर्मा द्वारा २८ फरवरी से १ मार्च, १९७१ के मध्य मध्यावधि चुनाव करवाए जाने का संकेत ।
- ८ जनवरी, १९७१ —संसद में राजाओं के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स की समाप्ति की घोषणा ।
- १३ जनवरी, १९७१ —निरन्तर चुनाव-प्रचार का प्रारम्भ ।
- २७ जनवरी, १९७१ —राष्ट्रपति द्वारा चुनाव तिथि के सम्बन्ध में पहली अधिसूचना जारी ।
- १ मार्च, १९७१ —चुनाव के पहले दौर का मतदान ।
- १५ मार्च, १९७१ —जगजीवनराम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक ।
- २५ मार्च, १९७१ —रात्रि में बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन का सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ ।
- ३१ मार्च, १९७१ —भारतीय संसद में बंगलादेश में होने वाले पाक सैनिकों के नापाक दमन तथा अत्याचार की तीव्र निन्दा ।

४ अप्रैल, १९७१

--प्रधानमंत्री द्वारा इस बात की घोषणा कि बंगलादेश में हो रहे पाकिस्तानी अत्याचारों को भारत चुपचाप बैठा नहीं देखेगा ।

अप्रैल, १९७१

--प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के विरुद्ध राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका प्रस्तुत ।

२४ मई, १९७१

--प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बंगलादेश के सम्बन्ध में एक साहसिक वक्तव्य ।

२६ मई, १९७१

--संसद में वक्तव्य ।

३१ जुलाई, १९७१

--कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की सभा में भाषण करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा स्वतन्त्रता के महत्व की चर्चा तथा बंगलादेश की समस्या को सही ढंग से समझने की सलाह ।

६ अगस्त, १९७१

--भारत-सोवियत शान्ति, मित्रता एवं सहयोग की बीस वर्षीय सन्धि सम्पन्न ।

१५ अगस्त, १९७१

--लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण तथा राष्ट्रवासियों के नाम सन्देश ।

७ सितम्बर, १९७१

--राष्ट्रपति द्वारा अफ़्घानिस्तान जारी कर नरेशों की मान्यता रद्द ।

२७ सितम्बर, १९७१

२४ अक्टूबर, १९७१

११ नवम्बर, १९७१

१ दिसम्बर, १९७१

४ दिसम्बर, १९७१

६ दिसम्बर, १९७१

१६ दिसम्बर, १९७१

१८ दिसम्बर, १९७१

—प्रधानमंत्री की तीन दिवसीय मास्को-यात्रा ।

—प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों के तीन सप्ताह के दौरे पर रवाना ।

—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक समिति की नई दिल्ली में बैठक ।

—कांग्रेस संसदीय पार्टी की कार्य-समिति की बैठक ।

—संसद में वक्तव्य ।

—पाकिस्तानी आक्रमण एवं आपात स्थिति की घोषणा के उपरान्त प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो से राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित ।

—प्रधानमंत्री द्वारा संसद में बंगलादेश को भारतीय मान्यता की औपचारिक घोषणा ।

—बंगलादेश स्वतन्त्र तथा पाक सेना द्वारा आत्मसमर्पण ।

—संध्या लगभग ७ बजे प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो से राष्ट्र के नाम विशेष संदेश प्रसारित ।

—संसद द्वारा प्रधानमंत्री का भव्य अभिनंदन ।

- १ जनवरी, १९७२ —मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा ।
- मिजोरम अलग से केन्द्रशासित राज्य बना ।
- अरुणाचल की स्थापना ।
- २० जनवरी, १९७२ —मेघालय तथा अरुणाचल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन सम्पन्न ।
- २६ जनवरी, १९७२ —श्रीमती इन्दिरा गांधी देश के सर्वोच्च अलंकरण 'भारतरत्न' से विभूषित ।
- २९ जनवरी, १९७२ —मणिपुर, त्रिपुरा तथा केन्द्रशासित राज्य मिजोरम का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन सम्पन्न ।
- १३ मार्च, १९७२ —कांग्रेस संसदीय समिति में भाषण ।
- १६ मार्च, १९७२ —ढाका में बंगलादेश तथा भारत के मध्य हुई शांति, मैत्री तथा सहयोग की पच्चीस वर्षीय संधि पर प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर ।
- २५ अप्रैल, १९७२ —प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री दुर्गाप्रसाद धर की मरी में पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों तथा राष्ट्रपति भुट्टो के साथ वार्ता ।

१२०

३० जून, १९७२

—राष्ट्रपति भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल का समझौता-वार्ता के लिए भारत-आगमन ।

२ जुलाई, १९७२

—भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला-समझौता सम्पन्न हुआ ।

१४-१५ अगस्त, १९७२

—मध्य रात्रि में संसद के विशेष अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा भाषण ।

१५ अगस्त, १९७२

—लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण तथा राष्ट्रवासियों के नाम सन्देश ।

२८ अगस्त, १९७२

—प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत, बंगलादेश तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता सम्पन्न ।

६ सितम्बर, १९७२

—इन्दिराजी गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की चौथी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने अल्जीरिया गईं ।

१४ अक्टूबर, १९७२

—सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ।

२७-२९ अक्टूबर, १९७२

—भूटान की राजकीय यात्रा ।

२ नवम्बर, १९७२

—वर्म्बई में नेहरू सेक्टर का शिलान्यास ।

- ३ नवम्बर, १९७२ —तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन सम्पन्न ।
- २३ नवम्बर, १९७२ —आंध्र प्रदेश के मुल्की नियमों के मसले पर प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी द्वारा हिंसा की निंदा तथा वहाँ के लोगों को संगठित रखने की राज्यसभा के सदस्यों से अपील ।
- २१ दिसम्बर, १९७२ —प्रधानमन्त्री द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सम्भावित समस्याओं का संकेत ।
- २६-२९ दिसम्बर, १९७२ —कांग्रेस के ७४वें अधिवेशन में सम्मिलित ।
- १८ जनवरी, १९७३ —आंध्रप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू ।
- ३ फरवरी, १९७३ —मजदूर विरोधी कदम न उठाने की घोषणा ।
- ४ फरवरी, १९७३ —अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार ।
- ५ फरवरी, १९७३ —नये केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण ।
- ७ फरवरी, १९७३ —नेपाल-यात्रा के प्रारम्भ में काठमाण्डू में भारतीय उपमहा-द्वीप में स्थायी शान्ति बनाये रखने पर बल ।

- ८ फरवरी, १९७३ — काठमाण्डू में नेपाली प्रधानमंत्री कीर्त्तिनिधि त्रिष्ट को वार्ता के दौरान पूर्ण सहयोग का आश्वासन ।
- १० फरवरी, १९७३ — नेपाल-यात्रा पूर्ण कर स्वदेश वापस ।
- १३ फरवरी, १९७३ — आंध्र के नेताओं से वार्ता ।
- ११ मार्च, १९७३ — दिल्ली के गल्ला व्यापारियों द्वारा प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन ।
- १६ मार्च, १९७३ — पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कर्णसिंह का मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र ।
- १८ मार्च, १९७३ — डॉ. कर्णसिंह का त्यागपत्र स्वीकार करने से इन्कार ।
- १९ मार्च, १९७३ — नई दिल्ली में पूर्व जर्मनी के प्रधानमंत्री विली स्टोफ के साथ वार्ता ।
- २० मार्च, १९७३ — डॉ. कर्णसिंह का स्तीफा वापस ।
- २८ मार्च, १९७३ — मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू ।
- ५ अप्रैल, १९७३ — सिक्किम के चोग्याल द्वारा देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय सेना से अनुरोध ।

- ८ अप्रैल, १९७३ — चोग्याल के अनुरोध पर भारतीय राजनीतिक अधिकारी शंकर वाजपेयी द्वारा सिक्किम का कार्यभार सम्हाला गया ।
- ९ अप्रैल, १९७३ — दिल्ली नगरपालिका आयुक्त वी. एस. दास सिक्किम के प्रशासक नियुक्त ।
- १३ अप्रैल, १९७३ — भारत-सिक्किम में राजनीतिक मुद्दों पर सहमति से गंगटोक में स्थिति सामान्य ।
- १५ अप्रैल, १९७३ — दिल्ली में दो दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन में नये राज्यों के गठन की सम्भावना व्यक्त ।
- २० अप्रैल, १९७३ — अमेरिकी उपविदेशमंत्री केनेथ रश और सहायक विदेशमंत्री जोसेफ सिस्को से नयी दिल्ली में वार्ता ।
- २६ अप्रैल, १९७३ — न्यायाधीश शेलट, हेगडे तथा ग्रीवर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्यागपत्र ।
- श्री अजितनाथ राय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद का कार्यभार ग्रहण ।
- २७ अप्रैल, १९७३ — लंका-यात्रा के दौरान कोलंबो में भव्य स्वागत ।

२६ अप्रैल, १९७३

३१ मई, १९७३

१३ जून, १९७३

१५ से १७ जून, १९७३

१७ से २४ जून, १९७३

२५ जून, १९७३

६ जुलाई, १९७३

१० जुलाई, १९७३

१५ जुलाई, १९७३

२४ जुलाई, १९७३

१० अगस्त, १९७३

—लंकायात्रा-समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।

—केन्द्रीय इस्पात मंत्री मोहन कुमार मंगलम की विमान-दुर्घटना में मृत्यु ।

—उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू ।

—यूगोस्लाविया यात्रा ।

—कैनाडा-यात्रा ।

—लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ से वार्ता ।

—कांग्रेसियों की परस्पर लड़ाई पर कड़ी कार्यवाही की धमकी ।

—दिल्ली के कार्यकारी पार्षद चौधरी मांगेराम द्वारा असन्तुष्ट कांग्रेसियों का ज्ञापन प्रस्तुत ।

—प्रकाशचन्द्र सेठी से वातचीत ।

—इस्लामावाद में भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के स्तर की वार्ता शुरू ।

—शेख अब्दुल्ला द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के श्रीनगर में एलान ।

१५ अगस्त, १९७३

—लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण तथा राष्ट्रवासियों को संबोधन ।

१७ अगस्त, १९७३

—लाल किले के क्षेत्र में कालपात्र गाड़ा ।

—दूसरे दौर की वार्ता के लिए श्री अजीज अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल का भारत आगमन ।

२१ अगस्त, १९७३

—प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी की उपस्थिति में भारत-पाक प्रतिनिधियों की वार्ता ।

२६ अगस्त, १९७३

—पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल से भेंट ।

२८ अगस्त, १९७३

—भारत-पाकिस्तान के मध्य समझौता सम्पन्न ।

३ सितम्बर, १९७३

—गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु अल्जीयर्स प्रस्थान ।

१० सितम्बर, १९७३

—अल्जीयर्स सम्मेलन में भाग लेकर स्वदेश वापस ।

११ सितम्बर, १९७३

—क्यूबा के प्रधानमन्त्री फिदेल कास्त्रो का स्वागत ।

२० सितम्बर, १९७३

—तमिलनाडु में कामराज से वार्ता ।

२६ सितम्बर, १९७३

—हथियारों के मामले में भारत-पाक की समता का तर्क इन्दिरा जी द्वारा अमान्य ।

२ अक्टूबर, १९७३

—मथुरा तेलशोधक कारखाने का शिलान्यास ।

१२ अक्टूबर, १९७३

—नेपाल नरेश महाराजाधिराज वीरेन्द्र तथा महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी का दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत ।

२० अक्टूबर, १९७३

—इन्दिराजी द्वारा अरब राष्ट्रों के समर्थन को उचित बतलाया जाना ।

३० अक्टूबर, १९७३

—अहमदाबाद की एक सभा में भाषण ।

३ नवम्बर, १९७३

—विश्व बैंक के अध्यक्ष राँवर्ट मैकनामारा से नई दिल्ली में वार्ता ।

६-६ नवम्बर, १९७३

—केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

१२ नवम्बर, १९७३

—संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू ।

२२ नवम्बर, १९७३

—सरकार के खिलाफ अविश्वास-प्रस्ताव लोकसभा में रद्द ।

२६ नवम्बर, १९७३

—रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के महा-सचिव ब्रेज्नेव का दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत ।

२७ नवम्बर, १९७३

२९ नवम्बर, १९७३

१ दिसम्बर, १९७३

२ दिसम्बर, १९७३

५ दिसम्बर, १९७३

७ दिसम्बर, १९७३

२३ दिसम्बर, १९७३

—ब्रेजनेव के साथ वार्ता ।

—ब्रेजनेव तथा इन्दिरा गांधी द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर ।

—आंध्रप्रदेश कांग्रेस विधानमण्डल पार्टी की बैठक में नेता के नाम के चुनाव के लिए इन्दिराजी से अनुरोध ।

—कोहिमा में विद्रोही नागा नेताओं से नागा-समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान में सहयोग की अपील ।

—खेखड़ा (मेरठ) में शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन के निर्माण-कार्य के शुरुआत की रस्म-अदायगी ।

—चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉ. गुस्ताव हुसाक के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर ।

—जे. वेंगल राव आंध्रप्रदेश कांग्रेस विधानमण्डल पार्टी के नेता निर्वाचित ।

—लाल किले के पास विपक्षी दलों द्वारा गाड़े गए कालपात्र को खोद कर निकालने का प्रयास ।

- २६ दिसम्बर, १९७३
- इन्दिराजी द्वारा महाराष्ट्र कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को सीमा-विवाद पर सद्भाव बनाये रखने की सलाह ।
- ३१ दिसम्बर, १९७३
- पत्रकार सम्मेलन में इन्दिराजी द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली हथियारों की सहायता को तनाव का कारण बतलाना ।
- ३ जनवरी, १९७४
- इन्दिराजी द्वारा विज्ञापन के विकास पर बल ।
- १३ जनवरी, १९७४
- नरोरा (बुलन्दशहर) में चौथे आणविक संयंत्र का शिलान्यास ।
- २२ जनवरी, १९७४
- लंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डार नायके का दिल्ली पहुँचने पर भव्य स्वागत ।
- २४ जनवरी, १९७४
- यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो का स्वागत ।
- २५ जनवरी, १९७४
- मार्शल टीटो को नेहरू शान्ति पुरस्कार से सम्मानित ।
- २६ जनवरी, १९७४
- गणराज्य दिवस समारोह में सम्मिलित ।
- ५ फरवरी, १९७४
- दमिश्क जाते हुए मार्शल टीटो के दिल्ली से गुजरने पर श्रीमती गांधी की हवाई अड्डे पर वार्ता ।

६ फरवरी, १९७४

—गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू ।

१० फरवरी, १९७४

—प्रधानमंत्री द्वारा इस्लामी शिखर सम्मेलन को [संकुचित विचारधारा का द्योतक बतलाया गया ।

१८ फरवरी, १९७४

—बहिष्कार, बहिर्गमन तथा तनावपूर्ण वातावरण में संसद का वजट सत्र प्रारम्भ ।

२४ फरवरी, १९७४

—मिस्र के राष्ट्रपति सादात का दिल्ली में भव्य स्वागत ।

—उत्तरप्रदेश के २३० निर्वाचन क्षेत्रों में भारी मतदान ।

८ मार्च, १९७४

—मालदीव के प्रधानमंत्री अहमद जकी का स्वागत ।

११ मार्च, १९७४

—मोरारजी का अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू ।

१६ मार्च, १९७४

—दिल्ली में मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन ।

२८ मार्च, १९७४

—मोरारजी का अनशन समाप्त ।

—गेहूँ व्यापार के सरकारीकरण की नीति समाप्त ।

३१ मार्च, १९७४

—पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शानन लागू ।

—तंजानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे से कलकत्ता विराम के समय प्रधानमंत्री की वार्ता ।

- १ अप्रैल, १९७४ —पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने पर इन्दिराजी द्वारा सभी मुख्यमन्त्रियों को पत्र ।
- ३ अप्रैल, १९७४ —पूना विश्वविद्यालय द्वारा इन्दिराजी को डी. लिट्. की उपाधि से सम्मानित ।
- १७ मई, १९७४ —रेल हड़ताल के पक्ष पर प्रतिपक्षी नेताओं से वार्ता करने से इन्कार ।
- १८ मई, १९७४ —पोकरण (राजस्थान) में भारत के प्रथम परमाणु बम का विस्फोट ।
- २८ जून, १९७४ —कच्छदीव श्रीलंका को देने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर ।
- २९ जून, १९७४ —सिक्किम के चोग्याल के साथ सौ मिनट तक वार्ता ।
- ३० जून, १९७४ —चोग्याल से दूसरी बार बातचीत ।
- ९ जुलाई, १९७४ —सिक्किम के नेताओं को पूर्ण सहायता का आश्वासन ।
- २१ जुलाई, १९७४ —प्रतिपक्षी नेताओं से वार्ता ।
- २३ जुलाई, १९७४ —सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पर लोकसभा में वहस शुरू ।

२५ जुलाई, १९७४

—लोकसभा में अविश्वास-प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मुद्रास्फीति पर रोक लगाने सम्बन्धी कदमों की व्याख्या ।

६ अगस्त, १९७४

—दिल्ली में युवकों की एक रैली में भाषण ।

१५ अगस्त, १९७४

—स्वाधीनता दिवस की २७वीं जयन्ती पर लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण तथा राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए आर्थिक संकट समाप्त करने का आह्वान ।

३० अगस्त, १९७४

—श्रीमती गांधी द्वारा आयात लाइसेंस के घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति नरमी न बरतने का निर्णय ।

२ सितम्बर, १९७४

—सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी संविधान (३६वाँ) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश ।

३ सितम्बर, १९७४

—आयात लाइसेंस घोटाले पर लोकसभा में साढ़े चार घण्टे तक गरमागरम बहस ।

—चीन द्वारा भारत की सिक्किम नीति को आलोचना ।

७ सितम्बर, १९७४

—सिक्किम विधेयक संसद द्वारा पारित ।

- ६ सितम्बर, १९७४ —लाइसेंस घोटाले की संसदीय जांच का प्रतिपक्षी प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत ।
- ११ सितम्बर, १९७४ —लाइसेंस-पद्धति बदलने की इन्दिराजी द्वारा घोषणा ।
- १६ सितम्बर, १९७४ —राजनीतिक विषयों पर शेख अब्दुल्ला से वार्ता ।
- १८ सितम्बर, १९७४ —‘मीसा’ के अन्तर्गत देशव्यापी अभियान में सात बड़े तस्कर गिरफ्तार ।
- २८ सितम्बर, १९७४ —तस्कर-विरोधी देशव्यापी अभियान में १७ और बड़े तस्कर गिरफ्तार ।
- १ अक्टूबर, १९७४ —जमाखोरों के प्रति सख्त कार्यवाही की धमकी ।
- २ अक्टूबर, १९७४ —ईरान के शहंशाह का दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत ।
- गांधीजी की १०५वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित ।
- १० अक्टूबर, १९७४ —केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन ।
- १ नवम्बर, १९७४ —दिल्ली में सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण से वार्ता विफल ।
- ६ नवम्बर, १९७४ —बिहार विधानसभा पर जयप्रकाश नारायण से वार्ता करने से इन्कार ।

- २१ नवम्बर, १९७४ —हंगरी के प्रधानमंत्री जेनो फीक का स्वागत ।
- २२ नवम्बर, १९७४ —विपक्षी नेता लाइसेंस काण्ड सम्बन्धी सी. वी. आई. जांच रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाने में विफल ।
- रावलपिंडी में भारत-पाक विमान सेवा सम्बन्धी वार्ता बिना निर्णय समाप्त ।
- २४ नवम्बर, १९७४ —नरोरा कांग्रेस शिविर में १३ सूत्री कार्यक्रम स्वीकृत ।
- २६ नवम्बर, १९७४ —सूडानी राष्ट्रपति गफ्फार मीहम्मद न्युमेरी का स्वागत ।
- २६ नवम्बर, १९७४ —पूर्व जर्मनी के प्रधानमंत्री होस्ट जिडरसन का स्वागत ।
- २ दिसम्बर, १९७४ —चैक प्रधानमंत्री लुबोमीर स्वूगल का स्वागत ।
- ५ दिसम्बर, १९७४ —सरकार द्वारा लाइसेंस काण्ड की सी. वी. आई. रिपोर्ट प्रतिपक्षी नेताओं को दिखाने का प्रस्ताव ।
- ६ दिसम्बर, १९७४ —प्रधानमंत्री के लाइसेंस काण्ड पर दस्तावेजों के सजपय अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्यसभा में अनुकूल प्रतिक्रिया ।
- ११ दिसम्बर, १९७४ —नेपाली प्रधानमंत्री नानेन्द्र प्रसाद रिजाल का स्वागत ।

१३ दिसम्बर, १९७४

—लाइसेंस काण्ड पर सी.वी.आई. रिपोर्ट १६ दिसम्बर से प्रतिपक्षी नेताओं को अध्ययन के लिए देने पर प्रधानमन्त्री सहमत ।

१६ दिसम्बर, १९७४

—लाइसेंस काण्ड की जाँच संसदीय समिति से कराने के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी नेताओं द्वारा प्रधान मन्त्री को ज्ञापन ।

२१ दिसम्बर, १९७४

—कांग्रेस संसदीय पार्टी में प्रधान मन्त्री द्वारा लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की सम्भावना से इन्कार ।

२३ दिसम्बर, १९७४

—पोकरण (राजस्थान) के आणविक स्थल का प्रधान मन्त्री द्वारा निरीक्षण ।

४ जनवरी, १९७५

—विहार में वलुआ बाजार में रेल मन्त्री स्व. ललितनारायण मिश्र की अन्त्येष्टि में सम्मिलित ।

१० जनवरी, १९७५

—नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन ।

११ जनवरी, १९७५

—सभी मौसमों में खुले रहने वाले मंगलौर वंदरगाह का उद्घाटन ।

१२ जनवरी, १९७५

—माले (मालदीप) में हिन्द महासागर में शान्ति पर बल ।

१६ जनवरी, १९७५

—वगदाद में ईराकी नेताओं से वार्ता ।

- २३ जनवरी, १९७५ —हवाई अड्डे पर जाम्बिया के राष्ट्रपति कैनेथ कांडा की अगवानी ।
- २६ जनवरी, १९७५ —गणराज्य दिवस समारोहों में सम्मिलित ।
- ५ फरवरी, १९७५ —राजस्थान के खेतड़ी नगर में प्रथम ताम्र परिशोधन संयंत्र का उद्घाटन ।
- २२ फरवरी, १९७५ —राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिए जाने की औपचारिक स्वीकृति ।
- २४ फरवरी, १९७५ —शेख के साथ कश्मीर-समझौता सम्पन्न ।
- २५ फरवरी, १९७५ —सोवियत संघ के रक्षा मंत्री मार्शल ग्रेचको के साथ वार्ता में भारत-सोवियत के मध्य अधिकाधिक सहयोग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श ।
- ७ मार्च, १९७५ —फिजी के प्रधान मन्त्री सर किमसेसे मारा के साथ पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में श्रीमती गांधी की विस्तृत वार्ता ।
- १२ मार्च, १९७५ —श्रीमती गांधी द्वारा पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को प्रातंकित करने का आरोप ।

२६ अप्रैल, १९७५

—किंग्स्टन जाते हुए बंगलादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब द्वारा दिल्ली में श्रीमती गांधी से वार्ता ।

—राज्यसभा द्वारा ३६वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित कर देने से सिक्किम भारत का २२वाँ राज्य बना ।

२७ अप्रैल, १९७५

—श्रीमती गांधी राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने हेतु किंग्स्टन रवाना ।

२८ अप्रैल, १९७५

—किंग्स्टन पहुँचने पर प्रधानमन्त्री का भव्य स्वागत ।

१२ मई, १९७५

—प्रधानमन्त्री द्वारा अखिल भारतीय निर्माता संगठन के ३५वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए निर्यात की आवश्यकता पर बल ।

१६ मई, १९७५

—उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री बहुगुणा से ७५ मिनट तक वार्ता ।

—सिक्किम २२वें राज्य के रूप में भारत संघ में विधिवत् शामिल तथा श्री वी. वी. लाल द्वारा राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण ।

१२ जून, १९७५

—श्रीमती गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ।

- १३ जून, १९७५ — प्रधानमंत्री की मेक्सिको यात्रा रद्द ।
- २६ जून, १९७५ — देश में आपात स्थिति की घोषणा तथा उस पर राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति ।
- १ जुलाई, १९७५ — आकाशवाणी से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा ।
- ७ जुलाई, १९७५ — भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रतिनिधियों से भेंट ।
- ८ जुलाई, १९७५ — सर्वोच्च न्यायालय में सभी कागजात दाखिल ।
- १४ जुलाई, १९७५ — आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक ।
- चुनाव अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ११ अगस्त, १९७५ से मुनवाई प्रारम्भ करने का निर्णय ।
- २० जुलाई, १९७५ — कांग्रेस नंसदीय दल में सम्बोधन ।

२८ जुलाई, १९७५

—भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन की कार्य-कारिणी के सदस्यों को सम्बोधित ।

२९ जुलाई, १९७५

—इण्डोनेशिया के विदेशमन्त्री डॉ. आदम मलिक से वार्ता ।

—राष्ट्रीय आपात्कालीन स्थिति सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक का १५ विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन ।

१ अगस्त, १९७५

—भारतीय उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन ।

११ अगस्त, १९७५

—उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव अपील पर सुनवाई २५ अगस्त, १९७५ तक के लिए स्थगित ।

१५ अगस्त, १९७५

—लाल किले पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रवासियों को सम्बोधन ।

२५ अगस्त, १९७५

—सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधान-मन्त्री के चुनाव सम्बन्धी मुद्दों पर विधिवत् सुनवाई आरम्भ ।

२८ अगस्त, १९७५

—बिहार के वादग्रस्त क्षेत्रों का विमान से निरीक्षण ।

२९ अगस्त, १९७५

—दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन ।

- २ सितम्बर, १९७५ — विज्ञान भवन में राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन ।
- ३ सितम्बर, १९७५ — हैदराबाद के श्री ए.एम. नायडू लिखित पुस्तक 'आपात्काल कथों' नामक पुस्तक का विमोचन ।
- ४ सितम्बर, १९७५ — 'शिक्षक-दिवस' पर शिक्षकों को दिए गए सन्देश में नये समाज के लिए परिश्रम की भावना तथा स्वस्थ शैक्षिक ढाँचे की स्थापना पर बल ।
- ७ सितम्बर, १९७५ — केन्द्रीय परिवहन एवं जहाज-रानी मन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित के साथ पवनार आश्रम में अस्वस्थ आचार्य विनोबा भावे से भेंट ।
- ९ सितम्बर, १९७५ — पुनः पवनार जाकर आचार्य भावे के साथ भेंट तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूछताछ ।
- ११ सितम्बर, १९७५ — आचार्य विनोबा भावे की ८०वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित नभा में मछनिपेघ के सम्बन्ध में राष्ट्रव्यापी प्रांदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर बल ।

२४ सितम्बर, १९७५

—अपने निवास स्थान पर उपस्थित स्काउट्स व गर्ल गाइड्स को सम्बोधित करते हुए राष्ट्र का साहसपूर्वक चुनौतियों का सामना करने का आह्वान ।

२६ सितम्बर, १९७५

—राष्ट्रपति अहमद को हंगरी यात्रा के लिए विदाई ।

—पंचायतों के प्रमुखों व प्रधानों के सम्मेलन को दिए गए सन्देश में आर्थिक कार्यक्रम पूर्ण किए जाने पर बल ।

२७ सितम्बर, १९७५

—उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा ।

—कोणार्क के सूर्य मन्दिर के परिवार सहित दर्शन ।

—संवाददाता सम्मेलन में वक्तव्य ।

३० सितम्बर, १९७५

—इन्दिराजी द्वारा उपकुलपतियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए युवा वर्ग को सही मार्ग-दर्शन करने पर बल ।

१ अक्टूबर, १९७५

—नेपाल के महाराजाधिराज वीरेन्द्र के साथ पारस्परिक हित के सम्बन्ध में वार्ता ।

६ अक्टूबर, १९७५

—सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान-मन्त्री की अपील पर बहस पूर्ण ।

—इन्दिराजी कश्मीर की पाँच दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुँचीं । भव्य स्वागत ।

१० अक्टूबर, १९७५

—श्रीनगर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी समूह की तीसरी उत्पादन इकाई का उद्घाटन करते हुए भारत जैसे विशाल देश के लिए अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होने की आवश्यकता पर बल ।

१३ अक्टूबर, १९७५

—यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री श्री जेमिल विजेदिक का छह दिवसीय यात्रा पर भारत आगमन । हवाई अड्डे पर स्वागत ।

—उड़ी क्षेत्र से अग्रिम चौकी पर सैनिकों को संवोधन ।

१५ अक्टूबर, १९७५

—इन्दिराजी द्वारा यूगोस्लाव प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर का भोज ।

१६ अक्टूबर, १९७५

—यूगोस्लाव प्रधान मन्त्री की भारत-यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी । विदाई ।

२४ अक्टूबर, १९७५

—अपने निवास पर उपस्थित श्रमिक शिक्षा-पाठ्यक्रम में भाग ले रही महिलाओं के समक्ष बोलते हुए प्रायोगिक श्रमिक को 'देश की रीढ़' बतलाना ।

२८ अक्टूबर, १९७५

—नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्र-मण्डलीय संसदीय सम्मेलन के राष्ट्रपति श्री अहमद द्वारा किए गए उद्घाटन के अवसर पर दिए गए भाषण में राष्ट्र के प्रति प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों के समुचित निर्वाह पर बल ।

३१ अक्टूबर, १९७५

—नई दिल्ली में पुलिस परेड मैदान में आयोजित एक विशेष समारोह में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित तथा पुलिस से जनता के वास्तविक सहयोगी एवं मित्र के रूप में कार्य करने का अनुरोध ।

नवम्बर, १९७५

—सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्व-सम्मति से प्रधान मन्त्री का चुनाव वैध घोषित । श्री राज-नारायण की प्रति अपील खारिज ।

—बंगलादेश की घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त ।

—अपने निवास स्थान के बाहर वधाई देने के लिए एकत्रित हजारों लोगों की भीड़ को सम्बोधित करते हुए अपने

उत्तरदायित्वों को दृढ़तापूर्वक
निभाते रहने का संकल्प ।

—कांग्रेस संसदीय दल की बैठक
आयोजित ।

८ नवम्बर, १९७५

—केन्द्रीय संसदीय दल द्वारा
प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में विश्वास
व्यक्त तथा प्रधान मन्त्री द्वारा
बैठक में राष्ट्र की स्वतंत्रता व
स्थायित्व की रक्षा के प्रति
जागरूकता पर बल ।

—अपने निवास स्थान के बाहर
बधाई देने आए लोगों के समक्ष
भाषण देते हुए रवीन्द्र की
अपनी मनपसन्द कविता की
चर्चा ।

९ नवम्बर, १९७५

—अपने निवास के बाहर बधाई
देने हेतु एकत्रित लोगों की
विशाल रैली को सम्बोधित
करते हुए अनुशासन को राष्ट्रीय
जीवन का अंग मानने पर बल ।

१० नवम्बर, १९७५

—अपने निवास स्थान पर बधाई
देने के लिए एकत्रित लोगों को
सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय
प्रगति के लिए एकता व परीक्षण
की आवश्यकता पर बल ।

११ नवम्बर, १९७५

—केन्द्र व भूमिगत नागा नेताओं के मध्य ऐतिहासिक समझौता सम्पन्न । २० वर्ष पुरानी समस्या का वास्तव में समाधान ।

—आकाशवाणी से प्रधान मन्त्री की 'जनता से बातचीत' में देश की स्थिति व भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा ।

१३ नवम्बर, १९७५

—बाल दिवस के अवसर पर प्रेषित सन्देश में प्रत्येक शिशु को राष्ट्र की धरोहर मानने पर बल ।

—स्वास्थ्य मन्त्री श्री मोहन छंगारी के नेतृत्व में राजस्थान के विधायकों के एक शिष्टमंडल द्वारा इन्दिराजी को विजय स्तम्भ भेंट ।

१४ नवम्बर, १९७५

—बालदिवस समारोहों में भाग लिया तथा १६ बालकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए ।

—नई दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में नई दिल्ली नगरपालिका स्कूलों के बच्चों को सम्बोधित करते हुए भारत को स्वच्छ व सबल बनाने का संकल्प करने पर बल ।

—प्रथम बार सार्वजनिक समारोह में पंजाबी पोशाक पहनी ।

१५ नवम्बर, १९७५

—इण्टक की साधारण सभा के ५६वें अधिवेशन में भाषण देते हुए श्रमिकों से राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रख कर वेतन व बोनस की मांग करने का अनुरोध ।

१७ नवम्बर, १९७५

—विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए देश की एकता व अनुशासन को चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला करने की अपील ।

१८ नवम्बर, १९७५

—राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी से राज्य की स्थिति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श ।

१९ नवम्बर, १९७५

—५८वां जन्मदिवस ।

—भारत में विलय के बाद प्रथम बार सिक्किम की दो दिवसीय यात्रा ।

२० नवम्बर, १९७५

—सिक्किम में एक विशाल जन-सभा को सम्बोधित करते हुए सिक्किम को आन्तरिक घूट से मुक्त रह कर विकास करने की सलाह ।

२१ नवम्बर, १९७५

—सिक्किम यात्रा की समाप्ति के बाद दार्जिलिंग की यात्रा । जनसभा में भाषण करते हुए लोगों से पड़ौसी देश की घटनाओं से सचेत रहने की अपील ।

२२ नवम्बर, १९७५

—हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा, २१ वर्षों से निरन्तर सम्बद्ध रहने के कारण, इन्दिराजी को सम्मानित ।

२६ नवम्बर, १९७५

—नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया ।

२७ नवम्बर, १९७५

—टेलीफोन पर बंगलादेश के राष्ट्रपति सईम द्वारा इन्दिराजी से वार्ता । बंगलादेश के राष्ट्रपति द्वारा ढाका में भारतीय राजदूत श्री समरसेन पर हुए घातक हमले पर खेद व्यक्त ।

—शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शक मण्डल की बैठक में महत्वपूर्ण शिक्षा संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों व राज्यों के शिक्षामन्त्रियों को सम्बोधित करते हुए शिक्षा को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दिए जाने पर बल ।

२८ नवम्बर, १९७५

—प्रधानमन्त्री श्रीभूतलाल गांधी की राष्ट्रपति श्री अहमद से भेंट ।

—उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री बहुगुणा द्वारा राज्यपाल डॉ० चैन्ना रेड्डी को मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र प्रस्तुत व स्वीकृत ।

३० नवम्बर, १९७५

—अर्द्ध रात्रि में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण परिवर्तन—वंसीलाल व दिल्ली मन्त्रिमण्डल में शामिल, श्री उमाशंकर दीक्षित व स्वर्णसिंह द्वारा त्याग पत्र ।

—उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू ।

—श्री उमाशंकर दीक्षित आन्ध्र के राज्यपाल नियुक्त ।

१ दिसम्बर, १९७५

—नये केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण ।

—प्रधानमन्त्री की प्रतिरक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तीनों सेनाध्यक्षों से विचार-विमर्श ।

३ दिसम्बर, १९७५

—रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों के समक्ष भाषण करते हुए बंगलादेश की नाटकीय घटनाओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त ।

१५ दिसम्बर, १९७५

—जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला की वर्षगांठ पर टेलीफोन से बधाई सन्देश प्रेषित ।

१६ दिसम्बर, १९७५

—रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वर्ण सिंह के विदाई समारोह में भाषण देते हुए इन्दिराजी द्वारा 'उच्चकोटि के मध्यस्थ' के रूप में स्वर्णसिंह की प्रशंसा ।

—नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देश की प्रगति के लिए धर्म-निरपेक्ष परम्पराओं, राष्ट्रीय एकता तथा अनुशासन की आवश्यकता पर बल ।

१० दिसम्बर, १९७५

—संसद के केन्द्रीय कक्ष में 'संविधान और संसद गणतंत्र के २५ वर्ष' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए संविधान में लचीलेपन तथा जीवन्तता की आवश्यकता का समर्थन ।

—कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में चण्डीगढ़ में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार ।

- १२ दिसम्बर, १९७५ —विश्व जल कांग्रेस में भाषण हुए मानव जीवन की उन्नति में जलस्रोतों की उपयोगिता की चर्चा ।
- १८ दिसम्बर, १९७५ —राजस्थान के युवा कांग्रेसियों के शिष्टमण्डल से भेंट ।
- १९ दिसम्बर, १९७५ —प्रधानमन्त्री के चुनाव के वारे में निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत राजनारायण की याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज ।
- २० दिसम्बर, १९७५ —केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन, पी.सी. सेठी केन्द्रीय मन्त्री बने तथा बंसीलाल को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया ।
- २३ दिसम्बर, १९७५ —मध्यप्रदेश में श्री श्यामाचरण शुक्ल पुनः मुख्यमन्त्री पद पर आरूढ़ ।
- २४ दिसम्बर, १९७५ —भूदान आन्दोलन के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर भेजे गए सन्देश में सामाजिक न्याय के लिए जनता से स्वयं को समर्पित करने का आग्रह ।
- २५ दिसम्बर, १९७५ —आचार्य विनोबा भावे से देश का मार्ग निर्देशन करते रहने का अनुरोध ।

२७ दिसम्बर, १९७५

२८ दिसम्बर, १९७५

२९ दिसम्बर, १९७५

—पुनर्गठित मंत्रिमण्डल में प्रभावित मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण ।

—कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर दिए गए एक साक्षात्कार में इन्दिराजी द्वारा संविधान में परिवर्तन के लिए जनता की स्वीकृति पर विशेष बल ।

—चण्डीगढ़ के निकट कामागाटा मारूनगर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के ७५वें अधिवेशन के अन्तर्गत कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव का अनुमोदन तथा आपात स्थिति जारी रखने की माँग ।

—सायं ५ बजे चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पहुँचने पर भव्य स्वागत ।

—कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र के राज्यपाल नियुक्त ।

—कांग्रेस का ७५वाँ अधिवेशन प्रारम्भ । विषय समिति द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पारित तथा वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय ।

- श्री देवकान्त बरुआ कांग्रेस के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित ।
- ३० दिसम्बर, १९७५
- कामागाटामारु नगर में इन्दिराजी की इस घोषणा के साथ कि हमारा समाजवादी विकास की नीति से हटने का तनिक भी इरादा नहीं है, विषय समिति द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन, अन्य अनेक प्रस्ताव पारित तथा खुला अधिवेशन प्रारम्भ ।
- ३१ दिसम्बर, १९७५
- अधिवेशन में श्री देवकान्त बरुआ का प्रेरक अध्यक्षीय भाषण ।
- १ जनवरी, १९७६
- कामागाटामारु नगर में किसान सैल में इन्दिराजी का भाषण, देश के विकास के लिए कृषि-उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल । देश भर से आये किसानों के साथ नववर्ष की वधाइयों का आदान-प्रदान ।
- २ जनवरी, १९७६
- श्री बरुआ द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद की स्थापना के अपने दल के दृढ़ नकल्प के साथ कामागाटामारु नगर में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त ।

—प्रधानमन्त्री द्वारा अपने स्पष्ट वक्तव्य में कांग्रेसजनों से सरकार तथा आम नागरिक के बीच की कड़ी बनने का अनुरोध ।

३ जनवरी, १९७६

—केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में हेरफेर । केन्द्रीय विधि, न्याय व कम्पनी मामलात राज्यमंत्री डॉ. सरोजिनी महिषी का त्यागपत्र स्वीकार, पेट्रोलियम व रसायन उपमंत्री श्री सी. पी. माभी रसायन व उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग व नागरिक आपूर्ति उपमंत्री श्री जेड. आर. अंसारी पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री बनाए गए ।

४ जनवरी, १९७६

—विशाखापट्टनम् में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ६३वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए भारत में विज्ञान को ग्रामीण आधार प्रदान करने का आह्वान ।

—दिल्ली लौटने से कुछ ही देर पूर्व बन्दरगाह मैदान में आयोजित आम सभा में बाह्य खतरों से सावधान रहने तथा एकता को सुदृढ़ करने व उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध ।

५ जनवरी, १९७६

—लोकसभा व राज्यसभा के सत्र प्रारम्भ ।

६ जनवरी, १९७६

—केन्द्रीय रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी श्री उमाशंकर दीक्षित के स्थान पर राज्यसभा में दल के नेता चुने गए । प्रधान मन्त्री द्वारा राज्य सभा के सदस्यों से मंत्रिमण्डलीय स्तर के तीन मंत्रियों व चार राज्य मंत्रियों का परिचय कराया गया ।

—लोकसभा में विधि मंत्री गोखले की चुनाव-स्थगन के सम्बन्ध में संसद के इसी सत्र में निर्णय कर लिए जाने का संकेत ।

७ जनवरी, १९७६

—लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर बहस । सभी लोगों द्वारा इस तथ्य पर बल कि अनुशासन व उत्पादन वृद्धि आपातकाल की ठोस उपलब्धियाँ ।

—राज्य सभा में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

द्वारा आपातकाल की घोषणा को प्रधान मंत्री का साहसिक कदम बतलाया गया ।

८ जनवरी, १९७६

—राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के उत्तर में इन्दिराजी द्वारा व्यापक विचार-विमर्श व चिन्तन के बाद ही संविधान में संशोधन किए जाने का संकेत ।

१० जनवरी, १९७६

—लोकसभा में वक्तव्य देते हुए इस तथ्य का संकेत कि महारानी गायत्री देवी तथा सिंधिया की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रति-शोध की भावना से नहीं ।

—प्रधानमन्त्री द्वारा प्रतिपक्ष से वार्ता का सुभाव ।

—राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित ।

११ जनवरी, १९७६

—राष्ट्रीय शीर्ष संस्था की छठी बैठक में भाषण करते हुए प्रधानमन्त्री द्वारा उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर किए जाने पर बल ।

१२ जनवरी, १९७६

—श्री लालबहादुर शास्त्री की १०वीं पुण्य तिथि पर आयोजित सभा में बोलते हुए इन्दिराजी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता निवारण के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प व्यक्त ।

—महारानी गायत्री देवी की पैरोल पर रिहाई ।

१३ जनवरी, १९७६

—भारत-रूस के मध्य वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में द्विवाषिक संधि ।

१६ जनवरी, १९७६

—मलेशियाई प्रधानमंत्री श्री तुन रजाक के निधन पर शोक सन्देश प्रेषित ।

—तन्जानिया के राष्ट्रपति न्येरेरे का हवाई अड्डे पर स्वागत ।

१७ जनवरी, १९७६

—पौनार आश्रम में आयोजित आचार्य सम्मेलन में विनोवा भावे द्वारा देश के बुद्धिजीवियों से अनुशासन की स्थापना तथा राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति अपनी भूमिका निभाने तथा प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी से विचार-विमर्श करने की अपील ।

१८ जनवरी, १९७६

—मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. शिवसागर रामगुलाम को भावभीनी विदाई।

—पंजाब के वयोवृद्ध नेता तथा साहित्यकार ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर के निधन पर उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित।

१९ जनवरी, १९७६

—पौनार में आयोजित आचार्य सम्मेलन द्वारा आपात स्थिति के समर्थन में प्रस्ताव पारित।

२१ जनवरी, १९७६

—श्री नारायणदत्त तिवार उत्तरप्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता निर्वाचित।

२२ जनवरी, १९७६

—फ्रांस के प्रधानमंत्री शिराक की भारत-यात्रा के अवसर पर ए. एफ. पी. को दी गई भेंट में इन्दिराजी द्वारा जनतन्त्र की सफलता के लिए सरकार व प्रतिपक्ष को समान जिम्मेदारी पर बल।

२३ जनवरी, १९७६

—चिकित्सक संघ के ३१वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तेजी से जन्मदर घटाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल।

—फ्रांसीसी प्रधानमंत्री शिराक का हवाई अड्डे पर स्वागत ।

—प्रातःकाल [अपने निवास पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में १५ वच्चों को पुरस्कृत ।

२४ जनवरी, १९७६

—इन्दिराजी के प्रधानमंत्रित्व के दस वर्ष पूर्ण । देशभर में अनेक अभिनन्दन एवं समर्थन समारोह आयोजित ।

—वाराणसी के हिन्दी दैनिक 'आज' को दी गई भेंट वार्ता में प्रधानमंत्री द्वारा जनतंत्र की वधाओं को दूर किए जाने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल ।

—दस वर्ष पूर्ण होने पर निवास स्थान पर ही मंत्रिमण्डलीय सदस्यों एवं संसद सदस्यों की वधाइयां ग्रहण कीं ।

२५ जनवरी, १९७६

—राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा इन्दिराजी के कार्यकाल का एक दशक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में इन्दिरा-शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा ।

